मेन्स आंसर राइटिंग

संग्रह

जून 2025

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर–1 3

- आधुनिक इतिहास 3
- भूगोल 7
- भारतीय विरासत और संस्कृति 14
- भारतीय समाज 17

सामान्य अध्ययन पेपर–2 22

- राजनीति एवं शासन 22
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 28
- सामाजिक न्याय 34

सामान्य अध्ययन पेपर–3 38

- अर्थव्यवस्था 38
- जैवविविधता और संरक्षण 43
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 46
- आंतरिक सुरक्षा 49
- आपदा प्रबंधन 50

सामान्य अध्ययन पेपर–4 54

- केस स्टडी 54
- सैद्धांतिक प्रश्न 67

निबंध 79

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-1

आधुनिक इतिहास

प्रश्न : 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने पारंपरिक भारतीय उद्योगों के पतन और औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के उदय में किस हद तक योगदान दिया, इसका मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 19वीं शताब्दी में पारंपरिक भारतीय उद्योगों को प्रभावित करने वाली ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों पर संक्षेप में विवेचना कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि किस प्रकार इन नीतियों के कारण पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ तथा औपनिवेशिक काल के दौरान आर्थिक संरचना में आए परिवर्तन की भी व्याख्या कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को गहराई से बदल दिया। इन नीतियों के परिणामस्वरूप **पारंपरिक भारतीय उद्योगों जैसे: वस्त्र, हस्तशिल्प और धातुकर्म का पतन** हुआ। ब्रिटिश आर्थिक हितों की पूर्ति के उद्देश्य से बनाई गई ये नीतियाँ स्वदेशी उत्पादन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से नष्ट करती चली गईं और **भारत को कच्चे माल के प्रदायक एवं ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के उपभोक्ता** में रूपांतरित कर दिया। इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि कारीगर वर्ग दरिद्र होता गया और भारत की अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक परिशिष्ट के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया।

मुख्य भाग:

ब्रिटिश नीतियों के कारण पारंपरिक उद्योगों का पतन:

- **संरक्षणवाद का अंत:** अंग्रेज़ों ने **भारत में पहले से लागू उन शुल्कों और सुरक्षात्मक उपायों को समाप्त कर दिया**, जो **स्थानीय कारीगरों एवं उद्योगों को सुरक्षा** प्रदान करते थे।
  - **चार्टर एक्ट- 1813** ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जिससे ब्रिटिशों द्वारा एकतरफा मुक्त व्यापार नीतियों का मार्ग प्रशस्त हुआ (19वीं शताब्दी के मध्य में)। इसके परिणामस्वरूप **भारतीय बाज़ार सस्ते, मशीन से बने ब्रिटिश वस्त्रों** से भर गए।
  - दूसरी ओर, **ब्रिटेन में निर्यात होने वाले भारतीय वस्त्रों पर लगभग 80% तक के भारी आयात** शुल्क लगाए गए, जिससे **भारतीय वस्त्र महंगे और प्रतिस्पर्द्धा में कमज़ोर** हो गए।
    - भारतीय कारीगर ब्रिटिश फैक्टरी-निर्मित वस्तुओं की कम कीमत और एकरूप गुणवत्ता का मुकाबला नहीं कर सके, जिसके चलते बंगाल, गुजरात एवं कोरोमंडल तट जैसे क्षेत्रों में **बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी तथा विऔद्योगीकरण की स्थिति** उत्पन्न हो गई।
- **कच्चे माल का निष्कर्षण:** ब्रिटिश **सामरिक और वाणिज्यिक हितों की पूर्ति के लिये शुरू की गई रेलवे** ने भारत से ब्रिटेन तक कपास, जूट एवं नील जैसे **कच्चे माल के निर्यात को सुगम बनाया**।
  - **कच्चे माल को सस्ती कीमतों पर निर्यात** किया जाता था और **तैयार माल को ऊँची कीमतों पर आयात किया जाता था,** जिससे **आर्थिक निर्भरता** बनी रहती थी।
- **राजस्व व्यवस्था और भूमि नीतियाँ: स्थायी बंदोबस्त (वर्ष 1793), रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी भू-राजस्व प्रणालियाँ** भले ही उन्नीसवीं सदी से पहले लागू की गई थीं, परंतु इनका **प्रभाव विशेषत: किसानों और लघु उत्पादकों पर बढ़ते कर भार के रूप में** उन्नीसवीं सदी एवं उसके बाद भी बना रहा।
  - उच्च कर वसूली ने **किसानों की क्रय-शक्ति को घटा दिया** और उन्हें नकदी फसलों की कृषि की ओर प्रवृत्त किया, जिससे **स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं की माँग में गिरावट** आई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **धन की निकासी:** जैसा कि दादाभाई नैरोजी के **'धन निकासी सिद्धांत'** में प्रतिपादित किया गया है, **भारत की संपत्ति का एक बड़ा भाग ब्रिटेन को** भेजा गया, जिसकी **भारत में पुनर्निवेश की कोई व्यवस्था नहीं** थी।
  - जो पूँजी भारतीय उद्योगों में निवेश की जा सकती थी, वह औपनिवेशिक कराधान और मुनाफे के **ब्रिटेन प्रेषण** के माध्यम से बाहर जाती रही, जिससे **औद्योगिक विकास बाधित** हुआ।

औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की संरचना का उदय:

- **कृषि-केंद्रित परिवर्तन एवं विऔद्योगीकरण:** भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि आधारित हो गई, निर्यात के लिये नील, कपास और अफीम जैसी नकदी फसलों पर केंद्रित हो गई, जिससे **भारत ब्रिटिश उद्योगों के लिये कच्चे माल का आपूर्तिकर्त्ता** बन गया।
  - नकदी फसलों पर ज़ोर ने निर्वाह कृषि का स्थान ले लिया, जिससे **अकालों के प्रति आर्थिक सुभेद्यता** बढ़ गई।
  - **ग्रामीण अर्थव्यवस्था वैश्विक बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील** हो गई और **औद्योगिक अवसंरचना में निवेश से वंचित** हो गई।
- **दोहरी अर्थव्यवस्था का उदय:** औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने दोहरा चरित्र विकसित किया, जिसमें एक ओर **ब्रिटिश पूंजी के प्रभुत्व वाला छोटा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र** था, वहीं दूसरी ओर **कच्चे माल का उत्पादन करने वाला एक बड़ा पारंपरिक कृषि क्षेत्र** था।
  - **स्वदेशी उद्योग नष्ट** हो गए, जबकि **ब्रिटिश स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों का विस्तार** हुआ, जिससे **आर्थिक असमानताएँ और गहरी हो गईं।**
- **रेलवे और बुनियादी अवसंरचना:** हालाँकि रेलवे ने आंतरिक क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ा, लेकिन उनका प्राथमिक उद्देश्य स्वदेशी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के बजाय **ब्रिटेन को कच्चे माल के निर्यात को सुविधाजनक बनाना तथा ब्रिटिश वस्तुओं का आयात** करना था।
- **बाज़ार पर निर्भरता और आयात पर निर्भरता:** ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के आगमन से उपभोक्ता पर निर्भरता बढ़ी, जिससे **स्थानीय उत्पादन एवं नवाचार में कमी** आई।
  - पूंजी की कमी एवं स्वदेशी उद्योगों पर लगाए गए औपनिवेशिक प्रतिबंधों के कारण यह गिरावट और भी बढ़ गई।

निष्कर्ष:

ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप औद्योगिकीकरण में कमी आई, कृषि पर निर्भरता कम हुई और **भारत एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिणत हो गया,** जो **मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों पर ही केंद्रित** थी। इन नीतियों के प्रभाव ने भारत की दरिद्रता में योगदान दिया और स्वतंत्रता-पश्चात् आर्थिक सुधार के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न कीं।

प्रश्न : भारत में औपनिवेशिक प्रशासन ने पारंपरिक जनजातीय व्यवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये। इन व्यवधानों के परिणामों और इन परिवर्तनों के प्रति जनजातीय समुदायों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में पारंपरिक जनजातीय प्रणालियों का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- चर्चा कीजिये कि औपनिवेशिक नीतियों ने किस प्रकार इन प्रणालियों को बाधित किया तथा जनजातीय समाजों पर इन व्यवधानों के परिणामों की विवेचना कीजिये।
- इन परिवर्तनों के प्रति जनजातीय समुदायों की प्रतिक्रियाओं पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में **पारंपरिक जनजातीय प्रणालियाँ आत्मनिर्भरता, सामुदायिक सौहार्द तथा प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव पर आधारित** थीं, किंतु **उपनिवेशवादी शासन** के आगमन से इन **प्रणालियों को गंभीर रूप से बाधित** किया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने **शोषणकारी आर्थिक नीतियों, सांस्कृतिक आरोपण तथा विदेशी शासन संरचनाओं की स्थापना** के माध्यम से इन स्वदेशी व्यवस्थाओं

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

को कमज़ोर किया। लंबे समय तक पर्यावरण के साथ **संतुलित संबंध और स्वायत्तता का उपभोग** करने वाले जनजातीय समुदायों की जीवन-शैली औपनिवेशिक हस्तक्षेप के कारण बुनियादी रूप से परिवर्तित हो गई।

मुख्य भाग:

औपनिवेशिक व्यवधान एवं जनजातीय प्रणाली पर प्रभाव

- **भूमि और संसाधन से वंचना:** ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों के कारण जनजातीय समुदायों की पारंपरिक भूमि और संसाधनों से वंचना हुई, जिससे उनका पारंपरिक जीवन-निर्वाह तंत्र छिन्न-भिन्न हो गया। भारतीय वन अधिनियम, 1865 के तहत जनजातियों की वनों तक पहुँच सीमित कर दी गयी, जो उनके आजीविका स्रोत थे। इससे भूमि का स्वामित्व उनसे छिन गया और आत्मनिर्भर प्रणाली का विनाश हुआ।
  - ज़मींदारी व्यवस्था के थोपे जाने से यह शोषण और भी गहन हो गया। इस प्रणाली में बिचौलिये उत्पन्न हुए, जिन्होंने **जनजातीय श्रम और भूमि का दोहन** किया तथा उन्हें उनके पुश्तैनी क्षेत्रों से विस्थापित कर दिया।
  - इसके अतिरिक्त, रेलवे जैसे अधोसंरचनात्मक कार्यों में जनजातियों से बेगार (बलात् श्रम) लिया गया तथा ज़मींदारों के अधीन उन्हें ऋण बंधन में जकड़ दिया गया। इससे आर्थिक शोषण का एक चक्र निर्मित हुआ, जिसने जनजातीय समुदायों को गहराई से हाशिये पर पहुँचा दिया।
- **सांस्कृतिक अलगाव:** ब्रिटिश शासन की नीतियों ने जनजातीय संस्कृति को भी गहरा आघात पहुँचाया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जैसे कानूनों ने घुमंतू जनजातियों को 'अपराधी' घोषित कर सामाजिक रूप से कलंकित कर दिया।
  - मिशनरियों द्वारा उनकी धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं को 'असभ्य' और 'आदिकालीन' कहकर खारिज़ किया गया, जिससे उनकी **सांस्कृतिक पहचान पर संकट** आया।
  - **वनों एवं पवित्र स्थलों के प्रति जनजातीय श्रद्धा में औपनिवेशिक हस्तक्षेप** के कारण **सांस्कृतिक वियोजन** और गहरा हुआ, क्योंकि उनकी जीवन-दृष्टि औपनिवेशिक विचारधाराओं तथा संसाधनों पर नियंत्रण के साथ टकराने लगी।
- **सामाजिक विघटन:** भूमि राजस्व और भू-अधिकार प्रणालियों में औपनिवेशिक परिवर्तनों ने भूमि स्वामित्व को लेकर व्यापक टकराव उत्पन्न किये। साथ ही, बागान (जैसे: चाय, कॉफी, रबड़) जैसे बड़े पैमाने पर होने वाले परियोजनाओं के लिये बलात् विस्थापन ने जनजातीय जीवन को और अधिक संकट में डाल दिया।

इन परिवर्तनों के प्रति जनजातीय समुदायों की प्रतिक्रिया:

- **संथाल विद्रोह (1855-56):** ब्रिटिश शोषण और राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र के सांथाल समुदाय द्वारा किया गया एक सशस्त्र और संगठित विद्रोह, जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध जनजातीय प्रतिरोध का प्रारंभिक उदाहरण था।
- **मुंडा उलगुलान (1899-1900):** बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ यह आंदोलन जनजातीय स्वायत्तता की पुनः स्थापना और औपनिवेशिक शासन तथा ज़मींदारी शोषण के विरुद्ध संगठित संघर्ष का प्रतीक था।
- **रानी गाइदिन्ल्यू का आंदोलन (1930 के दशक):** नगालैंड की जनजातियों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण आंदोलन, जिसमें रानी गाइदिन्ल्यू ने जनजातीय अधिकारों और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु नेतृत्व प्रदान किया।
- **वन सत्याग्रह (1930 का दशक):** मध्य भारत के जनजातीय समुदायों द्वारा औपनिवेशिक वन कानूनों के विरोध में चलाया गया आंदोलन, जिसमें पारंपरिक वनाधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिये प्रतिरोध किया गया।
- **बिश्नोई आंदोलन (1730 का दशक):** राजस्थान में बिश्नोई समुदाय द्वारा वृक्षों और वनस्पति की रक्षा हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन, जो औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध प्रकृति-संरक्षण हेतु जनजातीय संकल्प को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

यद्यपि पारंपरिक जनजातीय प्रणालियों के औपनिवेशिक विघटन ने व्यापक आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक पतन को जन्म दिया। तथापि, समय-समय पर **जनजातीय समुदायों द्वारा किये गये सशस्त्र एवं शांतिपूर्ण प्रतिरोध** आंदोलनों ने न केवल उनकी **सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की** बल्कि **स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में जनजातीय सशक्तीकरण के आधार तैयार किये।** इन आंदोलनों का अध्ययन समकालीन जनजातीय नीतियों की समझ के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "औपनिवेशिक भूमि राजस्व समझौतों ने न केवल कृषि संबंधों को परिवर्तित कर दिया, बल्कि आधुनिक भारत में ग्रामीण समाज और राजनीति को भी नया रूप दिया।" टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत पर औपनिवेशिक भूमि राजस्व बंदोबस्त के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- कृषि संबंधों को किस प्रकार परिवर्तित किया गया चर्चा कीजिये।
- आधुनिक भारत में ग्रामीण समाज और राजनीति को किस प्रकार नया स्वरूप दिया गया चर्चा कीजिये।
- स्वतंत्रता के बाद के भारत में उन्हीं संरचनाओं को ध्वस्त करने के उद्देश्य से किये गए घटनाक्रमों का संदर्भ देते हुए निष्कर्ष निकालें।

परिचय:

शशि थरूर ने अपनी *पुस्तक "इनग्लोरियस एम्पायर: व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया"* में लिखा है, उन्नीसवीं सदी के अंत तक भारत ब्रिटेन के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था।

- **स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी प्रणाली और महालवारी प्रणाली** जैसी ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणालियों ने इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने कृषि संबंधों को प्रभावित किया और ग्रामीण समाज और राजनीति दोनों को नया स्वरूप दिया।

मुख्य भाग:

ब्रिटिश भू-राजस्व प्रणालियों द्वारा कृषि संबंधों में परिवर्तन:

- **स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि से प्राप्त राजस्व को स्थायी रूप** से तय कर दिया गया था, चाहे कृषि उत्पादन में कोई भी बदलाव क्यों न हो।
  - इस व्यवस्था ने कृषि संबंधों को पूरी तरह बदल दिया क्योंकि इसने **वास्तविक कृषकों (किसानों) को भूमि के स्वामित्व** से अलग कर दिया और उन्हें ज़मींदारों के अधीन किरायेदार बना दिया।
- **भूमि का वस्तुकरण (Commodification): महलवारी व्यवस्था** ने भूमि को एक व्यापारिक संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया।
  - इस प्रणाली के तहत भूमि को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता था, जिससे **ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक संरचना** में बदलाव आया।
  - **परंपरागत सामूहिक या सामंती व्यवस्था** के तहत खेती करने वाले **किसान अब भूमि से धीरे-धीरे वंचित** होते गए और कृषि संपत्ति का वितरण असमान होता गया।
- **पारंपरिक कृषि पद्धतियों में व्यवधान:** रैयतवारी और महलवारी व्यवस्थाओं के तहत भारी कर मांग ने किसानों को **आत्मनिर्भर खेती से हटाकर नकदी फसलों (जैसे कपास, नील, गन्ना)** की ओर प्रेरित किया।
  - इस बदलाव से खाद्य फसलों की **पारंपरिक खेती प्रभावित** हुई, जिससे **स्थानीय खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ा और वैश्विक बाज़ारों** पर निर्भरता बढ़ी।

ब्रिटिश राजस्व प्रणालियों द्वारा आधुनिक भारत में ग्रामीण समाज और राजनीति का पुनर्गठन:

- **ग्रामीण समाज में वर्ग विभाजन का उभार:** औपनिवेशिक राजस्व प्रणालियों ने ग्रामीण भारत में अलग-अलग वर्गों को जन्म दिया, विशेष रूप से ज़मींदारों और किसानों के बीच विभाजन।
  - **स्थायी बंदोबस्त ने ज़मींदारों को ग्रामीण समाज** में एक प्रमुख वर्ग बना दिया।
  - **रैयतवारी और महलवारी व्यवस्थाओं ने व्यक्तिगत स्वामित्व** को प्रोत्साहित तो किया, लेकिन साथ ही भारी करों ने किसानों को गरीबी में बनाए रखा।
- **राजनीतिक लामबंदी और किसान आंदोलन: दमनकारी कराधान और किसानों के शोषण ने अंततः** 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में **किसान आंदोलनों** को जन्म दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **भू-राजस्व नीतियों ने ग्रामीण भारत की राजनीतिक चेतना** को आकार देने में केन्द्रीय भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न हुआ।
- **महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1917** का चंपारण **सत्याग्रह नील** की खेती प्रणाली के तहत किसानों के शोषण का प्रत्यक्ष परिणाम था।

- **ग्रामीण अभिजात वर्ग और कृषि सत्ता संरचनाओं पर प्रभाव: ब्रिटिश राजस्व प्रणालियों ने बिचौलियों** की शक्ति को मज़बूत कर दिया था, जो अक्सर किसानों का शोषण करते थे।
  - इन प्रणालियों ने कुछ **ज़मींदारों या बिचौलियों** को सशक्त बनाकर ग्रामीण राजनीति को नया रूप दिया, जिन्होंने **मज़बूत राजनीतिक प्रभाव** बनाए रखा, जबकि किसानों की आवाज बहुत कम या नगण्य थी।
  - **उदाहरण: महालवाड़ी प्रणाली ने ताल्लुकदारों और अन्य बिचौलियों** को सशक्त बनाया, **विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और पंजाब** जैसे क्षेत्रों में, जिससे ग्रामीण अभिजात वर्ग का निर्माण हुआ, जिन्होंने स्थानीय राजनीति में भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों का विरोध किया।
- **शोषण और ऋण जाल:** इन प्रणालियों द्वारा लगाए गए उच्च कर दरों ने **किसानों के बीच सामाजिक-आर्थिक** भेद्यता उत्पन्न कर दी।
  - कई मामलों में, **कर की मांगों** को पूरा करने के लिये उन्हें उच्च ब्याज दरों पर **साहूकारों से पैसा** उधार लेने के लिये मज़बूर होना पड़ा, जिसके कारण ऋण का चक्र शुरू हो गया।
  - **वर्ष 1875 के दक्कन दंगे साहूकारों** के उत्पीड़न और **रैयतवारी व्यवस्था** के तहत उच्च करों का प्रत्यक्ष परिणाम थे, जहाँ किसान ऋण के दुष्चक्र में फंस गए थे।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रता के बाद, भारत ने इन औपनिवेशिक विरासतों को संबोधित करने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाए, विशेष रूप से **ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम और भूमि पुनर्वितरण नीतियों** जैसे भूमि सुधारों के माध्यम से। इस प्रकार, जबकि औपनिवेशिक भूमि नीतियों ने शोषण को बढ़ावा दिया, स्वतंत्रता के बाद भारत के भूमि सुधारों ने एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी ग्रामीण समाज की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव को चिह्नित किया।

भूगोल

प्रश्न : उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरीय और वायुमंडलीय प्रणालियों के बीच जटिल अंत:क्रियाओं के कारण होती है। हिंद महासागर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में उनके निर्माण और क्षेत्रीय वितरण के लिये जिम्मेदार कारकों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को परिभाषित कीजिये और इनकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिये।
- उनके निर्माण के लिये आवश्यक महासागरीय और वायुमंडलीय स्थितियों की विवेचना कीजिये तथा बताइये कि चक्रवात मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों में ही (विशेष रूप से हिंद महासागर में) क्यों बनते हैं?
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न-दाब प्रणालियाँ हैं, जहाँ तीव्र पवन और भारी वर्षा होती है, जो सागरीय एवं वायुमंडलीय स्थितियों के बीच जटिल अंतर्क्रियाओं के परिणामस्वरूप होती हैं। ये चक्रवात तटीय आबादी (विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में जो प्राय: और कभी-कभी अत्यधिक विनाशकारी चक्रवातों के लिये प्रवण होता है) पर अपने विनाशकारी प्रभाव डालती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण के लिये उत्तरदायी प्रमुख कारक:

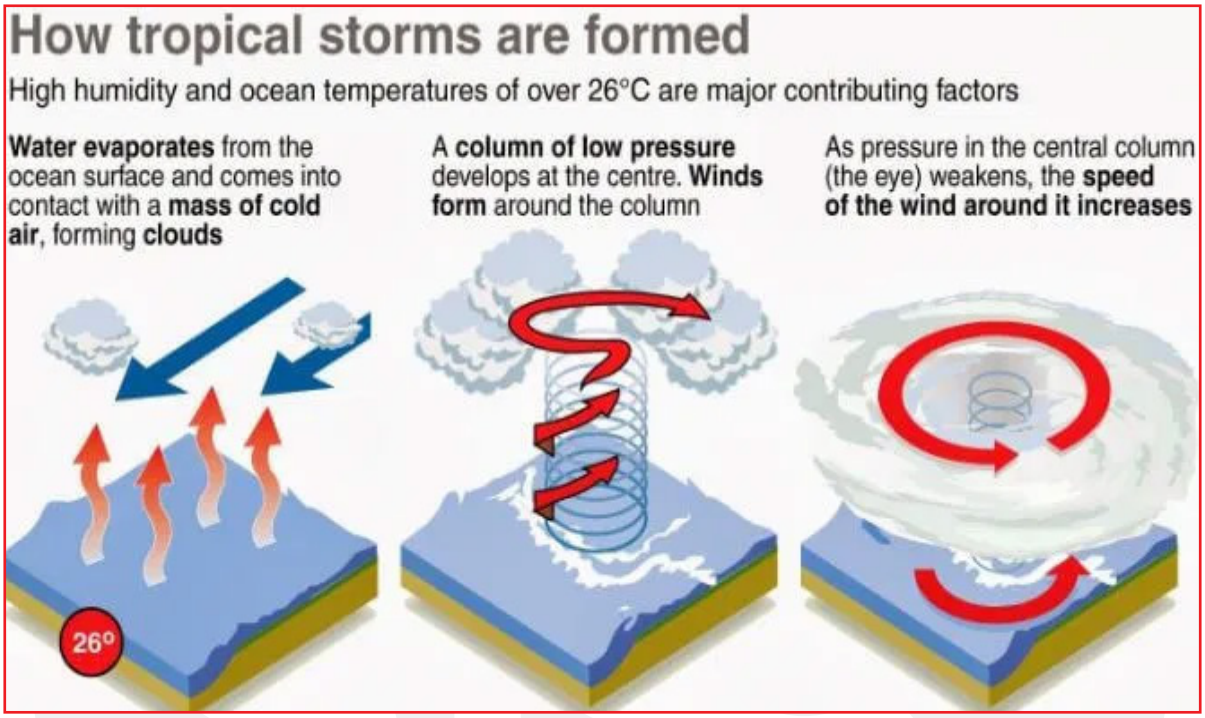

महासागरीय कारक:

- **समुद्री सतह का तापमान (SST):** उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को **आवश्यक नमी और संघनन की गुप्त उष्मा की आपूर्ति के लिये 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक समुद्री सतह के तापमान** की आवश्यकता होती है, जो **संवहन को बढ़ावा** देता है और **चक्रवात के विकास** को बनाए रखता है।
  - **हिंद महासागर में यह स्थिति आमतौर पर मानसून-पूर्व (अप्रैल-जून)** और मानसून-पश्चात **(अक्तूबर-दिसंबर) मौसमों के दौरान** पाई जाती है, जिससे ये अवधि चक्रवात उत्पत्ति के लिये प्रवण होती है।

वायुमंडलीय कारक:

- **वायुमंडलीय अस्थिरता:** वायुमंडलीय अस्थिरता **ऊर्ध्वाधर (ऊपर की ओर) पवनों की गति** को बढ़ाती है। इसमें समुद्र सतह के निकट की गर्म एवं आर्द्र वायु ऊपर की ठंडी वायु के बीच तेज़ी से ऊपर उठती है, जिससे संवहन और चक्रवाती गतिविधि प्रारंभ हो जाती है।
  - यह **संवहनी प्रक्रिया**, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के **निर्माण एवं तीव्रता के लिये आवश्यक** है।
- **कोरिओलिस बल:** पृथ्वी के घूर्णन से पवनें विक्षेपित होती हैं, जिससे **चक्रवाती भँवर** बनता है। अपर्याप्त कोरिओलिस बल के कारण भूमध्य रेखा (5° अक्षांश के भीतर) के समीप चक्रवात नहीं बन सकते। अधिकांश **चक्रवात 10° और 20° अक्षांशों के बीच बनते हैं।**
- **निम्न पवन अपरूपण:** पवन अपरूपण का तात्पर्य ऊँचाई के साथ पवन की गति या दिशा में परिवर्तन से है। निम्न पवन अपरूपण चक्रवात की संरचना को बनाए रखने और तीव्र होने में सहायक होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अधिक पवन अपरूपण चक्रवात निर्माण में बाधक** होता है, क्योंकि यह चक्रवात के संवहन को विस्थापित कर देता है।

- **पूर्व-विद्यमान निम्न दाब विक्षोभ:** उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यत: **पहले से विद्यमान निम्न दाब प्रणालियों से उत्पन्न** होते हैं, जैसे– पूर्वी लहरें, वायुमंडलीय द्रोणिकाएँ या निम्न दाब क्षेत्र।
  - ये विक्षोभ प्राय: ITCZ (विषुवत रेखा के निकट स्थित एक क्षेत्र) के भीतर विकसित होते हैं, जहाँ, उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक पवनें टकराती हैं, जिससे हवा ऊपर उठती है और लगातार संवहन होता है।

- **उच्च वायुमंडलीय अपसरण:** चक्रवात के विकास के लिये ऊपरी वायुमंडल में अपसरण आवश्यक है। यह उठती हुई पवन को तेज़ी से बाहर निकालकर केंद्र में निम्न दाब को बनाए रखता है।

हिंद महासागर में चक्रवातों का क्षेत्रीय वितरण और विशेषताएँ:

- हिंद महासागर में चक्रवात **मुख्यत: दो क्षेत्रों में** आते हैं - बंगाल की खाड़ी और अरब सागर (इनकी आवृत्ति कम होती है, लेकिन कभी-कभी बहुत भयंकर होते हैं)।

- **बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों की आवृत्ति** आमतौर पर **अरब सागर की तुलना में अधिक होती है और अधिक तीव्र होते हैं,** क्योंकि यहाँ समुद्र की सतह का तापमान अधिक होता है तथा वायुमंडलीय परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं।
  - बंगाल की खाड़ी का **गर्म जल एवं कीप (फनल) आकार की तटरेखा** चक्रवाती लहरों को बढ़ाती है, जिससे **भारत, बांग्लादेश और म्याँमार जैसे देशों में भारी बाढ़ व क्षति** होती है।

- **अरब सागर में चक्रवात की आवृत्ति कम होती** है, लेकिन इनकी तीव्रता प्रबल हो सकती है, जो **प्राय: पश्चिमी भारत, ओमान और यमन को प्रभावित** करती है।

- **भारतीय महासागर द्विध्रुव (IOD) और एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO)** जैसी घटनाएँ समुद्री सतह के तापमान एवं वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करती हैं, जिससे चक्रवाती गतिविधियों में परिवर्तन होता है।

निष्कर्ष:

उष्णकटिबंधीय चक्रवात जटिल प्राकृतिक घटनाएँ हैं जो समुद्री ऊष्मा और वायुमंडलीय पैटर्न द्वारा आकार लेती हैं। उनका क्षेत्रीय वितरण (विशेष रूप से हिंद महासागर में) समुद्र की सतह के तापमान, पवन की धाराओं और वायुमंडलीय स्थितियों द्वारा नियंत्रित होता है। चक्रवातों का पूर्वानुमान करने और प्रभावी निगरानी एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से उनके विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिये इन कारकों को समझना महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न : आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के भू-विज्ञान का आधार हैं। उनके प्रकार, निर्माण प्रक्रिया और विशिष्ट विशेषताओं की विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्राथमिक या आग्नेय चट्टानों की अवधारणा और पृथ्वी की भूवैज्ञानिक संरचना में उनके महत्व का परिचय दीजिये।
- विभिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टानों का वर्णन कीजिये तथा उनकी निर्माण प्रक्रियाओं एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

आग्नेय चट्टानें, या **प्राथमिक शैल,** पृथ्वी की **भू-पर्पटी की आधारभूत परत** का निर्माण करती हैं। ये वे प्राथमिक/आरंभिक शैलें हैं जो तब निर्मित होती हैं जब गर्म मैग्मा या लावा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ये शैलें मूल भूवैज्ञानिक पदार्थ मानी जाती हैं, जिनसे समय के साथ विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य सभी प्रकार की शैलें, जैसे कि अवसादी और कायांतरित शैलें, विकसित होती हैं। ये शैलें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास और आंतरिक प्रक्रियाओं की महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, जिससे हमें ग्रह को आकार देने वाली गतिशील प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

- **आग्नेय चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया एवं प्रकार:**
  - आग्नेय/प्राथमिक शैलों का निर्माण पिघले हुए पदार्थ (मैग्मा या लावा) से होता है। ये पदार्थ या तो मैग्मा (पृथ्वी की सतह के नीचे) या लावा (पृथ्वी की सतह पर) के ठंडा होने से बनते हैं।
  - पिघले हुए पदार्थ के ठंडा होने की गति एवं स्थान के आधार पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:- **घुसपैठ, बहिर्वेधी** और **मध्यवर्ती:**
- **अंतर्वेधी (प्लूटोनिक) शैलें:** ये शैलें तब बनती हैं जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे धीरे-धीरे ठंडा होता है, जिससे बड़े क्रिस्टल बनते हैं।
  - उदाहरण: **ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो**।
- **बहिर्वेधी (ज्वालामुखी) शैलें:** ये शैलें तब बनती हैं जब लावा पृथ्वी की सतह पर तेजी से ठंडा होता है, जिससे महीन दाने वाली संरचना बनती है।
  - उदाहरण के लिये, **बेसाल्ट, प्यूमिस।**
- **हाइपाबिसल या मध्यवर्ती शैलें:** ये शैलें अंतर्वेधी एवं बहिर्वेधी शैलों के बीच के स्तर पर बनती हैं और इनकी संरचना अर्द्ध-क्रिस्टलीय होती है।

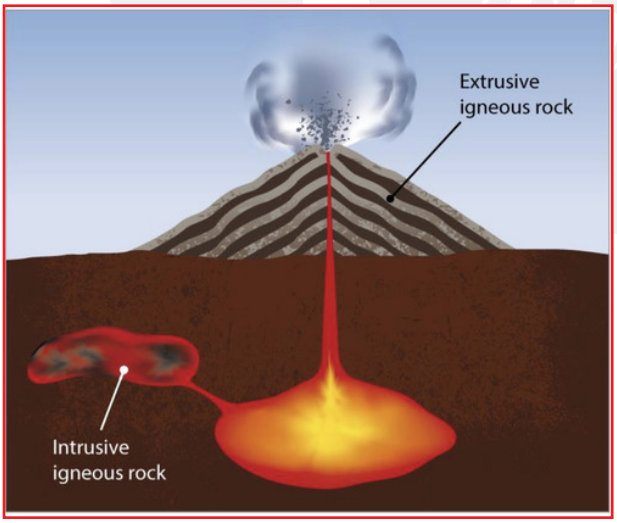

आग्नेय चट्टानों की विशिष्ट विशेषताएँ:

- **खनिज संघटन:** आग्नेय/प्राथमिक शैलों में मुख्य रूप से **क्वार्ट्ज़, फेल्ड्सपार, माइका, एम्फीबोल और ऑलिविन** जैसे खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों की उपस्थिति **मैग्मा के रासायनिक संघटन पर निर्भर** करती है।
- **संरचना:** आग्नेय चट्टानों की बनावट **महीन दानेदार से लेकर मोटे दानेदार** तक हो सकती है, जो **मैग्मा के ठंडा होने की गति पर निर्भर** करती है।
- **धीमे शीतलन से बड़े क्रिस्टल (ग्रेनाइट)** बनते हैं, जबकि **शीतलन से छोटे, महीन/बारीक (बेसाल्ट) कणों वाले क्रिस्टल** बनते हैं।
- **क्रिस्टल का आकार:** अंतर्वेधी शैलों (Intrusive Rocks) में क्रिस्टल बड़े होते हैं क्योंकि मैग्मा धीरे-धीरे ठंडा होता है, जबकि बहिर्वेधी शैलों (Extrusive Rocks) में क्रिस्टल छोटे होते हैं क्योंकि मैग्मा तेज़ी से ठंडा हो जाता है।
- **कठोरता और स्थायित्व:** आग्नेय शैलों में खनिज़ क्रिस्टल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे ये मज़बूत और टिकाऊ होते हैं। ये शैलें अन्य प्रकार की शैलों की तुलना में अधिक कठोर और अपक्षय-प्रतिरोधी होती हैं।
  - **समरूप संरचना:** आग्नेय शैलों की **संरचना आमतौर पर एकसमान** होती है, हालाँकि मैग्मा के प्रकार और **शीतलन की स्थितियों के आधार पर कुछ भिन्नताएँ** हो सकती हैं।
- **जीवाश्मों का अभाव:** चूँकि आग्नेय शैलें पिघले हुए पदार्थ से बनती हैं, इसलिये इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते (जबकि अवसादी शैलों में जीवाश्म मिलते हैं)।

निष्कर्ष:

आग्नेय चट्टानें भूगोल के अध्ययन में मौलिक महत्त्व रखती हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करती हैं। इन शैलों का अध्ययन न केवल **पृथ्वी के निर्माण** को समझने में सहायक है, बल्कि यह **ज्वालामुखीय गतिविधि और प्लेट विवर्तनिकी** जैसी गतिशील प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश डालता है, जो आज भी हमारे ग्रह की सतह को आकार दे रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : भारतीय मानसून के आगमन और निवर्तन में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं की भूमिका की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय मानसून और उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं की भूमिका के बारे में जानकारी देकर अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारतीय मानसून के आगमन और वापसी में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम (STWJ) और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम (TEJ) की भूमिका बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

भारतीय मानसून एक **मौसमी रूप से परिवर्तित होने वाली पवन प्रणाली** है, जो मुख्यत: स्थल और समुद्र के बीच असमान ऊष्मन द्वारा संचालित होती है और जिसे उच्च क्षोभमंडलीय जेट धाराओं द्वारा महत्त्वपूर्ण रूप से नियंत्रित किया जाता है।

- इनमें से, **उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम (STWJ)** और **उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम (TEJ)** भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून (ISM) के **आगमन और वापसी के समय, शक्ति और स्थानिक वितरण** को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य भाग:

उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम (STWJ) की भूमिका:

- एक उच्च वेग वाली **पश्चिमी पवन पट्टी, जो मुख्यत: शीतकाल और वसंत ऋतु** में सक्रिय रहती है। यह लगभग 25°–35° उत्तर अक्षांशों पर, 200 हेक्टोपास्कल (12–14 किमी ऊँचाई) के आसपास पाई जाती है।
  - यह उच्च वायुमंडलीय प्रसरण, शीत वायु संवहन और पश्चिमी विक्षोभों से जुड़ी होती है।
- **मानसून आगमन में भूमिका**
  - शीतकालीन प्रभुत्व से मानसून का निर्माण बाधित:
    - **शीतकाल और प्रारंभिक ग्रीष्मकाल में, STWJ भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर स्थित** रहती है, जिससे ठंडा और शुष्क मौसम बना रहता है।
    - इसकी उपस्थिति ऊँचाई पर ऊर्ध्वगामी संवहन (vertical convection) को रोकती है, जिससे प्री-मानसून वर्षा बाधित होती है।
  - उत्तर की ओर खिसकना मानसून के आगमन का संकेत:
    - मई के अंत या जून की शुरुआत में, उपमहाद्वीप और तिब्बती पठार के तीव्र ऊष्मन के कारण STWJ उत्तर की ओर मध्य अक्षांशों की ओर स्थानांतरित हो जाता है।
    - इससे ऊपरी वायुमंडल में स्थान खाली हो जाता है, जिससे आर्द्र वायु ऊपर उठने लगती है तथा सतह पर निम्न दबाव के क्षेत्र का निर्माण होता है।
  - उष्णकटिबंधीय संवहन क्रिया को प्रबल बनाना:
    - STWJ के हटने से ITCZ (अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र) उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है तथा भारतीय भू-भाग के ऊपर स्थापित होता है।
    - यह **मानसून के विस्फोट (monsoon burst) की स्थिति** उत्पन्न करता है, जो सामान्यत: केरल तट से शुरू होता है।
  - **मानसून निवर्तन में भूमिका**
    - **दक्षिण की ओर पुन:स्थापना**
      - **सितंबर-अक्तूबर** में, **भूमि के ठंडा** होने के साथ, STWJ **दक्षिण की ओर स्थानांतरित** हो जाता है, जिससे उपमहाद्वीप पर स्थिर, शुष्क ऊपरी स्तर की हवा पुन: स्थापित हो जाती है।
    - **शुष्कता और स्थिरता को बढ़ावा देना:**
      - STWJ का पुन: प्रवेश संवहन को दबा देता है तथा **दक्षिण-पश्चिम मानसून से उत्तर-पूर्व मानसून** (विशेष रूप से तमिलनाडु में) में संक्रमण को चिह्नित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

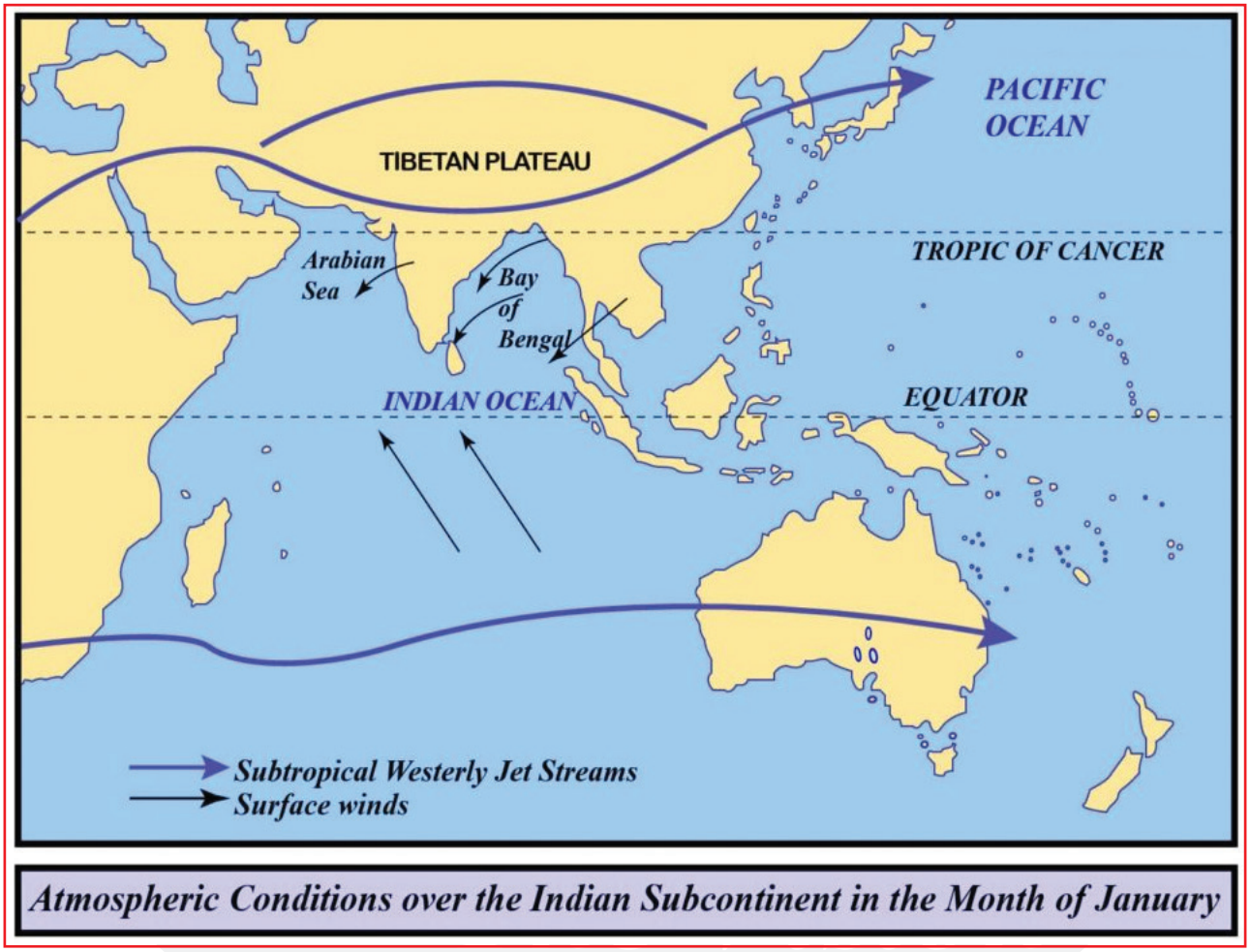

Atmospheric Conditions over the Indian Subcontinent in the Month of January

उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम (TEJ) की भूमिका:

- **जून से अगस्त के दौरान चरम पर पहुँचने वाली तेज गति की पूर्वी पवन धारा**, जो 5°–20° उत्तर अक्षांशों के बीच, 100–150 हेक्टोपास्कल (लगभग 6–9 किमी ऊँचाई) पर स्थित होती है।
  - भूमध्यरेखीय हिंद महासागर और **गर्म तिब्बती पठार** (**तिब्बती उच्च का निर्माण**) के बीच मज़बूत **तापीय ढाल** के कारण उत्पन्न होता है।
- **मानसून की शुरुआत में भूमिका**
  - **ऊपरी स्तर की पूर्वी पवनों का निर्माण:**
    - TEJ, STWJ के उत्तर की ओर स्थानांतरित होने के बाद, आमतौर पर मई के अंत में, शुरू होता है।
    - यह तिब्बत क्षेत्र के ऊपर एक गर्म कोर वाले उच्च-दाब क्षेत्र के निर्माण को दर्शाता है, जो मानसून के आरंभ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **गहन संवहन को समर्थन देना:**
  - TEJ **ऊपरी स्तर पर विचलन उत्पन्न** करता है, जिससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से **नम** वायु का आरोहण होता है।
  - यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में तीव्र संवहनीय वर्षा को प्रोत्साहित करता है।
- **मानसूनी परिसंचरण को सशक्त बनाना:**
  - TEJ ऊर्ध्वाधर पवन को बढ़ाती है, जो संगठित मानसूनी गतिविधियों और व्यापक वर्षा के लिये अनुकूल होता है।
- **मानसून आरंभ का संकेतक:**
  - **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** मानसून के आगमन की पुष्टि के लिये TEJ की शक्ति और स्थिति को एक पैरामीटर के रूप में उपयोग करता है।
- **मानसून वापसी में भूमिका**
  - सितंबर में धीरे-धीरे कमज़ोर होना:
    - जैसे-जैसे सतह का ताप कम होता है, तिब्बती पठार के ऊपर का तापीय अंतर भी घटता है, जिससे TEJ का विघटन आरंभ होता है।
  - मानसूनी ऊर्ध्वाधर समर्थन का ह्रास:
    - ऊपरी वायुमंडलीय प्रसरण की समाप्ति के कारण संवहन कमज़ोर पड़ जाता है तथा वातावरण धीरे-धीरे शुष्क होने लगता है।
  - उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर वापसी:
    - TEJ के कमज़ोर होने से मानसून का संगठित रूप से उत्तर-पश्चिम भारत से वापसी शुरू होती है, जो धीरे-धीरे दक्षिणी प्रायद्वीप की ओर बढ़ती है।

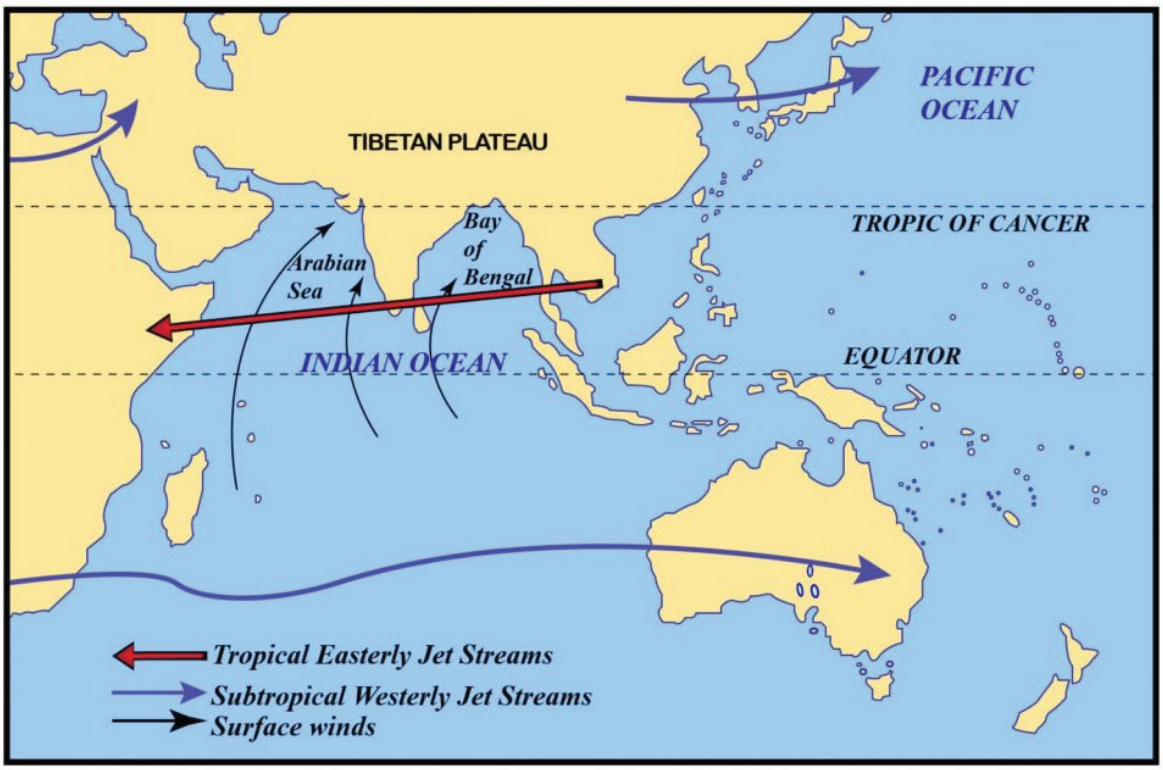

Atmospheric Conditions over the Indian Subcontinent in the Month of June

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट एक **गतिशील उच्च वायुमंडलीय ढाँचा** का निर्माण करते हैं, जो भारतीय मानसून की **शुरुआत, तीव्रता और वापसी** को नियंत्रित करता है। इन दोनों जेट धाराओं की **विपरीत दिशा में होने वाली गतिविधि** (TEJ के मज़बूत होने पर STWJ पीछे हटता है) **मानसून की गतिशीलता की एक प्रमुख विशेषता** है।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : गुफा भित्तिचित्रों से लेकर लघु चित्रकला परंपराओं तक भारतीय चित्रकला का विकास संरक्षण और सांस्कृतिक आख्यानों में बदलावों को दर्शाता है। टिप्पणी करें। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय चित्रकला का संक्षिप्त परिचय एवं उसका ऐतिहासिक महत्व।
- प्रारंभिक गुफा भित्तिचित्रों से लेकर लघु चित्रकला परंपराओं तक भारतीय चित्रकला शैलियों के विकास पर चर्चा करें तथा उन प्रमुख अवधियों और संरक्षण प्रणालियों पर भी प्रकाश डालें जिन्होंने इन कलात्मक रूपों को आकार दिया।
- उचित निष्कर्ष निकालें।

परिचय:

भारतीय चित्रकला की एक समृद्ध और **विविध परंपरा है** जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक कला रूपों तक फैली हुई है। यह **विभिन्न अवधियों के दौरान विकसित हुई है, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग संरक्षण, सांस्कृतिक प्रभावों और सामाजिक गतिशीलता से प्रभावित है। भीमबेटका की** प्राचीन **गुफा भित्तिचित्रों से लेकर जटिल लघु परंपराओं तक** , भारतीय चित्रकला का विकास भारत की बदलती राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

शरीर:

प्रारंभिक शुरुआत-गुफा भित्ति चित्र और शैल चित्रकारी:

- भारतीय चित्रकला की जड़ें प्रागैतिहासिक काल में पाई जा सकती हैं, जिसमें **भीमबेटका गुफा चित्र** सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक हैं। मध्य प्रदेश में स्थित ये चित्र **दैनिक जीवन, शिकार और जानवरों के दृश्यों को दर्शाते हैं** , जो प्रारंभिक मानव समाजों की जीववादी और अनुष्ठानिक मान्यताओं को दर्शाते हैं।
- **भीमबेटका** और **पंचमढ़ी** के शैलाश्रयों में **शैलचित्र** मौजूद हैं , जो **प्रारंभिक भारतीय जीवन की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता** के बारे में जानकारी देते हैं ।

गुप्त काल- धार्मिक चित्रकला का उदय:

- गुप्त काल में **अनुपात और यथार्थवाद पर जोर देते हुए अधिक परिष्कृत तकनीकों का उदय हुआ** । इस समय के दौरान, **धार्मिक और शाही संरक्षण** पनपने लगा, जिससे **मंदिरों और मठों में भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ।**
- विषयवस्तु केवल धार्मिक से बदलकर **दरबारी और राजसी जीवन को शामिल करने लगी , जिसमें भित्तिचित्रों में देवताओं, राजाओं** और दरबारी उत्सवों के दृश्यों को दर्शाया गया।
- अजंता **गुफा के भित्तिचित्रों का** वित्तपोषण मुख्य रूप से बौद्ध शासकों द्वारा किया गया था, जिनमें **जातक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है** , तथा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया है।

क्षेत्रीय चित्रकला - लघु कला का उदय:

- **मुगल लघुचित्र कला अकबर और जहांगीर जैसे सम्राटों के शासनकाल में खूब फली-फूली, जिसमें शाही कार्यशालाओं (तस्वीरखाना)** में दरबारी जीवन, प्रकृति और युद्धों का विस्तृत चित्रण किया गया।
  - मुगल काल ने यथार्थवाद , परिप्रेक्ष्य और अग्रलंकार **जैसे फारसी कलात्मक तत्वों को पेश किया, जिससे भारतीय चित्रकला समृद्ध हुई।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- मुगल दरबार के लघुचित्र, जैसे कि ***तूतीनामा* और *हमज़ानामा***, ऐतिहासिक घटनाओं और मुगल साम्राज्य की समृद्धि को दर्ज करने में महत्वपूर्ण थे।

- **राजपूत और पहाड़ी शैलियाँ जीवंत रंगों और अलंकृत डिजाइनों के साथ क्षेत्रीय रूप से विकसित हुईं, मेवाड़, बूंदी और किशनगढ़** जैसी क्षेत्रीय राजपूत शैलियों ने रोमांटिक, धार्मिक और दरबारी विषयों पर ध्यान केंद्रित किया, **किशनगढ़ की *बनी-ठनी* इसका प्रमुख उदाहरण है।**
- **कांगड़ा, जम्मू और बशोली** की **पहाड़ी चित्रकला** में पौराणिक विषय और भावनात्मक गहराई देखने को मिलती है, जबकि दक्कन कला में स्थानीय और फारसी तत्वों का सम्मिश्रण समृद्ध, सजावटी शैलियों के साथ होता है।

दक्षिण भारतीय चित्रकला परंपराएँ:

- दक्षिण भारतीय चित्रकला **पल्लव, चोल और विजयनगर जैसे राजवंशों के तहत महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई।** पल्लवों (7वीं शताब्दी) ने **मंडागापट्टू और कांचीपुरम में शाही और धार्मिक विषयों** को मिलाकर प्रारंभिक मंदिर भित्तिचित्रों की शुरुआत की।
- चोलों (9वीं-13वीं शताब्दी) ने **बृहदेश्वर मंदिर में भित्ति चित्रों के माध्यम से इस परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसमें शिव की कहानियों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया** तथा मंदिर कला के माध्यम से दैवीय राजत्व की पुष्टि की गई।
- बाद में, **विजयनगर साम्राज्य (14वीं-17वीं शताब्दी) ने स्थापत्य और कलात्मक शैलियों का मिश्रण किया, जैसा कि हम्पी के विरुपाक्ष मंदिर** के भित्ति चित्रों में देखा जा सकता है, **जो मोटी रेखाओं, बड़ी आंखों और पौराणिक विषयों की** विशेषता रखते हैं ।

आधुनिक चित्रकला:

- **ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन** के आगमन के साथ, भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। **अबनिंद्रनाथ टैगोर जैसे कलाकारों के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने** यूरोपीय प्रभावों को खारिज कर दिया और भारत की कलात्मक विरासत को फिर से खोजने की कोशिश की।
  - **अवनीन्द्रनाथ की प्रतिष्ठित पेंटिंग, भारत माता,** राष्ट्रीय पहचान और भारत के आध्यात्मिक सार का प्रतीक थी।
- **आधुनिक युग में, विशेष रूप से राजा रवि वर्मा** के कार्यों में, जिन्हें "पूर्व का राफेल" कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं को यूरोपीय तकनीकों के साथ मिश्रित किया।

निष्कर्ष:

भारतीय कला के विकास का प्रत्येक चरण उस **बदलते राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संदर्भ को दर्शाता है** जिसमें यह फला-फूला। चाहे शाही आयोगों, धार्मिक संरक्षण या औपनिवेशिक प्रभावों के माध्यम से **, भारतीय चित्रकला ने भारतीय समाज के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों को बयान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो** एक जीवंत और विविध कला रूप के रूप में विकसित होती रही है।

प्रश्न : "विजयनगर साम्राज्य की कला और संस्कृति न केवल सौंदर्य उत्कृष्टता की अभिव्यक्ति थी, बल्कि राजनीतिक वैधता एवं धार्मिक सुदृढ़ीकरण के साधन भी थे।" चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- विजयनगर साम्राज्य के बारे में संक्षिप्त में परिचय देकर उत्तर की प्रस्तुत कीजिये।
- सौंदर्य उत्कृष्टता की अभिव्यक्ति के पक्ष में प्रमुख तर्क दीजिये।
- राजनीतिक वैधता के रूप में इसकी कला और वास्तुकला का गहराई से अध्ययन कीजिये।
- संस्कृति के माध्यम से इसके धार्मिक एकीकरण के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिये।
- संबंधित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

विजयनगर साम्राज्य (1336–1565 ई.) अपनी भव्यता और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध एक शक्तिशाली दक्षिण भारतीय साम्राज्य था, जिसने **वास्तुकला, मूर्तिकला, साहित्य, संगीत और चित्रकला** के रूप में एक स्थायी विरासत छोड़ी।

- इस युग की कला और संस्कृति जहाँ एक ओर सौंदर्यबोध की गहराई को दर्शाती थीं, वहीं इन्हें राजनीतिक सत्ता के प्रदर्शन और सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्र में धार्मिक एकता स्थापित करने के साधन के रूप में भी सजगता से उपयोग किया गया।

मुख्य भाग:

सौंदर्य उत्कृष्टता की अभिव्यक्तियाँ:

- **आध्यात्मिक कहानी कहने के रूप में चित्रात्मक भित्ति चित्र: लेपाक्षी** जैसे भित्ति चित्रों में महाकाव्यों और स्थानीय किंवदंतियों के दृश्यों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है, न केवल भक्ति को प्रेरित करने के लिये, बल्कि राजवंशीय आदर्शों और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिये भी।
  - **मंडप की छतों** पर अक्सर **शाही समारोहों, त्यौहारों और दैवीय हस्तक्षेपों** को दर्शाया जाता था, जो राज्य की पवित्र सत्ता को मज़बूत करता था।
- **सांस्कृतिक कूटनीति के रूप में संगीत और नृत्य: पुरंदरदास** की भक्ति रचनाएँ मंदिरों और सार्वजनिक समारोहों में गूंजती थीं तथा उनमें राजसी संरक्षण और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का संदेश छिपा होता था।
  - मंदिर और दरबार में प्रस्तुत किये जाने वाले **भरतनाट्यम** जैसे नृत्य रूपों ने **धार्मिक पूजा और राजनीतिक** उत्सव दोनों को भव्यता प्रदान की।
- **दैनिक संदेश के माध्यम के रूप में मूर्तिकला:** विशेष रूप से विरुपाक्ष मंदिर की मूर्तियाँ पौराणिक दृश्यों, नागरिक जीवन और राजकीय न्याय का सम्मिलन प्रस्तुत करती थीं, जिससे कला एक सुलभ सांस्कृतिक संप्रेषण का साधन बन जाती थी।
  - राजाओं को देवताओं को नमन करते हुए दर्शाने वाले चित्र उनके शासन के पीछे दैवी समर्थन की धारणा को मज़बूत करते थे।

राजनीतिक वैधता के रूप में कला और वास्तुकला

- **स्मारकीय वास्तुकला ने सत्ता का प्रतीक प्रस्तुत किया:**
  - **महानवमी डिब्बा** जैसी भव्य इमारतों में शाही समारोह आयोजित किये जाते थे, जो आम जनता को दिखाई देते थे, जिससे राजशाही शक्ति मज़बूत होती थी।
  - **हम्पी में बड़े पैमाने पर नगर नियोजन**- किलेबंद क्षेत्रों, शाही बाड़ों और शहरी मंदिरों के साथ, राज्य की संगठनात्मक क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- **मंदिर संरक्षण एक राजनीतिक उपकरण के रूप में:**
  - **दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में कृष्णदेवराय द्वारा रायगोपुरम** (ऊँचे प्रवेशद्वार) का निर्माण उनकी धर्मपरायणता और सुदूर क्षेत्रों पर उनके नियंत्रण दोनों को दर्शाता है।
  - **तिरुपति, श्रीरंगम** और **कांचीपुरम** जैसे पवित्र स्थलों के जीर्णोद्धार ने दैवीय सहयोग के माध्यम से राजनीतिक वैधता अर्जित की।
- **नियंत्रण स्थापित करने के लिये स्थानीय शैलियों का एकीकरण**
  - **चालुक्य, होयसला, चोल और पांड्य तत्वों** के सम्मिश्रण से साम्राज्य ने एक वास्तुशिल्पीय पहचान को बढ़ावा दिया जो राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण का प्रतीक था।
  - स्थानीय कारीगरों और परंपराओं को संरक्षण दिया गया, जिससे निष्ठा बढ़ी और सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्रों को एकीकृत करने में मदद मिली।
- **पवित्र स्थान में शाही प्रतिमा-विद्या**
  - **हजारा राम** जैसे मंदिरों में रामायण के दृश्यों को राजत्व के रूपकों के साथ चित्रित किया गया है, जो राजा को राम जैसे दिव्य अवतारों से सूक्ष्मता से जोड़ते हैं।
  - देवताओं की छवियों वाले सिक्के और शिलालेखों ने शासन के लिए दैवीय अनुमोदन को मज़बूत किया।

संस्कृति के माध्यम से धार्मिक एकीकरण

- **हिंदू मंदिरों और संस्थाओं का पुनरुद्धार**
  - व्यापक मंदिर-निर्माण अभियानों और दान-प्रदानों के माध्यम से उन प्रमुख धार्मिक केंद्रों को पुनर्जीवित किया गया, जो पूर्ववर्ती आक्रमणों के दौरान कमजोर हो गए थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- साम्राज्य ने मंदिरों का उपयोग प्रशासनिक केंद्रों के रूप में भी किया, जिससे आध्यात्मिक और राजनीतिक कार्यों का समन्वय स्थापित हुआ।

- **भक्ति एवं संतों का प्रचार**
  - दरबार ने **पुरंदरदास, अन्नामाचार्य** और **व्यासतीर्थ जैसे भक्ति संतों को संरक्षण दिया** तथा हिंदू धर्म के एक व्यक्तिगत, भक्तिपूर्ण रूप को बढ़ावा दिया जो जाति और क्षेत्र से परे था।
  - **विद्यारण्य** जैसे आध्यात्मिक सलाहकारों ने राज्य की नींव की ईश्वरशासित छवि को आकार देने में मदद की।
- **मिशनरी और एकीकृत प्रयास**
  - **अहोबिला दसारी** को आदिवासी और वनवासी समुदायों को धार्मिक दायरे में एकीकृत करने तथा हिंदू धर्म की पहुँच बढ़ाने के लिये तैनात किया गया था।
  - साम्राज्य भर में **हनुमान मंदिरों** की स्थापना एक साझा भक्ति नेटवर्क बनाने के प्रयासों को दर्शाती है।
- **धार्मिक सहिष्णुता और समावेश:**
  - अपनी हिंदू स्थापना के बावजूद, **विजयनगर शासकों** ने रणनीतिक धार्मिक समायोजन को दर्शाते हुए, सेना और प्रशासन में मुसलमानों को अनुमति दी और यहां तक कि उन्हें रोज़गार भी दिया।
  - बहु-सांप्रदायिक संरक्षण- **शैव, वैष्णव और यहां तक कि जैन स्थलों** - ने साम्राज्य की समावेशिता और राजनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाया।

निष्कर्ष:

विजयनगर की कला और संस्कृति ने न केवल सौंदर्य की उत्कृष्ट कृतियों के रूप में बल्कि **शासन कला और धार्मिक एकता के साधन के रूप** में भी काम किया। आज, **हम्पी के स्मारकों के समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त है- जो विजयनगर शासन के तहत शक्ति, भक्ति और रचनात्मकता के एकीकरण के स्थायी प्रतीक** के रूप में स्थापित हैं।

भारतीय समाज

प्रश्न : भारत अपनी युवा जनसंख्या प्रोफ़ाइल के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए तैयार है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करें। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल और जनसांख्यिकी लाभांश की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
- आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर प्रकाश डालिए।
- उन चुनौतियों पर चर्चा करें जो भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ उठाने की क्षमता में बाधा डालती हैं।
- उचित निष्कर्ष निकालें।

परिचय:

भारत वर्तमान में अवसर की जनसांख्यिकी खिड़की का अनुभव कर रहा है, जिसकी **65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है** , जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे युवा देशों में से एक बनाता है। यह जनसांख्यिकीय बदलाव भारत को संभावित **"जनसांख्यिकीय लाभांश" प्रदान करता है,** जहाँ **कामकाजी आयु वर्ग की आबादी (15-64 वर्ष)** आश्रित (युवा और वृद्ध) आबादी से अधिक है। शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सही निवेश के साथ, यह युवा जनसांख्यिकी भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

शरीर:

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के अवसर:

- **आर्थिक विकास और बढ़ी हुई खपत:** कार्यशील आयु वाली जनसंख्या, जो 2041 तक भारत की कुल जनसंख्या का **59% होने का अनुमान है** , उत्पादकता और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है।
  - मध्यम वर्ग के उत्थान **और बढ़ती आय के साथ, भारत 2050 तक वैश्विक उपभोग का 30% हिस्सा** हासिल कर लेगा , जो 1997 में 12% था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह बदलाव व्यवसायों के लिए व्यापक अवसर प्रस्तुत करता है और उपभोग-आधारित आर्थिक विस्तार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

- **बचत और निवेश में वृद्धि:** आश्रित आबादी कम होने से व्यक्ति अधिक बचत कर सकता है, जिससे पूंजी संचय में योगदान मिलता है। मार्च 2024 में भारत की **सकल घरेलू बचत दर सकल घरेलू उत्पाद का 30.7%** थी , यह दर वैश्विक औसत से काफी अधिक है, जो **जनसंख्या के बीच बचत करने की मजबूत प्रवृत्ति को दर्शाता है** ।
  - इन बचतों को **बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास में निवेश की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है**
- **नवोन्मेष और उद्यमिता: 1.59 लाख स्टार्टअप** के साथ , भारत अब दुनिया का **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन** जैसी योजनाओं का उद्देश्य युवाओं में इस उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना है।
  - जनसांख्यिकीय लाभांश भारत के उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकता है, जिससे यह **दुनिया के अग्रणी स्टार्टअप केन्द्रों में से एक बन जाएगा।**
- **श्रम शक्ति विस्तार और लिंग समावेशन:** श्रम शक्ति का विस्तार, जिसमें **महिलाओं की उच्च भागीदारी दर शामिल है,** भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, भारत में **महिला श्रम शक्ति भागीदारी अपेक्षाकृत कम है (वैश्विक औसत 47% की तुलना में 32.8%)।**
  - यदि भारत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सक्षम हो जाता है, तो उपलब्ध कार्यबल का विस्तार होगा, जिससे उत्पादकता और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होगी।

जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने में चुनौतियाँ:

- **बेरोज़गारी और अल्परोज़गार:** एक बड़ी श्रम शक्ति होने के बावजूद, भारत अपर्याप्त रोज़गार सृजन की चुनौती का सामना कर रहा है। 2022 में, **भारत की 83% बेरोज़गार आबादी 35 वर्ष से कम आयु की थी,** जो बढ़ते कार्यबल और नौकरियों की उपलब्धता के बीच बेमेल को उजागर करती है।
  - **इस जनसांख्यिकी** का एक महत्वपूर्ण अनुपात या तो अल्प-रोजगार वाला है या बिल्कुल भी रोजगार नहीं करता है (**युवा बेरोजगारी दर- 20%**)।
  - शिक्षा के आउटपुट और बाजार की जरूरतों के बीच बेमेल बेरोजगारी को बढ़ाने में योगदान देता है, विशेष रूप से स्नातकों के बीच (**2021-22 में 25 वर्ष से कम आयु के भारत के 42% से अधिक स्नातक बेरोजगार थे)** ।
  - अनौपचारिक रोजगार भी अभी भी हावी है (90% से अधिक), जहां श्रमिकों को कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है।
- **कौशल बेमेल:** भारत के श्रम बाजार में कौशल अंतर एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ILO के अनुसार, **47% भारतीय श्रमिक, विशेष रूप से 62% महिलाएँ, अपनी नौकरियों के लिए अयोग्य हैं।**
  - कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से में आधुनिक नौकरी बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए **आवश्यक कौशल का अभाव है (युवा कार्यबल का केवल 5% ही औपचारिक रूप से कुशल है)।**
  - कौशल का यह असंतुलन भारत के कार्यबल की क्षमता को सीमित करता है तथा उन्नत क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की इसकी क्षमता में बाधा डालता है।
- **स्वास्थ्य और पोषण:** भारत अभी भी कुपोषण, अपर्याप्त मातृ स्वास्थ्य देखभाल और **गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक** सीमित पहुंच **जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहा है।** ये मुद्दे कार्यबल के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जिससे जनसांख्यिकीय लाभांश की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ पूरे भारत में समान रूप से वितरित नहीं है। जहाँ **बिहार जैसे कुछ राज्यों में प्रजनन दर अधिक है, वहीं सिक्किम जैसे अन्य राज्यों में पहले से ही वृद्ध आबादी का सामना करना पड़ रहा है** ।
  - इस क्षेत्रीय असमानता के कारण विशिष्ट जनसांख्यिकीय रुझानों के अनुरूप उप-राष्ट्रीय नीतियों की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभांश का लाभ पूरे देश में प्राप्त हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **लिंग असमानता: महिला श्रम बल भागीदारी 37%** है , **जो पुरुषों के 75%** से बहुत कम है , तथा **लिंग आधारित बाधाएं** अभी भी प्रचलित हैं। इस लिंग असमानता को दूर करना जनसांख्यिकीय लाभांश की आर्थिक क्षमता को अधिकतम करने की कुंजी है।

जनसांख्यिकीय लाभांश की चुनौतियों से निपटने के उपाय:

- **मानव पूंजी में निवेश: श्रम बाजार की आवश्यकताओं के साथ पाठ्यक्रम को संरेखित करना** और उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना यह सुनिश्चित करेगा कि युवा वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों के लिए सुसज्जित हों।
  - कार्यबल के समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने तथा दीर्घकालिक उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए **स्वास्थ्य देखभाल और पोषण में निवेश करना आवश्यक है।**
- **रोजगार के अवसर पैदा करना: बढ़ती श्रम शक्ति को** प्रभावी ढंग से समाहित करने के लिए **, भारत को औपचारिक क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। सरकारी नीतियों को उद्यमशीलता, व्यापार-अनुकूल सुधारों और उच्च रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों के विस्तार** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ।
  - लिंग-समावेशी नीतियों को लागू करके, सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करके और वेतन असमानताओं को दूर करके **महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए** विशेष प्रयास किए जाने चाहिए ।
- **वृद्ध होती आबादी का प्रबंधन:** चूंकि भारत 2041 तक अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के शिखर पर पहुंच रहा है, इसलिए सरकार को धीरे-धीरे **सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ानी चाहिए और वृद्ध श्रमिकों को** कार्यबल में बने रहने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पेंशन प्रणाली में सुधार भी आवश्यक होगा।
- **क्षेत्रीय और उपराष्ट्रीय नीतियां: प्रजनन दर और वृद्ध होती आबादी** में क्षेत्रीय असमानताओं को देखते हुए , कुछ क्षेत्रों में वृद्ध होती आबादी और अन्य में युवा बेरोजगारी जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक अनुरूप दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि विभिन्न राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

निष्कर्ष:

मानव पूंजी में निवेश करके , औपचारिक क्षेत्र में नौकरियां पैदा करके, तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को लागू करके, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभों को अधिकतम कर सकता है तथा अपनी आबादी के लिए दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है।

प्रश्न : "आज भारतीय समाज अपनी सामाजिक शब्दावली की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।" लैंगिक समानताओं, प्रौद्योगिकी एवं पीढ़ीगत आकांक्षाओं के इर्द-गिर्द बदलते मानदंडों के सामाजिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रश्न के उद्धरण को एक मान्य उदाहरण के साथ उचित ठहराते हुए उत्तर का परिचय दीजिये ?
- बदलते मानदंडों और पिछड़ी शब्दावली के सामाजिक निहितार्थ बताएँ।
- उदाहरणों के साथ बताइये कि परिवर्तनों के बावजूद सामाजिक शब्दावली में प्रमुख मानदंड कायम हैं
- एक उद्धरण के साथ निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत के तेजी से बदलते समाज में, **पारंपरिक मानदंड नई वास्तविकताओं** के साथ तालमेल बिठाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण **ज़ोमैटो जैसे त्वरित-वाणिज्य प्लेटफार्मों** के लिये **महिला डिलीवरी कर्मियों** का उदय है, एक समय में यह **भूमिका पुरुषों के वर्चस्व** वाली थी।

- यह बदलाव गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक मानदंडों को चुनौती देता है तथा इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे **विकासशील सामाजिक गतिशीलता अक्सर उनका वर्णन करने के लिये प्रयुक्त** शब्दावली से आगे होती है, जिससे पुराने मूल्यों और नई आकांक्षाओं के बीच अंतर उत्पन्न होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

परिवर्तित होते सामाजिक मानदंडों और पिछड़ती शब्दावली के सामाजिक प्रभाव:

- **लिंग पुनर्संरेखण:** पारंपरिक रूप से **पुरुष-प्रधान क्षेत्रों जैसे रक्षा, विमानन और प्रौद्योगिकी** में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति सामाजिक मानदंडों को बदल रही है।
  - यह **लैंगिक पुनर्संरेखण** धीरे-धीरे पुरुषत्व और स्त्रीत्व की पितृसत्तात्मक परिभाषाओं को ध्वस्त कर रहा है।
- **प्रौद्योगिकी और तर्कसंगत पुनर्व्यवस्था:** प्रौद्योगिकी के आगमन से सामाजिक संरचनाओं की तर्कसंगत पुनर्व्यवस्था हुई है तथा पुरानी प्रथाओं को अधिक वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने के लिये UCC जैसे व्यक्तिगत कानूनों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
  - ई-गवर्नेंस जैसे **प्रौद्योगिकी-संचालित प्लेटफॉर्म** भी शासन और सेवा वितरण में तर्कसंगतता को बढ़ावा दे रहे हैं।
- **पीढ़ीगत आकांक्षाएँ और धर्मनिरपेक्ष उपभोक्तावाद:** व्यक्तिवाद, भौतिक सफलता और डिजिटल संपर्क की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर **मिलेनियल्स और जेन जेड, धर्मनिरपेक्ष उपभोक्तावाद** को बढ़ावा दे रहे हैं (खुशी और आत्म-सम्मान भौतिक संपत्ति के अधिग्रहण से निकटता से जुड़े हुए हैं)।
  - **भव्य शादियाँ, सोशल मीडिया** से प्रेरित जीवनशैली तथा पारंपरिक मूल्यों की अपेक्षा अनुभवों पर अधिक ध्यान, आध्यात्मिक मूल्यों की अपेक्षा भौतिक संस्कृति की ओर इस बदलाव को उजागर करते हैं।
- **सांस्कृतिक वस्तुकरण:** पारंपरिक संस्कृति, जो कभी अपने आध्यात्मिक महत्त्व के लिये पूजनीय थी, अब तेजी से वस्तुकरण की ओर बढ़ रही है।
  - **उदाहरण के लिये जनजातीय कला को ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों** पर विपणन किया जाता है, जिससे संस्कृति का बाज़ार-संचालित संस्करण तैयार होता है, जिससे **इसकी दृश्यता** तो बढ़ जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में इसका गहरा अर्थ खो सकता है।
- **मिश्रित पहचान का विकास:** पारंपरिक और आधुनिक पहचान का सम्मिश्रण, विशेष रूप से शहरी केंद्रों में, अधिक स्पष्ट होता जा रहा है।
  - **पश्चिमी फैशन को पारंपरिक भारतीय प्रतीकों (जैसे जींस के साथ बिंदी) के साथ** मिश्रित करने वाले युवा सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण दर्शाते हैं, जिससे संकर पहचान बनती है, जिसे स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
- **उभरती कार्य संस्कृतियाँ:** गीग इकोनॉमी और रिमोट वर्किंग ने कार्य-जीवन संतुलन की परिभाषा को बदल दिया है।
  - यह परिवर्तन पारंपरिक कार्य संरचनाओं को चुनौती देता है तथा कठोर दफ्तर समय-सारणी तथा पदानुक्रम की बजाय समुत्थानशीलता को प्राथमिकता देता है। इससे **समाज में उत्पादकता** की धारणा भी बदल रही है।
- **पारिवारिक गतिशीलता का पुनर्गठन:** एकल परिवारों, एकल अभिभावक वाले घरों और विलंबित विवाहों के बढ़ने के साथ, परिवार की पारंपरिक अवधारणाओं को पुन: परिभाषित किया जा रहा है।
  - **लिव-इन रिलेशनशिप, तलाक और LGBTQ+ अधिकारों** की बढ़ती स्वीकार्यता पारिवारिक संरचनाओं को नया आकार दे रही है तथा विकसित होते सामाजिक ढाँचे पर प्रकाश डाल रही है।
- **व्यक्तिवाद का उदय:** विशेषकर युवा पीढ़ी में **व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति तीव्र** हो रही है।
  - स्वयं की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकल्पों पर बल देना यह दर्शाता है कि **सामुदायिक मूल्यों की अपेक्षा अब व्यक्तिगत पहचान** को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है।
- **वैश्वीकरण और विश्वव्यापीकरण:** यात्रा, मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए **वैश्विक संस्कृतियों के साथ बढ़ती संवाद ने एक कोस्मोपॉलिटन पहचान** को जन्म दिया है।
- इससे कठोर सांस्कृतिक सीमाओं का विघटन हो रहा है और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में तेज़ी आई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इस वैश्विक संपर्क के कारण **सांस्कृतिक पहचान अधिक गतिशील** हो रही है तथा कठोर सांस्कृतिक सीमाएँ समाप्त हो रही हैं, जैसा कि अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है।

हालाँकि, तीव्र परिवर्तनों के बावजूद, पारंपरिक सामाजिक शब्दावली अभी भी भारतीय समाज के कई क्षेत्रों में प्रभावी है जैसे:

- **जाति-आधारित असमानता का कायम रहना:** जबकि आधुनिक भारत लैंगिक समानता और कानूनों को युक्तिसंगत बनाने पर जोर दे रहा है, **जाति-आधारित भेदभाव, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी** पनप रहा है।
  - **भारत के कुछ भागों में अस्पृश्यता की प्रथा का जारी रहना** यह दर्शाता है कि अन्य क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, जाति से संबंधित सामाजिक शब्दावली में काफी हद तक कोई बदलाव नहीं आया है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक पूर्वाग्रह:** गैर-पारंपरिक भूमिकाओं में महिलाओं की शहरी सफलताओं के विपरीत, ग्रामीण भारत में अत्यधिक पितृसत्तात्मक मानसिकता बनी हुई है।
  - शहरों में नेतृत्वकारी पदों पर महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति के बावजूद, **ग्रामीण मानदंड अक्सर महिलाओं** की गतिशीलता और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरियों तक पहुँचने में भारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है तथा वे काफी हद तक घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित रहती हैं।
- **धार्मिक प्रथाओं में सांस्कृतिक रूढ़िवादिता:** भारत का विविध धार्मिक परिदृश्य अभी भी रूढ़िवादी प्रथाओं को अपनाए हुए है, जो परिवर्तन का विरोध करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, युवा पीढ़ी की बदलती आकांक्षाओं के बावजूद, **पारिवारिक नेटवर्क के माध्यम से विवाह की व्यवस्था करने की व्यापक प्रथा** को कई समुदायों में अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है।
  - भारत के विभिन्न भागों में धार्मिक नेता और समुदाय अभी भी काफी प्रभाव रखते हैं।
- **पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं का संरक्षण:** संस्कृति के बढ़ते हुए वस्तुकरण के बावजूद, कई पारंपरिक प्रथाएँ, विशेषकर **कला, नृत्य और त्योहारों से संबंधित प्रथाएँ,** संरक्षित बनी हुई हैं।
  - उदाहरण के लिये, **कथक, भरतनाट्यम और क्षेत्रीय हस्तशिल्प जैसी कलाएँ** अभी भी गहन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व रखती हैं तथा इन्हें महज बाज़ार की वस्तु बनने से रोका जा सकता है।
- **पीढ़ीगत अंतर और आकांक्षाओं में टकराव:** जहाँ शहरी युवा **पीढ़ी भौतिकवादी और उपभोक्तावादी** सोच की ओर झुक रही है, वहीं **पुरानी पीढ़ी अब भी आध्यात्मिक और पारिवारिक मूल्यों** को प्राथमिकता देती है।
- यह पीढ़ीगत टकराव समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों पर चल रही बहसों में स्पष्ट दिखाई देता है।

निष्कर्ष:

एल्विन टॉफलर के शब्दों में, ***"21वीं सदी के निरक्षर वे लोग नहीं होंगे जो पढ़ और लिख नहीं सकते, बल्कि वे लोग होंगे जो सीख नहीं सकते, भूल नहीं सकते और दोबारा नहीं सीख सकते*** **।" यह सामाजिक मानदंडों और उन्हें परिभाषित करने के लिये हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा दोनों में समुत्थान शीलता** की आवश्यकता पर बल देता है, क्योंकि हम एक निरंतर बदलते विश्व के अनुकूल होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति एवं शासन

प्रश्न : अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) भारत सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इस कथन के आलोक में भारत के महान्यायवादी की भूमिका और उत्तरदायित्वों की विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के महान्यायवादी के पद को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ उसका संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- उनकी प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा कीजिये तथा सरकार को सलाह देने और कानूनी मामलों में उसका प्रतिनिधित्व करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत के महान्यायवादी (Attorney General- AG) की नियुक्ति **भारत सरकार के प्रमुख विधिक सलाहकार** के रूप में की जाती है तथा वह **देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी** (अनुच्छेद 76) होता है। महान्यायवादी का मूल कर्त्तव्य **सरकार को विधिक मामलों में सहायता** प्रदान करना, **विधिक परामर्श देना** तथा **सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करना** होता है। इसके अतिरिक्त, वह यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की कार्यवाहियाँ संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप हों।

मुख्य भाग:

भारत के महान्यायवादी की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

- **सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में भूमिका:** भारत का **महान्यायवादी** राष्ट्रपति, सरकार या किसी विभाग द्वारा संदर्भित **विधिक मुद्दों पर परामर्श** प्रदान करता है। ये विधिक राय सरकार की नीतियों के निर्धारण, विधायी प्रारूप के निर्माण तथा विधिक मामलों में सरकारी कार्रवाई के मार्गदर्शन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - अटॉर्नी जनरल/महान्यायवादी, **सरकार की विधिक रणनीति का मार्गदर्शन करने में एक निर्णायक भूमिका** निभाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि **सरकार संवैधानिक मानदंडों का अनुपालन करती है**।
- **न्यायालय में प्रतिनिधित्व:** महान्यायवादी भारत **सरकार का प्रतिनिधित्व** सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में **उन मामलों में करता है जिनमें सरकार पक्षकार होती है** तथा उन्हें **समस्त भारतीय न्यायालयों में उपस्थिति का विशेषाधिकार** प्राप्त होता है।
  - वह संवैधानिक विषयों, लोकहित याचिकाओं, अपीलों एवं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत **राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित किसी भी संदर्भ में सरकार की ओर से पक्ष** रखता है।
- **संसदीय कार्य से संबंधित कर्त्तव्य:** महान्यायवादी **संसद के दोनों सदनों तथा उनकी समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकता है** और वहाँ **विधिक सलाह प्रदान करता है, विधियों की व्याख्या** करता है तथा बहसों के दौरान उठाये गये **विधिक प्रश्नों को स्पष्ट करता है**, हालाँकि उसे **मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है** (अनुच्छेद 88)।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि **संसदीय चर्चाएँ एवं निर्णय विधिसम्मत** हों।
- **स्वतंत्रता एवं जनहित:** यद्यपि महान्यायवादी की **नियुक्ति सरकार द्वारा** की जाती है, तथापि उसे **न्याय के हित में निष्पक्ष रूप से कार्य** करना होता है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के महान्यायवादी के विपरीत, **भारत के महान्यायवादी को विधि प्रवर्तन पर कार्यकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते** और वह **केवल विधिक सलाहकार तथा प्रतिनिधि की भूमिका** में कार्य करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

भारत के महान्यायवादी सरकार की विधिक व्यवस्था में एक केंद्रीय व्यक्ति होता है; उसकी सलाहकार और प्रतिनिधिक भूमिकाएँ सरकार एवं न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। उसके विधिक ज्ञान से शासन-प्रशासन में विधि का शासन बना रहता है तथा यह सुनिश्चित होता है कि सरकार अपनी विधिक सीमाओं के भीतर ही कार्य करे।

प्रश्न : संघवाद की अवधारणा भारत की राजनीतिक संरचना के लिये मौलिक है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में प्रभावी शासन को बढ़ावा देने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संघवाद को परिभाषित कीजिये और भारत की राजनीतिक संरचना में इसका महत्त्व बताएँ।
- विविधता को समायोजित करने, स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ाने और केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए संघवाद किस प्रकार प्रभावी शासन को बढ़ावा देता है, इसका परीक्षण कीजिये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

एसआर बोम्मई मामले (1994) में, सर्वोच्च न्यायालय ने **संघवाद को भारतीय संविधान** की आधारभूत संरचना का हिस्सा माना, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया गया। यह भारत के विषम समाज की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तैयार किया गया है, जो क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करते हुए एकता को बढ़ावा देता है, जिससे क्षेत्रों को अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने और विशिष्ट चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया जाता है।

मुख्य बिंदु:

भारत की राजनीतिक संरचना और शासन में संघवाद की भूमिका:

- **विविधता को समायोजित करना: संघवाद सत्ता के विकेंद्रीकरण की अनुमति** देता है, जिससे राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं, परंपराओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले तरीके से शासन करने में सक्षम बनाया जा सके।
  - **उदाहरण के लिये,** भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 1** भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है तथा विविधता में एकता पर ज़ोर देता है।
    - **आठवीं अनुसूची के अंतर्गत भाषायी राज्यों** का गठन और क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता, सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देकर इस एकता को और मज़बूत करती है।
- **शक्ति वितरण एवं सहभागी लोकतंत्र सुनिश्चित करना:** भारत की संघीय प्रणाली सातवीं अनुसूची में उल्लिखित शक्तियों के विभाजन पर आधारित है, जो **संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची** के बीच शक्तियों का आवंटन करती है।
- संघ सूची केंद्र सरकार को राष्ट्रीय मामलों पर **विशेष विधायी प्राधिकार** प्रदान करती है, **जबकि राज्य सूची यह सुनिश्चित करती है कि राज्यों** का कृषि जैसे **स्थानीय** मुद्दों पर नियंत्रण हो।
- **73वें और 74वें संविधान संशोधनों** ने स्थानीय स्वशासन को शक्तियाँ हस्तांतरित कीं, जिससे **ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र** और **सहभागितापूर्ण लोकतंत्र** मज़बूत हुआ तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित हुआ।
- **राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करना: भारतीय संघवाद** एक मज़बूत केंद्रीय प्राधिकरण को राज्य की स्वायत्तता के सम्मान के साथ जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करता है। यह ढाँचा **राज्य की शक्तियों** को कम किये बिना एकता सुनिश्चित करता है।
  - ***एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)*** में न्यायिक हस्तक्षेप ने **अनुच्छेद 356** के मनमाने उपयोग को सीमित करके संघीय सिद्धांतों की रक्षा की है, जिससे संवैधानिक शासन को मज़बूती मिली।
- **सहकारी संघवाद:** भारत का संघीय ढाँचा सिर्फ **विभाजन के बारे में नहीं है, बल्कि सहयोग** के बारे में भी है। ***सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010)*** ने सहकारी संघवाद पर ज़ोर दिया, जहाँ केंद्र और राज्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये मिलकर कार्य करते हैं।
- **नीति आयोग** की स्थापना सहयोगात्मक शासन पर बढ़ते ज़ोर को दर्शाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अंतर -राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) केंद्र और राज्यों के बीच संवाद** के लिये एक मंच प्रदान करती है, जो चर्चा और आपसी सहमति के माध्यम से मुद्दों को हल करती है।
- **प्रतिस्पर्द्धी संघवाद: 1990 के दशक** के आर्थिक सुधारों के बाद, प्रतिस्पर्द्धी संघवाद की अवधारणा ने **जोर पकड़ा है**। राज्य अब निवेश आकर्षित करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, जिससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति होती है।
- **कारोबार करने में आसानी संबंधी रैंकिंग** और स्वच्छ **भारत रैंकिंग** इस बात के उदाहरण हैं, कि किस प्रकार राज्यों को प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से **शासन और विकास** में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जाता है।
- **राजनीतिक स्थिरता:** संघवाद राज्यों को उनके विशिष्ट मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करने की अनुमति देकर राजनीतिक स्थिरता प्रदान करता है। यह एक केंद्रीय प्राधिकरण में सत्ता के संकेन्द्रण को रोकता है, जो अधिनायकवाद को जन्म दे सकता है।
- **राजनीतिक अशांति या क्षेत्रीय मांगों (गोरखालैंड या विदर्भ)** के समय, संघवाद संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

संघवाद भारत की राजनीतिक स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करता है। यह समावेशिता को बढ़ावा देता है, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मज़बूत करता है। जैसा कि पीएम मोदी ने रेखांकित किया है, संघवाद टीम इंडिया में एक नई साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, जो केंद्र-राज्य संबंधों को बढ़ाता है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण भारत की प्रगति और एकता के लिये महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न : भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका और संस्थागत स्वायत्तता हाल के दिनों में चर्चा का विषय रही है। इसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिये और इसकी स्वायत्तता बढ़ाने के लिये सुधार सुझाइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के महत्त्व और इसके संवैधानिक महत्त्व का परिचय दीजिये।
- इसकी संस्थागत स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली के समक्ष चुनौतियों को उजागर करें तथा इसकी स्वायत्तता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के उपायों की विवेचना कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत के निर्वाचन आयोग, जिसे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व सौंपा गया है (अनुच्छेद 324), को हाल के वर्षों में देश भर के विभिन्न राजनीतिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिक समूहों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के संबंध में कई पहलुओं पर जाँच का सामना करना पड़ा है।

मुख्य भाग:

ECI की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे:

- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** हाल ही में पारित **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)** एवं **चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति अधिनियम** के अनुसार, नियुक्तियाँ एक चयन समिति की अनुशंसा पर की जाती हैं, जो एक जाँच समिति द्वारा तैयार की गई पैनल पर आधारित होती हैं।
  - हालाँकि, इन दोनों समितियों को प्राय: केंद्र सरकार के प्रभाव में माना जाता है।
  - इसके अतिरिक्त, चयन समिति को यह अधिकार है कि वह जाँच समिति की अनुशंसाओं की अनदेखी कर सकती है, जिससे केंद्र सरकार-प्रभावित चयन समिति को अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है।
- **चुनाव आयुक्तों (EC) का कार्यकाल असुरक्षित:** यद्यपि चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु उन्हें वही कार्यकाल-सुरक्षा प्राप्त नहीं है।
  - उन्हें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, जिससे वे कार्यपालिका के दबाव में आने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। जबकि EC को CEC के समान

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन उन्हें कार्यकाल की समान सुरक्षा नहीं है। उन्हें केवल CEC की सिफारिशों के आधार पर हटाया जा सकता है, जिससे वे कार्यकारी दबाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

- **वित्तीय और प्रशासनिक निर्भरता:** न्यायपालिका के विपरीत, निर्वाचन आयोग का व्यय भारत की संचित निधि (CFI) पर सीधे आरोपित नहीं होता, जिससे वह वित्तीय दृष्टि से सरकार पर निर्भर रहता है।
  - इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग चुनाव संचालन हेतु सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहता है, जिससे उसकी वित्तीय स्वायत्तता सीमित हो जाती है।
- **सीमित अधिकार:** राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने के मामले में निर्वाचन आयोग की शक्ति सीमित है, क्योंकि उसे गंभीर उल्लंघनों के लिये दलों को पंजीकरण-रहित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
  - हाल के वर्षों में निर्वाचन आयोग की आलोचना इसलिये हुई है कि वह चुनाव अभियानों के दौरान हेट स्पीच पर रोक लगाने में असफल रहा है, हालाँकि आयोग ने यह कहा है कि इन मामलों में वह 'अधिकांशत: असमर्थ' है।
- **कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र:** निर्वाचन आयोग को चुनावी कानूनों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार तो है, परंतु उसके प्रवर्तन तंत्र को प्राय: कमज़ोर माना जाता है, विशेष रूप से जब बात उच्च-प्रोफाइल राजनेताओं या दलों की हो।
  - इसके अतिरिक्त, उसे आचार संहिता के उल्लंघनों के प्रति 'नि:शक्त दर्शक' तक कहा गया है, क्योंकि उसे विधिक समर्थन प्राप्त नहीं है।
- **चुनावी कदाचार:** इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और VVPAT जैसी तकनीकी प्रगति के बावजूद, फर्ज़ी मतदान, बूथ कैप्चरिंग और मतदान के लिये ज़बरदस्ती या खरीद-फरोख्त जैसी चुनावी धाँधलियाँ अब भी बनी हुई हैं, जो चुनावों की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं।
- **उभरती चुनौतियाँ:** सोशल मीडिया के प्रसार ने निर्वाचन आयोग के समक्ष नयी चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं।
  - फेक न्यूज़ और गलत सूचना के प्रसार ने मतदाताओं के निर्णयों को प्रभावित किया है।
  - डीपफेक तकनीक एवं सोशल मीडिया अभियानों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये और अधिक सशक्त निगरानी की आवश्यकता है, ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे।

भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) की स्वायत्तता को सुदृढ़ करने हेतु सुधार

- अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (वर्ष 2023) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा निर्वाचन आयुक्तों (EC) की नियुक्ति हेतु एक 'कोलेजियम प्रणाली' का समर्थन किया, जो तब तक लागू रहनी चाहिये जब तक संसद इस विषय में नया कानून पारित न कर दे।
  - इस निर्णय में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के प्रधान न्यायाधीश को सम्मिलित कर कोलेजियम की रूपरेखा प्रस्तावित की गई।
- **कार्यकाल की सुरक्षा:** चुनाव आयुक्तों की निष्कासन प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होनी चाहिये, जैसा कि **255वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश** की गई है, ताकि स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षा मिले।
- **संस्थागत स्वायत्तता:** निर्वाचन आयोग की कार्यात्मक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता को मज़बूती देने हेतु एक पृथक तथा स्वतंत्र सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिये, जैसा कि 255वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में भी अनुशंसित किया गया है।
- **विधिक एवं प्रवर्तन शक्तियों को सुदृढ़ करना:** निर्वाचन आयोग को अधिक विधिक अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये, जैसे— राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति तथा आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन पर विधिक कार्रवाई करने की क्षमता। इससे आयोग की चुनावी कदाचार पर निर्णायक कार्यवाही की क्षमता बढ़ेगी।
- **ECI को अवमानना शक्ति:** निर्वाचन आयोग ने समय-समय पर यह माँग उठाई है कि उसे अवमानना की शक्ति प्रदान की जाये ताकि दुर्भावनापूर्ण आलोचनाओं एवं निराधार आरोपों को रोका जा सके जो राजनीतिक दलों या नेताओं द्वारा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने हेतु लगाये जाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रौद्योगिकी का समावेश:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा विश्लेषण तकनीकों का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर घृणा-भाषण और झूठी ख़बरों की पहचान की जा सकती है।
  - इसके अतिरिक्त, मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक मज़बूत बनाने के लिये चेहरे की पहचान (Facial Recognition) और आधार-लिंक्ड मतदाता पहचान प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है जिससे फर्जी मतदान को रोका जा सके।
- **समावेशी मतदान प्रणाली:** आंतरिक प्रवास से प्रभावित क्षेत्रों में मतदाता भागीदारी बढ़ाने हेतु विशेष उपाय किये जाने चाहिये।
  - प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु 'रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' (RVM) का परीक्षण किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

लोकतंत्र की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बने रहें, ECI की स्वायत्तता को मज़बूत करना आवश्यक है। ECI की स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली को मज़बूत करने के लिये, स्वतंत्र नियुक्ति प्रक्रिया जैसे सुधारों को लागू करना, इसकी कानूनी एवं प्रवर्तन शक्तियों को बढ़ाना तथा उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न : "भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक संकीर्ण प्रक्रियात्मक गारंटी से मौलिक अधिकारों के व्यापक दायरे में बदल दिया है।" प्रासंगिक केस कानूनों के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर को सर्वोच्च न्यायालय के एक उद्धरण के साथ प्रस्तुत कीजिये।
- मुख्य क्षेत्रों और प्रासंगिक मामले कानूनों पर जोर देते हुए अनुच्छेद 21 के विस्तार पर गहराई से विचार कीजिये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रुख अनुच्छेद 21 के विस्तार को दर्शाता है, जिसमें कहा गया है, **"जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी मानव अधिकारों में सबसे प्रमुख है जो केवल अस्तित्व के बारे में नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने के बारे में है।"**

- इसने प्रक्रियात्मक से मौलिक अधिकारों (अर्थात, केवल कानूनी प्रक्रियाओं में ही नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन और निष्पक्षता सुनिश्चित करना) की ओर बदलाव को चिह्नित किया, जिससे भारत में मौलिक अधिकारों का दायरा व्यापक हो गया।

मुख्य भाग:

अनुच्छेद 21 का विस्तार: प्रमुख क्षेत्र और प्रासंगिक मामले

- **अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उचित प्रक्रिया का परिचय:**
  - **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)** में, न्यायालय ने **"कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के साथ-साथ "कानून की उचित प्रक्रिया"** के सिद्धांत को पेश करके **अनुच्छेद 21** के दायरे का विस्तार किया।
    - इस बदलाव ने यह सुनिश्चित किया कि कानून और उनका क्रियान्वयन न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिये, न कि केवल कानूनी स्वरूप में।
    - ***इसके अलावा, समता बनाम आंध्र प्रदेश (1997)*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार **केवल जीवित रहने से कहीं अधिक** है, इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, बुनियादी जीविका, आश्रय और अन्य सभी तत्व शामिल हैं जो जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाते हैं।
  - **निहितार्थ:** इसके द्वारा मनमाने कार्यों के **विरुद्ध संरक्षण को शामिल करने** के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे का विस्तार किया।
- **नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं त्वरित सुनवाई का अधिकार:**
  - ***हुसैनारा खातून बनाम बिहार* (1979) मामले** में न्यायालय ने घोषणा की कि त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अधिकार का हिस्सा है, जिससे विचाराधीन कैदियों की लंबे समय तक हिरासत में रखने की समस्या का समाधान किया गया।

- **इसमें नागरिकों के बीच न्याय के प्रभावी प्रशासन और समानता के लिये नि:शुल्क कानूनी सहायता** पर भी ज़ोर दिया गया।

- **निहितार्थ:** इस फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करती है, जिससे न्याय तक समय पर पहुँच सुनिश्चित होती है।

मनमाने ढंग से हिरासत से सुरक्षा का अधिकार:

- ***प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन*** **(1980) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी कैदी को हथकड़ी लगाना **अनुच्छेद 21** का उल्लंघन है, जब तक कि ऐसी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिये कोई असाधारण कारण न हो।
- **निहितार्थ:** निर्णय में कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा इस बात पर बल दिया गया कि अपमानजनक व्यवहार के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

आजीविका का अधिकार:

- ***ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन*** **(1985) मामले** में न्यायालय ने फैसला दिया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि व्यक्ति आजीविका कमाने के साधन के बिना सम्मान के साथ नहीं रह सकता है।
- **निहितार्थ:** इस मामले में यह माना गया कि जीवन के अधिकार में जीविकोपार्जन का अधिकार भी शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लोगों को मनमाने ढंग से उनकी आजीविका से वंचित नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से बेदखली का सामना कर रहे झुग्गीवासियों के मामले में।

शिक्षा का अधिकार:

- ***मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य*** **(1992) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता प्रदान की तथा यह अनिवार्य किया कि राज्य को सभी नागरिकों, विशेषकर बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिये।
- **निहितार्थ:** इस मामले ने **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)** के लिये आधार तैयार किया, जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी प्रदान करता है तथा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है।

आश्रय का अधिकार:

- ***चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** **(1996)** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आश्रय का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है तथा इस बात की पुष्टि की कि प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक अस्तित्व के लिये बुनियादी आवश्यकता के रूप में अपने सिर पर छत का अधिकार है।
- **निहितार्थ:** इस निर्णय ने किफायती आवास सुनिश्चित करने की राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित किया, विशेष रूप से समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिये।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार:

- ***विशाखा बनाम राजस्थान राज्य*** **(1997)** में, न्यायालय ने फैसला दिया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इस तरह के उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश दिया।
- **निहितार्थ:** इस निर्णय के परिणामस्वरूप विशाखा दिशा-निर्देश तैयार किये गए, जो बाद में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का आधार बने।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पर्यावरण और स्वस्थ जीवन का अधिकार:**
  - ***एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ*** **(1986) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण को जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करते हुए स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को इसमें शामिल कर दिया।
  - **निहितार्थ:** यह मामला जीवन के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में स्वस्थ पर्यावरण और वायु गुणवत्ता के अधिकार के इर्द-गिर्द न्यायशास्त्र बनाने में सहायक था।
- **ट्रांसजेंडर के अधिकार:**
  - ***नालसा बनाम भारत संघ*** **(2014) मामले** में, सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता दी तथा पुष्टि की कि उनके जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार और ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।
  - **निहितार्थ:** यह निर्णय संविधान के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये समानता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसने सम्मान और स्वतंत्रता की परिभाषा का विस्तार किया है।
- **व्यभिचार और समलैंगिकता का वैधीकरण:**
  - ***जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ*** **(2019)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार को अपराध से मुक्त कर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन था।
  - ***इसी तरह, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ*** **(2019)** में, न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराधमुक्त कर दिया, तथा LGBTQ+ व्यक्तियों के सम्मान के साथ और भेदभाव से मुक्त होकर जीने के अधिकार को स्वीकार किया।
  - **निहितार्थ:** इन निर्णयों ने पुष्टि की कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में व्यक्तिगत संबंधों और यौन अभिविन्यास में हस्तक्षेप के बिना अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता शामिल है।
- **गोपनीयता का अधिकार:**
  - **के.एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ गया।
  - **निहितार्थ:** इस फैसले ने पुष्टि की कि **प्रत्येक व्यक्ति को गोपनीयता का अधिकार है, जिसमें व्यक्तिगत डेटा** और किसी व्यक्ति के शरीर, पहचान और रिश्तों के बारे में निर्णयों की सुरक्षा (जिसके कारण डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 बना) शामिल है, जो अनुचित राज्य हस्तक्षेप से सुरक्षित है।

निष्कर्ष:

अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय अधिकारों को मान्यता देकर, न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि **प्रत्येक व्यक्ति सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के साथ जीवन जिये** तथा जीवन का अधिकार **केवल पशुवत अस्तित्व तक सीमित नहीं रहना चाहिये, जैसा कि *फ्रांसिस कोरली बनाम यू.टी. ऑफ दिल्ली मामले*** में पुष्टि की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के संदर्भ में विदेश नीति उपागम के रूप में भारत द्वारा सॉफ्ट पावर के उपयोग की विवेचना कीजिये। भारत की वैश्विक स्थिति और प्रभाव को बढ़ाने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सॉफ्ट पावर की अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके महत्त्व का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- विदेश नीति उपागम के रूप में भारत के प्रमुख सॉफ्ट पावर टूल्स पर (विशेष रूप से बहुध्रुवीय विश्व के संदर्भ में) चर्चा कीजिये तथा इस बात पर प्रकाश डालिये कि ये उपागम किस प्रकार भारत की वैश्विक स्थिति और प्रभाव को बढ़ाते हैं।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

एक सतत् रूप से बहुध्रुवीय बनती जा रही विश्व व्यवस्था में **भारत ने अपनी विदेश नीति में सॉफ्ट पावर को एक मूलभूत तत्त्व के रूप में रणनीतिक रूप से अपनाया है।** जोसेफ नाई के अनुसार, **सॉफ्ट पावर का तात्पर्य** है — **आकर्षण और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, न कि बल प्रयोग से।** भारत की सॉफ्ट पावर इसकी समृद्ध सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मान्यताओं तथा सामरिक प्रयासों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इसका एक प्रमुख उदाहरण योग का वैश्विक प्रचार है, जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' की स्थापना के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति के वैश्विक मंच पर दर्शाया गया है।

मुख्य भाग:

विदेश नीति उपागम के रूप में भारत द्वारा अपने सॉफ्ट पावर का प्रयोग:

- **सांस्कृतिक कूटनीति:** भारत की **सॉफ्ट पावर का सबसे प्रमुख पहलू 'योग'** है, जिसकी वैश्विक लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने **21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** घोषित किया है।
  - **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)** जैसी पहलों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार ने **भारत की वैश्विक आकर्षण-क्षमता को बढ़ाया** है।
  - अपने **संगीत और नृत्य** के माध्यम से बॉलीवुड का वैश्विक प्रभाव, विशेषकर दक्षिण एशिया एवं अन्य क्षेत्रों में, भारत की आकर्षण शक्ति को सुदृढ़ करती है।
    - **भारतीय भोजन अपने समृद्ध स्वाद एवं विविधता** के कारण विश्वभर में लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है।
- **मानवतावादी मूल्य एवं वैश्विक शासन:** बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म जैसे प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में निहित **अहिंसा, शांति एवं सहिष्णुता की भारत की दर्शन-प्रेरित विचारधारा** ने उसे वैश्विक शासन-व्यवस्था में **एक नैतिक नेतृत्वकर्त्ता** के रूप में स्थापित करने में सहायता की है।
  - **शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व** के प्रति भारत की प्रतिबद्धता तथा इसकी विदेश नीति में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (अर्थात् – 'समस्त विश्व एक परिवार है।') एवं गुटनिरपेक्षता का जो आग्रह रहा है, वह समकालीन वैश्विक समुदाय को गहराई से प्रभावित करता है।
- **विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय:** विश्व का सबसे बड़ा **भारतीय प्रवासी समुदाय**, जिसकी संख्या वर्ष 2024 में लगभग 35.4 मिलियन रही, **भारत की वैश्विक प्रभाव-क्षमता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
  - ये प्रवासी भारतीय **विदेशों में भारतीय त्योहारों, मूल्यों और व्यवसायों को बढ़ावा** देकर **सांस्कृतिक अग्रदूत** के रूप में कार्य करते हैं। वे निवेश, व्यापार और **प्रेषण के माध्यम से योगदान** करते हैं, जो वर्ष 2024 में **रिकॉर्ड 129.1 बिलियन डॉलर** तक पहुँच गया, जो किसी भी देश के समुदाय द्वारा प्राप्त अब तक की सर्वाधिक राशि है।
  - इसके अतिरिक्त, वे **भारत के हितों की वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व कर राजनयिक संबंधों को सशक्त करते हैं।**
- **आर्थिक कूटनीति:** भारत की **तीव्र आर्थिक प्रगति तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** के रूप में उसकी स्थिति (विशेष रूप से **सूचना प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में**, जहाँ इसे एक **दक्ष और अंग्रेज़ी-भाषी कार्यबल** का समर्थन प्राप्त है) भारत की **वैश्विक उपस्थिति को सुदृढ़ करती है।**
- **बहुपक्षीय कूटनीति:** भारत **BRICS, संयुक्त राष्ट्र तथा G-20 जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका** निभाते हुए **जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास और शांति-स्थापना जैसे वैश्विक मुद्दों को बढ़ावा** देता है।
  - वह अफ्रीका, दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को **विकास सहायता और तकनीकी सहयोग** भी प्रदान करता है।
  - भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन जैसे उपक्रम **साउथ-साउथ कोऑपरेशन** के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं तथा उसे एक उत्तरदायी वैश्विक अभिकर्त्ता के रूप में इसकी छवि को प्रतिष्ठित करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को बढ़ाने में भारत की सॉफ्ट पावर की भूमिका:

- **अग्रदूत के रूप में भूमिका:** दक्षिण एशिया में भारत का नेतृत्व इसकी विदेश नीति के लिये महत्त्वपूर्ण है। **गुजराल सिद्धांत** जैसे सिद्धांतों में निहित भारत की **'बिग ब्रदर रोल'** अर्थात् **अग्रज के रूप में भूमिका** छोटे **पड़ोसी देशों को एकतरफा सहायता देने** और **पारस्परिकता की अपेक्षा न रखने पर बल** देती है।
  - इससे भारत की छवि एक **शांतिदूत और क्षेत्रीय स्थायित्व के संरक्षक** के रूप में सुदृढ़ होती है।
- **क्षेत्रीय विवादों का समाधान:** श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में भारत की सक्रिय मध्यस्थता ने न केवल उसकी क्षेत्रीय प्रभावशीलता को प्रबल किया है, बल्कि **दक्षिण एशिया में एकीकरण एवं स्थिरता** को भी प्रोत्साहित किया है।
- **सामरिक प्रभाव:** अमेरिका, रूस और चीन जैसे **वैश्विक शक्तियों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी** उसकी **कूटनीतिक एवं रणनीतिक क्षमता में निरंतर वृद्धि** को दर्शाती है। साथ ही, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की माँग इसके वैश्विक शासन-सुधारों के साथ अपनी आकांक्षाओं के संयोजन का संकेत देती है।
- **जन कूटनीति:** जनसंपर्क आधारित कूटनीति, शैक्षिक सहयोग और सांस्कृतिक आयोजनों जैसे: **भारतीय फिल्म महोत्सवों एवं छात्रवृत्तियों के माध्यम से भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को और भी व्यापक बनाया है।**

भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिये चुनौतियाँ और सुझाए गए उपाय

चुनौतियाँ	काबू पाने के उपाय
आंतरिक सामाजिक-आर्थिक मुद्दे	सॉफ्ट पावर कूटनीति को बढ़ाने के लिये समावेशी विकास नीतियों के माध्यम से **गरीबी, असमानता और सामाजिक तनावों का समाधान** करना।
अपर्याप्त वित्तपोषण	SPV के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति में **निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना**।
दक्षिण एशिया से परे विस्तार करने में आने वाली चुनौतियाँ	**अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोपीय देशों** में क्षेत्रीय सहयोग, शैक्षिक पहल एवं व्यावसायिक सहयोग के माध्यम से **द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा** देना।

निष्कर्ष:

भारत के लिये आंतरिक चुनौतियों को पार करना तथा दक्षिण एशिया से परे अपनी प्रभावक्षमता का विस्तार करना, वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में उसकी निरंतर सफलता हेतु अनिवार्य है। एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, **भारत की विदेश नीति में उसकी 'सॉफ्ट पावर' का रणनीतिक उपयोग आगामी दशकों में भी एक महत्त्वपूर्ण उपागम** बना रहेगा।

प्रश्न : भारत एक तेजी से जटिल और गतिशील भू-राजनीतिक वातावरण का सामना कर रहा है। चर्चा कीजिये कि भारत किस प्रकार अपनी बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- वैश्विक भू-राजनीति में भारत की स्थिति तथा सामरिक स्वायत्तता के साथ बहुपक्षवाद को संतुलित करने के महत्त्व का परिचय दीजिये।
- उन प्रमुख बहुपक्षीय मंचों पर चर्चा कीजिये जहाँ भारत शामिल है, साथ ही भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा पर भी प्रकाश डालिये तथा चर्चा कीजिये कि भारत किस प्रकार बहुपक्षीय सहयोग और रणनीतिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखता है।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

"भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य भारतीय जनता की सेवा करना है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिये हम जो कुछ भी आवश्यक होगा, वह करेंगे।" – एस. जयशंकर।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत की विदेश नीति बहुपक्षीय सहयोग और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाये रखती है। एक बहुध्रुवीय विश्व में उभरती शक्ति के रूप में भारत वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी करता है, साथ ही अपनी नीतियों को राष्ट्रीय हितों के अनुरूप निर्धारित करने की स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है।

मुख्य भाग:

परिवर्तित भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत की बहुपक्षीय भागीदारी

- **BRICS और G20:** भारत BRICS और G20 जैसे वैश्विक मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये मंच भारत को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने संबंध मज़बूत करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले वैश्विक मुद्दों पर अपनी चिंताओं को सामने रखने का माध्यम भी बनते हैं।
  - वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को वैश्विक मंच पर विशेष स्थान दिलवाकर यह दर्शाया कि वह विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है।
- **क्वाड:** भारत की अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक मंच 'क्वाड' में भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि वह क्षेत्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने, 'मुक्त एवं समावेशी इंडो-पैसिफिक' क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव का संतुलन साधने के प्रति प्रतिबद्ध है।
- **शंघाई सहयोग संगठन (SCO):** SCO में भारत की भागीदारी क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करती है।
  - SCO भारत को **चीन और रूस दोनों के साथ जुड़ने का अवसर** प्रदान करता है, जिससे मध्य एशिया में उसके हितों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ **जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता का प्रबंधन भी संभव** हो सकेगा।
- **संयुक्त राष्ट्र एवं वैश्विक संस्थाएँ:** भारत संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं का एक सक्रिय सदस्य है तथा उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की लगातार मांग की है ताकि यह संस्था वर्तमान वैश्विक यथार्थ का अधिक बेहतर प्रतिनिधित्व कर सके।
  - भारत की जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वार्ताओं में सक्रिय भूमिका तथा 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' जैसे प्रयास यह दर्शाते हैं कि वह वैश्विक चुनौतियों से निपटने हेतु गंभीर और सक्रिय है।
- **जलवायु परिवर्तन और व्यापार:** भारत जलवायु वार्ताओं और विश्व व्यापार संगठन (WTO) से जुड़ी चर्चाओं में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है ताकि वैश्विक आर्थिक ढाँचे विशेषत: जलवायु न्याय एवं व्यापार असंतुलन के संदर्भ में विकासशील देशों की आवश्यकताओं को समुचित स्थान मिल सके।

बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में रणनीतिक स्वायत्तता:

- **विदेश संबंधों में स्वतंत्रता:** भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परंपरा, शीतयुद्ध काल की गुटनिरपेक्ष नीति में निहित रही है, जो आज भी उसके प्रमुख शक्तियों से स्वतंत्र संवाद जैसे: — अमेरिका से आर्थिक और रणनीतिक सहयोग, रूस से रक्षा तथा ऊर्जा संबंध तथा चीन से सीमाई तनावों के बावजूद संवाद, के रूप में जारी है।
  - पश्चिमी देशों से अपने संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए भी भारत ने रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को बनाए रखा है।
- **स्वतंत्र रक्षा नीति:** भारत की **रक्षा खरीद** रणनीति इसकी रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाती है। भारत ने रक्षा उपकरणों के **अपने स्रोतों में विविधता लाकर फ्राँस से राफेल जेट, अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीदे** हैं और **रूस के साथ अपना रक्षा सहयोग जारी** रखा है।
  - यह विविधीकरण भारत को किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से बचने में मदद करेगा, साथ ही अपनी रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाएगा।
- **आर्थिक और व्यापारिक संबंध:** वर्ष 2019 में **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)** से हटने का भारत का निर्णय आर्थिक मामलों में उसकी **रणनीतिक स्वायत्तता का उदाहरण** है, जिसमें चीन के प्रभुत्व वाले बहुपक्षीय व्यापार ब्लॉक में शामिल होने की तुलना में घरेलू आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी गई।
  - यह निर्णय स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा तथा यह सुनिश्चित करने के लिये लिया गया कि भारत की आर्थिक नीतियाँ लचीली बनी रहें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिवर्तित भू-राजनीतिक परिदृश्य में बहुपक्षीयता और स्वायत्तता के बीच संतुलन:

- **सूक्ष्म संतुलन:** रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत ने रूस तथा पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों में एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखा है। भारत ने एक ओर रूस के साथ अपनी सहभागिता जारी रखी है, वहीं दूसरी ओर युद्ध के दुष्परिणामों पर चिंता व्यक्त करते हुए शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह भी किया है।
  - इसी प्रकार, भारत ने वर्ष 2023 में हमास द्वारा किये गये हमले की भर्त्सना कर इज़रायल के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट की, साथ ही फलस्तीनी मुद्दे पर दो-राष्ट्र समाधान की शांतिपूर्ण दिशा में प्रयास का समर्थन कर संतुलित रुख अपनाया।
- **मध्य पूर्व कूटनीति:** भारत की 'I2U2' (भारत, इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका) समूह में सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि वह मध्य-पूर्व में अपने सामरिक हितों को संतुलित रूप से साध रहा है। भारत एक ओर इस्राइल के साथ मज़बूत संबंध बनाए रखता है, तो दूसरी ओर ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह जैसे परियोजनाओं के माध्यम से अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को भी कायम रखे हुए है।
  - भारत ने एक ओर **इज़रायल के साथ मज़बूत संबंध बनाए रखे हैं,** साथ ही **ईरान के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों** (चाबहार बंदरगाह जैसी पहल के माध्यम से) **को भी बनाए रखा** है।

निष्कर्ष:

भारत की विदेश नीति बहुपक्षीय सहयोग और सामरिक स्वायत्तता के मध्य एक संतुलित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को चाहिये कि वह इस संतुलन को और अधिक परिष्कृत करता रहे, ताकि वह अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके तथा एक पारस्परिक रूप से जुड़ी हुई विश्व व्यवस्था में अपनी संप्रभुता बनाए रख सके।

प्रश्न : G7 के साथ भारत की भागीदारी किस तरह से उसकी वैश्विक कूटनीतिक आकांक्षाओं और रणनीतिक स्वायत्तता में योगदान करती है? वैश्विक दक्षिण में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को बनाए रखते हुए G7 की प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- G7 और ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संपर्क के बारे में जानकारी देते हुये अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये
- G7 के साथ भारत के जुड़ाव पर गहराई से विचार कीजिये: कूटनीतिक आकांक्षाओं में योगदान
- G7 प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाने में चुनौतियों को उजागर करें और उपाय सुझाएँ
- किसी प्रासंगिक उद्धरण के साथ निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

यद्यपि **भारत** G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी कनाडा में आयोजित **होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2025 जैसे शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्रों में इसकी लगातार उपस्थिति** इसके सामरिक महत्त्व को रेखांकित करती है।

- साथ ही, **भारत का वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन** विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की उसकी प्रतिबद्धता को और स्पष्ट करता है।
- **यह भागीदारी भारत की वैश्विक कूटनीतिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और इसकी सामरिक स्वायत्तता की सुरक्षा** के बीच एक संतुलन स्थापित करती है।

मुख्य भाग:

G7 के साथ भारत की सहभागिता: कूटनीतिक आकांक्षाओं में योगदान

- **वैश्विक कूटनीतिक दृश्यता:** G7 में भारत की भागीदारी, विश्व नेताओं के साथ सीधे संपर्क स्थापित करते हुए, वैश्विक दक्षिण की एक महत्त्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने के लिये एक स्थान प्रदान करती है।
- इस भागीदारी के माध्यम से भारत एक आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में अपनी उन्नति प्रदर्शित करता है।
  - हालिया शिखर सम्मेलन के दौरान, **भारतीय प्रधानमंत्री मोदी** ने वैश्विक दक्षिण की चिंताओं, जैसे ऊर्जा सुरक्षा और एकतरफा प्रतिबंधों के आर्थिक परिणामों को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **रणनीतिक साझेदारियाँ:** एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में, G7 के साथ भारत के संबंध **वैश्विक शासन** में इसकी भूमिका को मजबूत करने में मदद करते हैं।
  - वैश्विक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक न्याय पर भारत की आवाज बहुपक्षीय वार्ताओं में महत्त्वपूर्ण होती है।
  - **यह महत्त्वपूर्ण खनिजों**, **ऊर्जा संक्रमण** और **साइबर सुरक्षा** जैसे मामलों पर G7 देशों के साथ भारत के सहयोग में परिलक्षित होता है।
- **वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीति को आकार देना:** भारत की आर्थिक वृद्धि G7 देशों से कहीं अधिक है, जो **वैश्विक आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र** में प्रमुख भूमिका निभाता है।
- **विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था** के रूप में, G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी, अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यापार प्रथाओं को आगे बढ़ाने, **विश्व व्यापार संगठन** जैसी **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग करने** तथा वैश्विक दक्षिण को लाभ पहुँचाने वाली नीतियों का समर्थन करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करती है।
- **चीन के प्रभाव का मुकाबला करना:** G7 में भारत की भागीदारी से उसकी **चीन विरोधी** रणनीति को भी मजबूती मिलेगी।
- चूँकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के कारण तनाव बढ़ रहा है, इसलिये भारत स्वयं को चीन की ऋण-जाल कूटनीति के लिये एक **विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित** कर रहा है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में।
- G7 देशों के साथ जुड़ने से भारत को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों और सेक्टरों में **चीन के प्रभाव को संतुलित करने** का अवसर मिलता है।

G7 प्राथमिकताओं के साथ तालमेल स्थापित करने के समक्ष चुनौतियाँ:

हालाँकि **G7 में भारत की भागीदारी** अनेक महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, लेकिन यह कुछ **चुनौतियाँ** भी लेकर आती है, विशेष रूप से **वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व** की भूमिका तथा **पश्चिमी देशों की प्राथमिकताओं** के बीच संतुलन बनाए रखने में।

- **जलवायु परिवर्तन और विकासात्मक आवश्यकताएँ:** जबकि **G7 तीव्र डीकार्बोनाइज़ेशन पर जोर दे** रहा है, भारत को अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा।
- **चूँकि भारत और उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीविका के लिये जीवाश्म ईंधन पर** निर्भर है, इसलिये भारत के समक्ष जलवायु कार्रवाई और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने से संबंधित चुनौती है।
- **सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना:** भारत की **सामरिक स्वायत्तता** इसकी विदेश नीति के प्रमुख स्तंभों में से एक है।
  - भारत की **स्वतंत्र विदेश नीति और रूस-यूक्रेन संघर्ष** पर इसकी सूक्ष्म स्थिति कभी-कभी इसे **G7** प्राथमिकताओं के साथ असंगत बना देती है, जहाँ पश्चिमी देश रूस के कार्यों की कड़ी निंदा करते हैं।
- **घरेलू बाधाएँ और वैश्विक अपेक्षाएँ:** भारत को वैश्विक संवादों में भाग लेते हुए आर्थिक असमानता, बुनियादी ढाँचे की कमी और गरीबी उन्मूलन जैसी **घरेलू चुनौतियों** का भी समाधान करना होगा।
  - वैश्विक शासन में **वैश्विक दक्षिण के अधिक प्रतिनिधित्व** के लिये भारत के प्रयास को **लगातार घरेलू सुधारों द्वारा समर्थित** किया जाना चाहिये (**विशेष रूप से शासन, जलवायु परिवर्तन और व्यापार के क्षेत्रों में**), जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित हों।
- **द्विपक्षीय तनाव: G7 में भारत की भागीदारी** कुछ **G7** देशों, विशेष रूप से **कनाडा के साथ तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों** के संदर्भ में भी होती है, जो **खालिस्तानी अलगाववादी** आंदोलन जैसे मुद्दों के कारण है।
- यद्यपि भारत **G7** के साथ संपर्क बनाए हुए है, लेकिन इस तरह के तनाव उसकी कूटनीतिक स्थिति को जटिल बनाते हैं।

भारत की सामरिक स्वायत्तता और **G7** में उसकी बढ़ती भागीदारी के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये निम्नलिखित कूटनीतिक उपायों पर विचार किया जा सकता है:

- **बहुपक्षीय कूटनीति को बढ़ावा देना:** **G7** के अलावा, भारत को अपने कूटनीतिक प्रभाव को मज़बूत करने के लिये **संयुक्त**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

राष्ट्र, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिये, ताकि जलवायु परिवर्तन, व्यापार और सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर उसकी आवाज सुनी जा सके, **साथ ही वैश्विक दक्षिण** में अपने नेतृत्व को मज़बूत किया जा सके।

- **रणनीतिक द्विपक्षीय संबंध:** भारत को G7 देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, साथ ही **रचनात्मक वार्ता और कूटनीतिक माध्यमों से प्रमुख मतभेदों** को दूर करना चाहिये।
  - इससे कनाडा के साथ तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है, साथ ही विदेश नीति के निर्णयों में भारत की स्वायत्तता भी बनी रहेगी।
- **जलवायु कूटनीति और सतत् विकास: भारत को G7 के भीतर जलवायु कार्रवाई के लिये अधिक समावेशी और न्यायसंगत दृष्टिकोण का समर्थन** करनी चाहिये तथा वैश्विक **डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों** को वैश्विक दक्षिण की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के महत्त्व पर बल देना चाहिये।
  - वैश्विक चर्चाओं में **"जलवायु न्याय" की अवधारणा को बढ़ावा देकर** इसे हासिल किया जा सकता है।
- **अनुकूल विदेश नीति:** भारत को एक सूक्ष्म विदेश नीति बनाना चाहिये जो उसे पश्चिमी और गैर-पश्चिमी दोनों देशों के साथ जुड़ने के अनुकूल हो तथा **व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता** जैसे क्षेत्रों में अपने हितों को संतुलित कर सके।
  - **कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा** कि भारत **वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका** और विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठा सकता है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करना: भारत को मज़बूत दक्षिण-दक्षिण सहयोग और साझेदारी को** बढ़ावा देकर विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना जारी रखना चाहिये।
  - इन संबंधों को सुदृढ़ करके, भारत एक **सामूहिक आवाज का निर्माण कर सकता है जो वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं** के अनुरूप हो और इस प्रकार यह सुनिश्चित कर सके कि G7 के साथ उसकी भागीदारी इन क्षेत्रों में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका को कमज़ोर न करे।

निष्कर्ष

सा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उचित रूप से कहा है कि **"आज के समय में 'इंडिया वे' (The India Way) का मतलब केवल तटस्थ रहने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला और आकार देने वाला होना चाहिये।"** यह बयान G7 के साथ भारत की भागीदारी के दृष्टिकोण (व्यावहारिक, सिद्धांत-आधारित और वैश्विक कूटनीति के भविष्य को आकार देने की दिशा में अग्रसर) को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। G7 के आउटरीच सत्रों में भाग लेकर, भारत न केवल अपनी राजनयिक स्थिति को सुदृढ़ करता है, बल्कि वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को भी प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है।

सामाजिक न्याय

प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में, भारतीय न्यायपालिका की सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भूमिका तथा इनकी व्याख्याओं ने समाज के वंचित वर्गों के लिये नीतियों को किस प्रकार आकार प्रदान किया है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सामाजिक न्याय को परिभाषित कीजिये तथा इसमें न्यायपालिका की भूमिका को संक्षेप में समझाएँ।
- भारत में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों तथा संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या ने वंचित वर्गों के लिये नीतियों में किस तरह योगदान दिया है, पर चर्चा कीजिये।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में न्यायपालिका को मज़बूत करने के लिये चुनौतियों और उपायों पर प्रकाश डालिये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, **आरक्षण, महिला अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा पर ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से वंचित समुदायों के लिये सामाजिक न्याय** को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। **न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिकाओं और संविधान की प्रगतिशील व्याख्याओं** के माध्यम से, इसने विशेष रूप से कोविड महामारी जैसी चुनौतियों के दौरान अधिक समानता और जवाबदेही सुनिश्चित की है, जिससे समावेशी समाज को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका मज़बूत हुई है।

मुख्य बिंदु:

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका की भूमिका:

- **संविधान का संरक्षक:** सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि विधि और कार्यकारी कार्रवाई संविधान के अनुरूप हों, **न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से इसने असंवैधानिक संशोधनों और कानूनों** को रद्द कर दिया है।
- **उदाहरण के लिये *केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)* मामले में आधारभूत संरचना की अवधारणा** प्रस्तुत की गई, जिससे संविधान की लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय संबंधी विशेषताओं की रक्षा हुई।
- **मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन: अनुच्छेद 32 और 226** नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिये सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से संपर्क करने का अधिकार देते हैं।
- ***उदाहरण के लिये मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)* में**, न्यायालय ने **अनुच्छेद 21 की व्याख्या को व्यापक बनाते हुए** यह सुनिश्चित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल **न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रियाओं** के माध्यम से ही सीमित किया जा सकता है।
- **इसने सम्मान के साथ जीने के अधिकार** के विस्तार की नींव रखी, जिसका प्रभाव बाद में शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और गोपनीयता पर दिये गए निर्णयों पर पड़ा।
- **लैंगिक और यौन अल्पसंख्यकों के लिये सामाजिक न्याय:** न्यायपालिका ने **LGBTQIA+ समुदायों** और **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष आने वाले मुद्दों** को संबोधित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा सामाजिक भेदभाव को सीधे चुनौती दी है।
  - ***नालसा बनाम भारत संघ (2014) में, सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों*** को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की तथा संविधान के तहत **समानता, सम्मान और सामाजिक न्याय** के उनके अधिकारों की पुष्टि की।
  - ***नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में,* धारा 377** के तहत **समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करना** LGBTQIA + **समुदाय** के लिये **सामाजिक न्याय** की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
    - **धारा 377** को पढ़कर न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं माने जाएंगे तथा **LGBTQIA+ समुदाय** को कानून के तहत **समान अधिकार और सुरक्षा** प्रदान की जाएगी।
- **सकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 15 और 16):** न्यायपालिका ने **आरक्षण नीतियों को कायम रखने और परिष्कृत** करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **उदाहरण** के लिये, ***इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ* (1992)** में, न्यायालय ने **OBC आरक्षण** को बरकरार रखा, लेकिन उसे **50% तक सीमित** कर दिया तथा **क्रीमी लेयर** को इससे बाहर रखा, इस प्रकार सामाजिक न्याय और समानता के बीच संतुलन स्थापित किया गया।
- ***एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006)* ने SC/ST के लिये पदोन्नति** में आरक्षण की पुष्टि की, लेकिन कमज़ोर वर्गों पर मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता थी, जिससे मूलभूत समानता के सिद्धांत को बल मिला।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- हाल ही में ***पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह एवं अन्य मामले*** में न्यायालय ने फैसला दिया कि **अनुसूचित जातियों (SC) के भीतर उप-वर्गीकरण** स्वीकार्य है, जिससे SC श्रेणी के भीतर अधिक पिछड़े समूहों को अलग से आरक्षण आवंटित करने की अनुमति है।

- **न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाएँ:** जनहित याचिकाएँ समाज के गरीब और हाशिये पर पड़े वर्ग के लिये न्याय सुलभ बनाने में सहायक रही हैं।
- ***उदाहरण के लिये, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)*** में न्यायालय ने **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न** को रोकने, विधायी शून्यता को भरने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये दिशा-निर्देश जारी किये।
- ***बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984) मामले*** में न्यायालय ने **अनुच्छेद 21** के अर्थ का विस्तार करते हुए **बंधुआ मजदूरों** के अधिकारों को बरकरार रखा।

वंचित समुदायों पर प्रभाव:

- **समानता और सम्मान:** न्यायपालिका ने **समानता की अवधारणा** का लगातार विस्तार किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वंचित वर्गों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए।
  - **अनुच्छेद 14** और **अनुच्छेद 15** के माध्यम से न्यायालय ने SC, SC और OBC जैसे समुदायों को लाभ पहुँचाने वाली **सकारात्मक कार्रवाई नीतियों** को बरकरार रखा है।
- **अधिकारों का संरक्षण: अनुच्छेद 21** की व्यापक व्याख्या की गई है, जिसमें **स्वास्थ्य देखभाल**, **शिक्षा** और **सम्मानजनक जीवन के अधिकार** शामिल हैं, जिससे बुनियादी ज़रूरतों तक पहुँच सुनिश्चित करके हाशिये पर पड़े समूहों या वंचित वर्गों को लाभ मिलता है।
  - **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)** इस व्याख्या के महत्त्वपूर्ण परिणाम हैं।
- **शिक्षा और रोज़गार के माध्यम से सशक्तीकरण:** न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया है कि **सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों को बेहतर शिक्षा** और **रोज़गार के अवसर** प्राप्त हो सकें।

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में न्यायपालिका के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ:

- **लंबित मामले और न्याय में देरी:** भारत की न्यायपालिका पर लंबित मामलों का बोझ बहुत ज़्यादा है, विभिन्न अदालतों में **3.5 करोड़** से ज़्यादा मामले लंबित हैं। **मामलों के समाधान में देरी से हाशिये** पर रहने वाले समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से जाति-आधारित भेदभाव, लैंगिक हिंसा, भूमि विवाद और श्रम अधिकारों के मामलों में न्याय की मांग करने वाले लोगों पर।
- **संसाधन की कमी:** भारतीय न्यायपालिका को **संसाधनों की गंभीर कमी का सामना** करना पड़ रहा है, जिसमें अपर्याप्त न्यायाधीश, भीड़भाड़ वाले न्यायालय और पुराना बुनियादी ढाँचा शामिल है। न्यायिक कर्मियों की कमी के कारण मामलों के लिये लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, खासकर आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में।
- **न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही:** न्यायिक नियुक्तियों के लिये **कॉलेजियम प्रणाली को पारदर्शिता** की कमी, न्यायपालिका के भीतर विविधता और वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व को सीमित करने हेतु आलोचना का सामना करना पड़ा है।
- इसके अलावा, न्यायिक आचरण के संबंध में मज़बूत जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति ने न्यायिक प्रणाली की अखंडता और दक्षता पर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में न्यायपालिका को मज़बूत करने के उपाय:

- **न्याय प्रदान करने में तेजी लाना: ई-कोर्ट, वर्चुअल सुनवाई और फास्ट-ट्रैक अदालतों का उपयोग** करने से लंबित मामलों में काफी कमी आ सकती है, साथ ही ये तकनीकी नवाचार ग्रामीण और दूरदराज के समुदायों के लिये अदालतों को अधिक सुलभ बना देंगे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **न्यायिक बुनियादी ढाँचे में वृद्धि:** न्यायाधीशों की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे को दूर करने के लिये, **न्यायिक भर्ती और अदालत के बुनियादी ढाँचे** में निवेश में व्यवस्थित वृद्धि होनी चाहिये, विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में।
  - **जनजातीय, दलित और महिला-केंद्रित न्यायालयों** के लिये लक्षित संसाधन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वंचित वर्गों कुशल न्याय प्राप्त हो।
- **समावेशिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** कॉलेजियम प्रणाली की समीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि न्यायिक नियुक्तियों में लिंग, जाति और क्षेत्रीय विविधता का पर्याप्त प्रतिनिधित्त्व हो। जवाबदेही के लिये स्पष्ट मानदंड और प्रक्रियाएँ भी न्यायिक प्रणाली में जनता का भरोसा और विश्वास बढ़ाएँगी।
- **कानूनी सहायता सेवाओं को मज़बूत करना:** कानूनी सहायता संबंधी सेवाओं का विस्तार करना और यह सुनिश्चित करना कि वे हाशिये पर पड़े समूहों के लिये सुलभ और महत्त्वपूर्ण हो। सरकार द्वारा समर्थित **निःशुल्क कानूनी सेवाएँ** और कानूनी अधिकार के बारे में जागरूकता अभियान चलाना।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय के दायरे का लगातार विस्तार किया है कि नीतियाँ और कानून **समावेशी, न्यायसंगत** तथा हाशिये पर पड़े वर्गों की ज़रूरतों के अनुरूप हों। इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने में इसकी भूमिका महत्त्वपूर्ण बनी हुई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत सभी के लिये न्याय और समानता के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : भारत की आर्थिक वृद्धि रोज़गार सृजन और समान आय वितरण सुनिश्चित करने में असमान रही है। इस असमानता में योगदान देने वाले संरचनात्मक मुद्दों की विवेचना कीजिये और सुधारात्मक उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के आर्थिक विकास और समाज के सभी वर्गों में समान विकास सुनिश्चित करने की चुनौती का परिचय दीजिये।
- गरीबी, बेरोज़गारी, क्षेत्रीय असमानताएँ और आय असमानता जैसे संरचनात्मक मुद्दों की व्याख्या कीजिये और सुधारात्मक उपाय सुझाएँ।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये

परिचय:

भारत के विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद, इसकी **आर्थिक वृद्धि व्यापक रोजगार सृजन और समान आय वितरण में परिवर्तित** होने में असफल रही है। यह असमानता **भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक अक्षमताओं** के प्रति गंभीर चिंताएँ खड़ी करती है। धन का केंद्रीकरण, अनौपचारिक श्रम बाजार और सामाजिक बहिष्कार जैसे कारक विकास की पहुँच को सीमित करते रहते हैं, जिससे विकास असंतुलित और अपवर्जक बना हुआ है।

मुख्य भाग:

असमानता में योगदान देने वाले संरचनात्मक मुद्दे:

- **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** भारत का **90% से अधिक** कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें **नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ और उचित वेतन** का अभाव है। यह क्षेत्र पर्याप्त रूप से विनियमित नहीं है, जिससे वेतन वृद्धि और सामाजिक गतिशीलता की इसकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **कृषि पर निर्भरता: भारत की लगभग आधी आबादी (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 46%)** अभी भी कृषि पर निर्भर है, जिसमें **धीमी वृद्धि और कम उत्पादकता** देखी गई है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में **अल्परोज़गार और कम आय** होती है।
  - आधुनिकीकरण और निवेश के मामले में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि श्रमिकों को कम मज़दूरी प्राप्त होती है।
- **सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी: स्वास्थ्य सेवा पर जेब** से अधिक खर्च के कारण, लगभग **63 मिलियन भारतीय** प्रत्येक वर्ष गरीबी में धकेल दिये जाते हैं। FAO (2023) के अनुसार, लगभग 74% आबादी स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकती है, जो मौजूदा कल्याणकारी उपायों की अपर्याप्तता को दर्शाता है।
- **जेंडर पे गैप: 81.8% महिलाएँ अनौपचारिक** क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहाँ उन्हें पुरुषों की तुलना में काफी कम वेतन प्राप्त होता है। लैंगिक आधार पर आय में भारी असमानता देखी जाती है, पुरुष कुल श्रम आय का **82% अर्जित** करते हैं, जबकि महिलाएँ केवल 18% ही कमा पाती हैं **(वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट के अनुसार)।**
- **धन संकेंद्रण:** आय असमानता का माप, **गिनी गुणांक**, बढ़ रहा है, जो आर्थिक लाभ के वितरण में बढ़ती असमानता की ओर इशारा करता है।
  - देश की शीर्ष 1% आबादी के पास देश की 53% संपत्ति है, जबकि सबसे निचले **50%** के पास केवल **4.1%** संपत्ति है, जिससे **आय असमानता** बनी हुई है।
  - वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट के अनुसार, **निचले 50% आबादी की आय का हिस्सा घटकर केवल 13%** रह गया है, जो आर्थिक विषमता का संकेत देता है।
- **कौशल विकास का अभाव:** देश की जनसंख्या युवाओं से भरपूर होने के बावजूद, शिक्षा प्रणाली और आर्थिक आवश्यकताओं के बीच भारी अंतर है।
  - विशेष रूप से **विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में, कौशल विकास बाज़ार** की माँग के अनुसार नहीं हो पाया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

समावेशी विकास के लिये सुधारात्मक उपाय:

- **कृषि उत्पादकता में वृद्धि: आधुनिक कृषि तकनीकों** और **प्रौद्योगिकी** में निवेश से किसानों की कृषि उत्पादकता और मज़दूरी में सुधार हो सकता है।
  - **फसलों में विविधता लाने**, बाज़ार तक पहुँच उपलब्ध कराने एवं **किसान सहकारी समितियों को मज़बूत** बनाने से असमान विकास को कम करने में मदद मिलेगी।
- **श्रम सुधारों को मजबूत करना: न्यूनतम मज़दूरी कानूनों** का प्रवर्तन सुनिश्चित करना और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये **व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना उनकी आजीविका में सुधार के लिये** आवश्यक है।
  - SME को मज़बूत करने से रोज़गार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, विशेषकर ग्रामीण और अर्द्ध-कुशल श्रमिकों के लिये।
- **प्रगतिशील कर सुधार: संपत्ति और विरासत** कर लागू करने से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पोषण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को वित्तपोषित करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिये, **अरबपतियों पर मामूली 1-2% संपत्ति कर** से सार्वजनिक कल्याण योजनाओं का समर्थन करने और आर्थिक अंतर को कम करने के लिये पर्याप्त राजस्व उत्पन्न हो सकता है।
- **सामाजिक बुनियादी ढाँचे का विस्तार: गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा** तक सार्वभौमिक पहुँच मानव पूंजी के निर्माण और दीर्घकालिक असमानता को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **मनरेगा** जैसी योजनाओं में निवेश बढ़ाने से रोज़गार को बढ़ावा मिल सकता है तथा वित्तीय समावेशन के लिये PMGDISHA जैसी **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ आय** असमानताओं को कम करने में सहायक हो सकती हैं।
- **महिलाओं को सशक्त बनाना:** महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिये शिक्षा, ऋण और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच बढ़ाना समावेशी विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **समावेशी शासन: पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों** जैसे स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने से **विकेंद्रीकृत, आवश्यकता-आधारित नियोजन** और अधिक जवाबदेह शासन सुनिश्चित होता है।
  - **क्षेत्रीय असंतुलन** को कम करने के लिये, सरकार को बुनियादी ढाँचे में निवेश करना चाहिये, कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिये तथा **SEZ और औद्योगिक गलियारों जैसी पहलों के माध्यम** से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिये, जिससे रोज़गार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

भारत की आर्थिक वृद्धि में सतत् और समावेशी दोनों होने की क्षमता है, लेकिन **संरचनात्मक चुनौतियों** का समाधान करना न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने की कुंजी है। केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से, भारत इन चुनौतियों पर काबू पा सकता है तथा एक ऐसी अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित क्र सके।

प्रश्न : भारत के संवहनीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में हरित निवेश की भूमिका का आकलन कीजिये। वर्ष 2070 तक भारत अपने 'नेट-ज़ीरो' उत्सर्जन लक्ष्य के संदर्भ में पर्यावरणीय संधारणीयता को आर्थिक विकास के साथ किस प्रकार एकीकृत कर सकता है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में हरित निवेश की वर्तमान स्थिति और स्थिरता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख विकासों का उल्लेख करते हुए परिचय दीजिये।
- भारत के संवहनीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में हरित निवेश की भूमिका पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- संक्षेप में बताइये कि हरित निवेश में वृद्धि के बावजूद, विकास और स्थिरता के बीच संघर्ष अभी भी जारी है।
- पर्यावरणीय संधारणीयता को आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

भारत में हरित ऋणों (ग्रीन बॉन्ड्स) में हो रही वृद्धि (वर्ष 2023 में जुटाये गये 21 अरब डॉलर) यह दर्शाती है कि संवहनीय अर्थव्यवस्था की दिशा में हरित निवेशों के माध्यम से वित्तीय प्रतिबद्धता लगातार बढ़ रही है।

- साथ ही, 'रेवा सौर ऊर्जा पार्क' जैसी सफल परियोजनाएँ भारत को वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर कर रही हैं, जिससे **संवहनीयता आर्थिक विकास का केंद्रीय पक्ष** बनती जा रही है।

मुख्य भाग:

भारत की संवहनीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में हरित निवेश की भूमिका:

- **प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना:** वर्ष 2021-22 में **हरित वित्त का सबसे बड़ा भाग, लगभग 47% प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा क्षेत्र को** प्राप्त हुआ।
  - इन निवेशों ने न केवल नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता का विस्तार किया है और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को घटाया है, बल्कि निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने के साथ-साथ बिजली की लागत को भी कम किया है।
- **संवहनीय अवसंरचना और हरित शहरीकरण:** भारत के तीव्र नगरीकरण को देखते हुए संवहनीय अवसंरचना की आवश्यकता है और इस दिशा में हरित वित्त एक महत्त्वपूर्ण प्रेरक बन कर उभरा है।
  - 'स्मार्ट सिटीज़ मिशन' के लिये 86 अरब डॉलर से अधिक की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें बड़ी मात्रा में निधियाँ निम्न-कार्बन शहरी अवसंरचना परियोजनाओं में लगाई जा रही हैं।
    - उदाहरण के लिये, **स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत इंदौर शहर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिये हरित वित्त का उपयोग किया** है, जिससे कार्बन क्रेडिट उत्पन्न हो रहे हैं।
- **हरित निवेश के माध्यम से जलवायु अनुकूलन और समुत्थानशीलन:** हरित निवेश जल प्रबंधन तथा आपदा तैयारी जैसे क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन को सुदृढ़ करने में भी सहायक सिद्ध हो रहा है।
  - 'राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष' (NAFCC) ने ऐसी अनेक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी है, जो जलवायु सहनशीलता को बढ़ाने में सहायक हैं।
- **कार्बन बाज़ार और ग्रीन बॉण्ड:** ग्रीन बॉण्ड, कार्बन क्रेडिट और अन्य बाज़ार-आधारित वित्तीय उपकरणों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने वाली परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है।
  - पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत भारत एक घरेलू कार्बन बाज़ार विकसित कर रहा है, ताकि उत्सर्जन में लागत-प्रभावी कमी सुनिश्चित की जा सके।
    - उदाहरण के लिये, वर्ष 2010 से 2022 के दौरान भारत ने 278 मिलियन कार्बन क्रेडिट जारी किये, जो वैश्विक आपूर्ति का 17% है।
- **संवहनीय कृषि और जैवविविधता संरक्षण:** हरित वित्त का उपयोग जलवायु-संवेदनशील कृषि पद्धतियों और जैवविविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये भी किया जा रहा है।
  - इसके अतिरिक्त, अक्तूबर 2023 में प्रारंभ 'ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम' जैसे नवाचारों के माध्यम से अनुपजाऊ भूमि पर वृक्षारोपण जैसे स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे 'ग्रीन क्रेडिट' उत्पन्न होते हैं।

हालाँकि 'हरित ऋण कार्यक्रम' भारत की संवहनीय अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसरता को गति दे रहा है, तथापि विकास और संरक्षण प्रयासों के संतुलन को लेकर कई महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **वनों की कटाई और निवास-स्थलों का क्षय:** तीव्र नगरीकरण और अवसंरचना विकास के कारण वन क्षेत्र तेजी से घट रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और आवश्यक पारिस्थितिक सेवाएँ बाधित हो रही हैं।
  - FAO के अनुसार, वर्ष 2015 से 2020 के दौरान **भारत में प्रतिवर्ष 668 हेक्टेयर वन का ह्रास** हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **औद्योगिकीकरण से उत्पन्न वायु प्रदूषण:** औद्योगिक विकास के चलते वायु प्रदूषण गंभीर रूप ले चुका है जिससे जनस्वास्थ्य पर संकट उत्पन्न हो रहा है।
  - वर्ष 2023 में **विश्व के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में** भारत के 39 शहर शामिल थे, जिनमें **दिल्ली और कानपुर प्रमुख** हैं।
- **जल संकट और अत्यधिक दोहन:** कृषि और उद्योग के लिये भू-जल का अत्यधिक उपयोग जल-संसाधनों के क्षरण का कारण बन रहा है।
  - भारत के **लगभग 70-80% किसान सिंचाई के लिये भू-जल पर निर्भर** हैं, जिससे पंजाब और हरियाणा में जलभृतों का क्षरण हो रहा है।
- **भूमि क्षरण और मृदा अपरदन:** असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ और भूमि उपयोग की अस्थिर नीतियाँ मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण तथा कृषि उत्पादकता में गिरावट का कारण बन रही हैं।
  - भारत की लगभग 30% भूमि क्षरित है और 10 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र भूमि क्षरण से प्रभावित है।
- **जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएँ:** विकास कार्यों से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है, जिससे जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएँ बढ़ी हैं।
  - वर्ष 2023 में भारत का उत्सर्जन 6.1% बढ़ा और उसने वैश्विक उत्सर्जन में 8% का योगदान दिया। उसी वर्ष 92 में से 85 दिन देश ने चरम मौसमी घटनाओं जैसे बाढ़ और लू का सामना किया।

अत: पर्यावरणीय संधारणीयता को आर्थिक विकास के साथ अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करना अनिवार्य है। इसके लिये निम्न प्रयास आवश्यक हैं —

- **सतत नगरीकरण और जलवायु-सहनीय अवसंरचना:** शहरी नियोजन में हरित अवसंरचना, ऊर्जा-कुशल भवन और शून्य-अपशिष्ट नीतियों को सम्मिलित किया जाना चाहिये। मिश्रित भूमि उपयोग, ऊर्ध्वाधर हरित स्थलों तथा सहनीय अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
  - 'स्मार्ट सिटीज़ मिशन' जैसे प्रयासों को जलवायु-सहनीय प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा चालित सार्वजनिक परिवहन के साथ जोड़ा जाना चाहिये।
- **वन संरक्षण और समुदाय-आधारित वनीकरण:** प्रतिपूरक वनीकरण नियमों का कठोर प्रवर्तन और पारिस्थितिकीय क्षतिपूर्ति की निगरानी को सशक्त बनाया जाना चाहिये।
  - जैवविविधता और आजीविका को बढ़ाने हेतु समुदाय-आधारित वनीकरण तथा कृषि-वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।
- **सुदृढ़ पर्यावरणीय शासन और हरित वित्तपोषण:** 'पर्यावरण प्रभाव आकलन' (EIA) प्रक्रियाओं को प्रत्येक चरण में जन-परामर्श द्वारा मज़बूत किया जाना चाहिये।
  - भारत की ग्रीन बॉण्ड निर्गमन में अग्रणी भूमिका का लाभ उठाकर नवीकरणीय परियोजनाओं हेतु हरित वित्तपोषण का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **समेकित जल संसाधन प्रबंधन:** जल वितरण में समानता हेतु वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और जलभृत पुनर्भरण की रणनीति अपनायी जानी चाहिये।
  - ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसे जल-संरक्षण तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - कृषि और औद्योगिक आवश्यकताओं में संतुलन हेतु पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र विकास को लागू किया जाना चाहिये।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था और सतत् उपभोग:** अपशिष्ट में न्यूनता और संसाधनों के न्यूनतम दोहन हेतु परिपथीय अर्थव्यवस्था का ढाँचा तैयार किया जाना चाहिये।
  - 'विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व' (EPR), विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और बड़े पैमाने पर कम्पोस्टिंग को एकीकृत कर संरचनात्मक बदलाव लाया जाना चाहिये।
- **व्यवहार परिवर्तन और ज़मीनी स्तर पर संवहनीयता:** ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट-पृथक्करण और सतत् उपभोग के लिये जन-जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - विद्यालयों और स्थानीय शासन संस्थाओं में पारिस्थितिक साक्षरता कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिये।
  - विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण हेतु स्वयं-सहायता समूहों (SHG) को सशक्त किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

भारत के 'पंचामृत लक्ष्यों' के अनुरूप सरकार एक 'राष्ट्रीय हरित वित्तपोषण संस्था' की स्थापना कर रही है, जिसका उद्देश्य हरित निवेश को सुगम बनाना और वित्तीय लागत को कम करना है। यह पहल न केवल सतत् विकास लक्ष्यों— **SDG7** (सस्ती और प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा), **SDG13** (जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई) और **SDG9** (उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएँ) को समर्थन देगी, बल्कि भारत को निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर तीव्र गति से ले जायेगी, जिससे ऐसा सतत् विकास सुनिश्चित होगा जो 'जनता, लाभ और प्रकृति' इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित करे।

प्रश्न : राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर संभावित प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। यह पहल इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कैसे बढ़ा सकती है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के परिचय के साथ अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के संभावित प्रभाव बताइए।
- इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
- सुझाव दीजिये कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के साथ भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता कैसे बढ़ाई जा सकती है।
- प्रासंगिक सतत् विकास लक्ष्यों से जोड़ते हुए निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM) का उद्देश्य व्यापार को आसान बनाकर, कुशल कार्यबल विकसित करके, एमएसएमई को समर्थन देकर तथा स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को प्रोत्साहित करके भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव लाना है।

मुख्य भाग:

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का संभावित प्रभाव:

- **नीतिगत समर्थन के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि:** व्यापार विनियमन को आसान बनाने और नीतिगत सहायता प्रदान करने पर मिशन का ध्यान भारत के विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PIL) योजना ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है, फॉक्सकॉन** और **विस्ट्रॉन** जैसी कंपनियाँ भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही हैं।
- **उद्योग 4.0 के लिये कुशल कार्यबल का निर्माण:** भविष्य के लिये तैयार कार्यबल विकसित करने पर मिशन का ज़ोर उच्च तकनीक विनिर्माण के लिये आधार प्रदान करेगा। भारत के तकनीकी क्षेत्र, विशेष रूप से **इलेक्ट्रॉनिक्स** में, इसी तरह की अपस्किलिंग पहलों के कारण वृद्धि देखी गई है।
  - उदाहरण के लिये, भारत के **सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम** जैसी पहलों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण बढ़ावा मिल रहा है, जिसने चिप विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण के लिये 76,000 करोड़ रुपए ($ 9 बिलियन) निर्धारित किये हैं।
- **MSME और नवाचार के लिये समर्थन:** MSME पर मिशन का विशेष ध्यान विनिर्माण में उनके योगदान को बढ़ाने में मदद करेगा।
  - **MSME ऋण गारंटी को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने** से इन उद्यमों को परिचालन बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिये आवश्यक पूंजी तक पहुँच में मदद मिलेगी।
  - इसके अतिरिक्त, वस्त्र उद्योग के लिये भारत की **PIL योजना** ने पहले ही इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया है, जो लक्षित नीतिगत उपायों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

हालाँकि, इसमें अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन **वैश्विक मंच पर भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिये कई चुनौतियों का समाधान** करना आवश्यक है, जैसे:

- **लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ:** प्रगति के बावजूद, भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वैश्विक मानकों की तुलना में काफी अधिक है।
  - **आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23** के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद का **14-18%** है, जबकि **अमेरिका और जर्मनी** जैसे विकसित देशों में यह लगभग **8%** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- बंदरगाहों पर देरी, जैसा कि **मुंबई बंदरगाह** में देखा गया, समय पर डिलीवरी को प्रभावित करती है, जिससे भारत की वैश्विक मांग को प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से पूरा करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है।

- **कौशल अंतराल और श्रम चुनौतियाँ:** भारत का विनिर्माण क्षेत्र महत्त्वपूर्ण कौशल असंतुलन का सामना कर रहा है।
  - **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)** के अनुसार, **AI-संचालित उत्पादन** और **सेमीकंडक्टर निर्माण** जैसे विनिर्माण क्षेत्रों में 29 मिलियन कुशल श्रमिकों की कमी है।
  - **PMKVY** (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना है, लेकिन अंतर अभी भी बहुत बड़ा है।

- **आयात पर निर्भरता और भू-राजनीतिक जोखिम:** आयात पर भारत की भारी निर्भरता, विशेष रूप से **चीन से**, इसकी आपूर्ति शृंखला की समुत्थानशीलता को कमज़ोर करती है।
  - उदाहरण के लिये भारत **अपनी 70% सक्रिय औषधि सामग्री (PIL) का आयात** चीन से करता है।
  - वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान, जैसा कि **अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध** के दौरान देखा गया, ने भारत की कमज़ोरी को उजागर किया है।

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना:

- **उच्च तकनीक विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित:** NMM **अर्द्धचालक, EV और नवीकरणीय ऊर्जा** प्रौद्योगिकियों जैसे **उच्च तकनीक उद्योगों में विकास** को बढ़ावा देकर भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ा सकता है।
  - **EV क्षेत्र** में, भारत पहले से ही **FAME II योजना** जैसी पहलों से लाभान्वित हो रहा है, जिसके कारण **टेस्ला और BYD** जैसी कंपनियों से महत्त्वपूर्ण निवेश प्राप्त हुआ है।

- **वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकरण: घरेलू उत्पादन को मज़बूत करके, विशेष रूप से सौर विनिर्माण** और **हरित हाइड्रोजन** जैसे क्षेत्रों में, भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है तथा अपनी निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ा सकता है।
  - उदाहरण के लिये **सौर विनिर्माण के लिये PIL योजना ने पहले ही भारतीय सौर निर्माता संघ (ISMA)** से निवेश आकर्षित किया है, जिससे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिला है और चीनी सौर पैनलों पर निर्भरता कम हुई है।

- **अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना:** NMM का **नवाचार** और **अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने** से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है।
  - **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा वर्ष 2023** में किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिक वाहनों में **भारत की पेटेंट फाइलिंग** में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अनुसंधान एवं विकास में वृद्धि का संकेत है।

निष्कर्ष:

इस पहल को **SDG-9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचे के साथ जोड़कर** सतत् विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने सटीक रूप से कहा है, **"मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड"**, यह मिशन भारत को विनिर्माण में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम है, जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा दोनों को बढ़ावा देगा।

जैवविविधता और संरक्षण

प्रश्न : भारत में जैवविविधता और जलवायु परिवर्तन पर वनों की कटाई के प्रभाव पर चर्चा कीजिये, इन प्रभावों को कम करने के लिये सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- वनों की कटाई और जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन पर इसके परिणामों को परिभाषित कीजिये।
- परीक्षण कीजिये कि निर्वनीकरण किस प्रकार भारत की जैवविविधता को प्रभावित करती है और जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है तथा वनों की कटाई के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालिये।
- संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिये और उपाय सुझाते हुए निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

वनों की कटाई, बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण, भारत में जैवविविधता और जलवायु-परिवर्तन के लिये गंभीर परिणाम हैं। इससे **प्राकृतिक आवास का ह्रास** होता है, **पारिस्थितिकी तंत्र बाधित** होता है और **कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि** होती है। वनों की कटाई को रोकने और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कई पहल शुरू की गई हैं।

जैवविविधता और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव:

- **जैवविविधता का ह्रास:** भारत में वनों की कटाई में तेज़ वृद्धि देखी गई, जो **384,000 हेक्टेयर (वर्ष 1990-2000) से बढ़कर 668,400 हेक्टेयर** (2015-2020) हो गई, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक वृद्धि को दर्शाती है। इस वृद्धि के कारण बड़े पैमाने पर **आवास का ह्रास** हुआ है, जिससे **देश की समृद्ध जैवविविधता के लिये गंभीर खतरा** उत्पन्न हो गया है।
  - **वैश्विक जैवविविधता के 8% का आवास** होने के बावजूद भारत में **बंगाल टाइगर और भारतीय गैंडे** जैसी प्रजातियों की संख्या में तीव्र गिरावट देखी जा रही है।
  - लुप्तप्राय सुंदरबन बाघों के लिये महत्त्वपूर्ण सुंदरबन मैंग्रोव वनों की कटाई और बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण तेज़ी से लुप्त हो रहे हैं।
- **मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण:** वन मृदा को स्थिर रखने और अपरदन को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। **राजस्थान और गुजरात** जैसे क्षेत्रों में, जहाँ कृषि और शहरीकरण के लिये वनों को काटा जा रहा है, **मृदा अपरदन में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि** हुई है।
  - उदाहरण के लिये, **अरावली पर्वतमाला,** जहाँ कभी घने जंगल थे, अब रेगिस्तान बनने की ओर अग्रसर है, जिससे कृषि भूमि का क्षरण हो रहा है।
- **जलवायु परिवर्तन में योगदान:** वन महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक हैं, जो बड़ी मात्रा में CO_2 **को अवशोषित करते हैं** और इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करते हैं।
  - **भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)** के अनुसार, भारत के वनों ने वर्ष 2019 में 9.12 बिलियन टन CO_2 अवशोषित किया। हालाँकि, वनों की कटाई से **वायुमंडल में भारी मात्रा में संग्रहीत कार्बन** उत्सर्जित हो रहा है।
    - **जैवविविधता के हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई** हुई है, जिसके **परिणामस्वरूप लगभग 222,000 टन CO_2 उत्सर्जन** हुआ है।
- **जल चक्र में व्यवधान:** पश्चिमी घाट में वनों की कटाई के कारण मानसून की वर्षा में कमी आई है तथा जल धारण क्षमता कम होने के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
  - हिमालय की तलहटी में वनों की कटाई से बर्फ पिघलने पर असर पड़ रहा है, जो **गंगा के प्रवाह में लगभग 10% योगदान** देता है। इस क्षेत्र में बर्फ की मात्रा में गिरावट, जो अब औसत से 17% कम है, जल की उपलब्धता को खतरे में डाल रही है, जिससे कृषि और जल विद्युत पर असर पड़ रहा है।

वन संरक्षण से संबंधित सरकारी पहल

- **ग्रीन इंडिया मिशन: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना** के तहत शुरू किये गए इस मिशन का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना, बिगड़े पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करना और कार्बन सिंक को बढ़ाना है।
- **राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP):** NAP **वनरोपण और पुनर्वनरोपण प्रयासों पर केंद्रित** है ताकि वनों की कटाई के प्रभाव को कम करने और निर्वनीकरण जनित नुकसान वाले क्षेत्रों में वनों को पुनर्स्थापित किया जा सके।
- **वन संरक्षण अधिनियम (वर्ष 1980):** इस अधिनियम का उद्देश्य वनों की कटाई को नियंत्रित करना और स्थायी वन प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह गैर-वनीय उद्देश्यों के लिये वन भूमि को हस्तांतरित करने के लिये केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य करता है।
- **प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA):** प्रतिपूरक वनरोपण के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का प्रबंधन करने, पुनर्वनरोपण प्रयासों और वन संरक्षण का समर्थन करने के लिये CAMPA की स्थापना की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **संयुक्त वन प्रबंधन (JFM):** यह पहल स्थानीय समुदायों को वनों का प्रबंधन और संरक्षण करने के लिये प्रोत्साहित करती है, जिससे वन संसाधनों का सतत् उपयोग सुनिश्चित होता है, साथ ही अवैध वनों की कटाई को रोका जाता है।

निष्कर्ष:

भारत में **वनों की कटाई का जैवविविधता और जलवायु परिवर्तन पर हानिकारक प्रभाव** पड़ता है। हालाँकि सरकार ने **ग्रीन इंडिया मिशन व CAMPA** जैसी पहलों के माध्यम से **वनों की कटाई को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति** की है, लेकिन वन प्रबंधन में सुधार, **वनीकरण को बढ़ाने एवं संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को मज़बूत करने के लिये और अधिक प्रयासों की आवश्यकता** है।

प्रश्न : "हिमालय केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, बल्कि एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पर्यावरण, जैव विविधता और आजीविका के लिये अत्यंत आवश्यक है।" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के महत्त्व की संक्षेप में चर्चा कर उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- इस बात पर तर्क दीजिये कि पर्यावरण, जैव विविधता और आजीविका को बनाए रखने के लिये यह क्यों महत्त्वपूर्ण है।
- पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ाने के लिये चुनौतियों और उपायों के बारे में जानकारी देकर उत्तर को समाप्त कीजिये।

परिचय:

"हिमालय केवल पर्वत शृंखला नहीं है, यह हमारे जल, संस्कृति और जलवायु की जड़ें हैं"। जल के भंडार के रूप में कार्य करने से लेकर अद्वितीय प्रजातियों के लिये विविध आवास प्रदान करने तक, हिमालय केवल एक भौगोलिक अवरोध नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन्त पारिस्थितिक तंत्र हैं जो जीवन और समृद्धि को संजोए हुए हैं।

मुख्य भाग:

पर्यावरण को बनाये रखने के लिये महत्त्वपूर्ण:

- **जलवायु विनियमन और मानसून सहायता:** हिमालय **ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को रोककर जलवायु विनियमन** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस प्रकार यह पूरे क्षेत्र को **ठंडे रेगिस्तान में बदलने से रोकता** है।
  - इसके अतिरिक्त, पर्वत शृंखला **नमी से भरी मानसूनी हवाओं** को रोकती है, जिससे भारत में मानसूनी बारिश होती है, जो कृषि के लिये अत्यंत आवश्यक है।
  - इस प्रणाली में कोई भी व्यवधान, जैसे कि **हिमनदों का पिघलना या वनों की कटाई,** सीधे तौर पर मानसून के पैटर्न को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप अनियमित मौसम और सूखा जैसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं।
- **जल आपूर्ति और जल विज्ञान संबंधी महत्त्व: हिमालय गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु** जैसी प्रमुख नदियों का स्रोत है, जो सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - ये नदियाँ **उपजाऊ मैदानों की मिट्टी** को भी समृद्ध करती हैं, जिससे कृषि उत्पादकता सुनिश्चित होती है।

जैव विविधता को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण:

- **जैवविविधता हॉटस्पॉट:** हिमालय में लगभग **3,160 दुर्लभ और स्थानिक पौधों** की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें पारंपरिक चिकित्सा के लिये महत्त्वपूर्ण मूल्य वाले औषधीय पौधे भी शामिल हैं।
  - इस क्षेत्र में **हिम तेंदुआ, लाल पांडा और हिमालयी ताहर** जैसे अद्वितीय वन्यजीव भी पाए जाते हैं, जो इसे विश्व के जैवविविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक बनाते हैं।
  - **उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों** तक के विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों में वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की समृद्ध विविधता पाई जाती है, जो इस क्षेत्र को वैश्विक जैवविविधता के लिये महत्त्वपूर्ण बनाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पारिस्थितिक सेवाएँ और कार्बन पृथक्करण:** हिमालय के वन **महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो** बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं।
  - इनका संरक्षण क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन और वैश्विक पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।

आजीविका को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण:

- **कृषि और जल निर्भरता:** उपजाऊ मिट्टी और हिमालय की नदियों का पानी **उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कृषि को सहायता प्रदान** करते हैं।
  - लाखों किसान चावल, गेहूँ और गन्ना जैसी फसलों के लिये हिमालय से प्राप्त जल और उपजाऊ भूमि पर निर्भर हैं।
  - उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में कृषि पद्धतियाँ उस क्षेत्र के पिघले हुए हिमनदों से प्रभावित **मौसमी चक्रों से गहराई से** जुड़ी हुई हैं।
- **पारिस्थितिकी पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था:** हिमालय पारिस्थितिकी पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, जो **केदारनाथ, बद्रीनाथ और शिमला** जैसे स्थलों पर प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है।
  - पर्यटन क्षेत्र न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देता है बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर भी प्रदान करता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और सतत् प्रथाएँ:** हिमालयी क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, विशेषकर जल विद्युत के लिये अपार संभावनाएँ हैं।
  - नदियों और झरनों की प्रचुरता के कारण, जलविद्युत इस क्षेत्र के लिये एक स्थायी ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकता है।
  - अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य पहले से ही लोहित बेसिन में **13,000 मेगावाट जलविद्युत समझौते जैसी परियोजनाओं के माध्यम** से इस क्षमता का दोहन कर रहे हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और स्थानीय विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

निष्कर्ष:

हिमालय पर्यावरण, जैव विविधता और लाखों आजीविकाओं का समर्थन करने वाला एक महत्त्वपूर्ण जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। हालाँकि, **जलवायु-जनित आपदाएँ, असंवहनीय विकास और जैवविविधता हानि जैसी चुनौतियाँ इसकी समुत्थानशीलता** को खतरे में डालती हैं। इनसे निपटने के लिये एक संतुलित और सतत् दृष्टिकोण आवश्यक है। **हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन** अनुसंधान को बढ़ावा देने एवं सतत् विकास का मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रश्न : भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में इसे अपनाने से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और शासन में इसकी भूमिका को परिभाषित कीजिये।
- सार्वजनिक सेवा वितरण में AI द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर चर्चा कीजिये और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में AI के अंगीकरण से जुड़ी चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन-प्रणाली को परिवर्तित कर रही है क्योंकि यह प्रक्रियाओं का स्वचालन करती है, निर्णय-निर्माण को बेहतर बनाती है तथा लोक सेवा वितरण को सुदृढ़ करती है। **मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण** जैसी AI प्रौद्योगिकियों में शासन-कार्य के क्रियान्वयन और प्रभावशीलता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की संभावनाएँ निहित हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये AI में अवसर:

- **सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार: प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने** की AI की क्षमता प्रशासनिक विलंब को कम कर सकती है, सेवाओं को सुव्यवस्थित कर सकती है और सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता को बढ़ा सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **AI-संचालित वर्चुअल असिस्टेंट और चैटबॉट वास्तविक काल में नागरिकों के प्रश्नों एवं शिकायतों का समाधान** कर सकते हैं, जिससे प्रतीक्षा समय कम हो सकता है तथा सटीकता में सुधार हो सकता है।
    - **स्मार्ट सिटीज़ मिशन** के तहत विकसित इंडिया **अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX)** इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार AI शहरी हितधारकों के बीच निर्बाध डेटा साझाकरण को सक्षम कर सकता है, जिससे शहर प्रबंधन और शासन को अनुकूलित किया जा सकता है।
- **शहरी शासन का सुदृढ़ीकरण:** शहरी शासन को AI के माध्यम से सुदृढ़ किया जा सकता है, जिसमें **भीड़भाड़ को कम करने और गतिशीलता में सुधार के लिये स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन,** साथ ही **अनुकूलित अपशिष्ट संग्रह एवं पुनर्चक्रण** शामिल है।
  - उदाहरण के लिये, बेंगलुरु के 41 जंक्शनों पर **AI-आधारित अनुकूली यातायात नियंत्रण प्रणाली** ने मैनुअल यातायात नियंत्रण पर निर्भरता कम कर दी है।
- **कृषि उत्पादकता को अनुकूलित करना:** AI-संचालित समाधान **परिशुद्ध कृषि तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादकता** को बढ़ा सकते हैं। ये समाधान फसल की पैदावार का पूर्वानुमान कर सकते हैं, **सिंचाई को अनुकूलित** कर सकते हैं, **कीटों का पता** लगा सकते हैं और **मृदा-स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं।**
  - **किसान ई-मित्र** जैसे AI-संचालित चैटबॉट किसानों को **पीएम किसान सम्मान निधि** जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने और कृषि पद्धतियों पर व्यक्तिगत सलाह देने में सहायता करते हैं।
  - राष्ट्रीय **कीट निगरानी प्रणाली कीटों के आक्रमण का शीघ्र पता लगाने के लिये कृत्रिम बुद्धि (AI)** का उपयोग करती है, जिससे फसलों की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिये समय पर नियंत्रण कार्य सुनिश्चित होता है।
- **स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव:** AI **प्रारंभिक रोग का पता लगाने, निदान सटीकता में सुधार करने** और स्वास्थ्य सेवा वितरण को अनुकूलित करके स्वास्थ्य सेवा को बदल रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में AI अनुप्रयोग **रोग के प्रकोप की निगरानी** कर सकते हैं, **प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान** कर सकते हैं और **त्वरित प्रतिक्रियाओं की सुविधा** प्रदान कर सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **निर्मयी (Niramai)** और **ChironX** जैसे स्टार्टअप क्रमश: **स्तन कैंसर व रेटिना संबंधी असामान्यताओं का शीघ्र पता** लगाने के लिये AI का लाभ उठा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा सुगम्यता एवं परिणामों में सुधार हो रहा है।
- **कानून प्रवर्तन को सुदृढ़ करना: पूर्वानुमानित पुलिसिंग और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स** का उपयोग करके, AI कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराधों का अनुमान लगाने तथा उन्हें रोकने में मदद कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **दिल्ली पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाली AI-संचालित चेहरे की पहचान प्रणालियों ने अपराध का पता लगाने, लापता व्यक्तियों का पता लगाने** और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता की है।
  - इसी प्रकार, AI-संचालित निगरानी प्रणालियाँ **साइबर खतरों की पहचान कर उन्हें बेअसर** कर सकती हैं, जिससे **राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान** मिल सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में AI अंगीकरण में चुनौतियाँ:

- **अपर्याप्त बुनियादी संरचना:** AI की क्षमता के बावजूद, भारत का बुनियादी संरचना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी तक **AI के अंगीकरण के लिये पूरी तरह से तैयार नहीं** है। भारत की लगभग **70% ग्रामीण आबादी अपर्याप्त या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी** का अनुभव करती है, जिससे डिजिटल सेवाओं और AI अनुप्रयोगों तक एक्सेस में बहुत बाधा आती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा मुद्दे:** AI सिस्टम **बिग डेटासेट पर बहुत अधिक निर्भर** करते हैं, जिनमें प्राय: **संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना** होती है। भारत में, जहाँ **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून** अभी भी विकसित हो रहे हैं, वहाँ एक जोखिम है कि नागरिकों के डेटा का दुरुपयोग किया जा सकता है या अपर्याप्त रूप से संरक्षित किया जा सकता है।
- **कौशल की कमी:** AI की सफल तैनाती के लिये **अत्यधिक कुशल कार्यबल की आवश्यकता** होती है, जिसमें **AI विशेषज्ञ, डेटा साइंटिस्ट और IT पेशेवर** शामिल हैं। भारत में ऐसे पेशेवरों की कमी है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में AI परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है।
- **सार्वजनिक विश्वास और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध:** सार्वजनिक सेवाओं में AI के कार्यान्वयन को नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों दोनों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
  - **नागरिक निगरानी और नियंत्रण खोने के भय** के कारण AI-संचालित निर्णय लेने पर अविश्वास कर सकते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी नौकरी जाने को लेकर चिंतित हो सकते हैं।
- **एल्गोरिदम पूर्वाग्रह और भेदभाव:** AI एल्गोरिदम केवल उतने ही निष्पक्ष होते हैं, जितना डेटा पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, पक्षपातपूर्ण प्रशिक्षण डेटा के परिणामस्वरूप भेदभावपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, विशेषकर सीमांत समुदायों के खिलाफ।
  - उदाहरण के लिये, **भर्ती, कानून प्रवर्तन या सामाजिक कल्याण में प्रयुक्त AI प्रणालियाँ** अनजाने में जाति, लिंग या क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को और सुदृढ़ कर सकती हैं।

सार्वजनिक सेवा वितरण में AI उपयोग को अनुकूलित करने के उपाय

- **बुनियादी अवसंरचना और डिजिटल क्षमता का निर्माण: इंटरनेट कनेक्टिविटी** बढ़ाए जाने, **डेटा सेंटर स्थापित करने और सस्ती कंप्यूटिंग पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता** है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी और **PM-WANI** जैसी पहल बुनियादी अवसंरचना के अंतराल को समाप्त कर सकती है तथा व्यापक सार्वजनिक Wi-Fi के माध्यम से AI को वंचित क्षेत्रों तक पहुँचा सकती है।
- **डेटा संरक्षण कानूनों को मज़बूत करना: व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** का पारित होना और **AI व डेटा उपयोग के लिये स्पष्ट नियमों की स्थापना,** यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम हैं कि नागरिकों के डेटा को जिम्मेदारी से संभाला जाए।
- **शिक्षा और कौशल विकास में निवेश:** कौशल अंतराल को दूर करने के लिये, भारत को स्कूल से लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक **सभी स्तरों पर AI और डेटा विज्ञान शिक्षा में निवेश** करने की आवश्यकता है।
  - इससे न केवल वर्तमान कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस किया जा सकेगा, बल्कि भावी पीढ़ियों को भी AI-संचालित अर्थव्यवस्था में काम करने के लिये तैयार किया जा सकेगा।
- **AI के लिये नैतिक मानकों की स्थापना:** AI विकास का मार्गदर्शन करने के लिये नैतिक कार्यढाँचे की स्थापना की जानी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इसका **उपयोग निष्पक्ष एवं समान रूप से** किया जाए।
  - AI सिस्टम **पारदर्शी, जवाबदेह और पक्षपात रहित** होने चाहिये। किसी भी पक्षपात या भेदभावपूर्ण परिणामों की पहचान करने तथा उनमें सुधार करने के लिये AI सिस्टम की नियमित ऑडिट और समीक्षा की जानी चाहिये।
- **सार्वजनिक सहभागिता और जागरूकता: विश्वास का निर्माण करने और प्रतिरोध पर काबू पाने के लिये,** सरकार को **AI के लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता अभियान में शामिल होना चाहिये।**
  - यह भी **सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि AI प्रणालियाँ नागरिकों सहित विविध हितधारकों के इनपुट के साथ डिज़ाइन की जाएँ,** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जनता की अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा करें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

AI भारत में **सार्वजनिक सेवा वितरण को बदलने के लिये अपार अवसर** प्रदान करता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में इसका अंगीकरण चुनौतियों से रहित नहीं है। बुनियादी अवसंरचना, डेटा गोपनीयता, कौशल और पूर्वाग्रह से संबंधित मुद्दों को हल करना AI की क्षमता को अधिकतम करने के लिये महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा। सही नीतियों के साथ, AI शासन में महत्त्वपूर्ण सुधार कर सकता है, जिससे सार्वजनिक सेवाएँ अधिक कुशल, पारदर्शी एवं समावेशी बन सकती हैं।

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : संगठित अपराध और आतंकवाद संयुक्त रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा है। इस समूह (नेक्सस) की प्रकृति एवं आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिये इसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संगठित अपराध और आतंकवाद की अवधारणाओं का परिचय दीजिये और बताएँ कि किस प्रकार यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बन सकता है।
- कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के लिये इससे उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिये, तथा इस समूह (नेक्सस) से निपटने के लिये सुझाए गए उपायों पर भी प्रकाश डालिये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

संगठित अपराध में लाभ के लिये अवैध गतिविधियों में शामिल संरचित समूह शामिल होते हैं, जबकि **आतंकवाद** वैचारिक या **राजनीतिक लक्ष्यों** को प्राप्त करने के लिये हिंसा का उपयोग करता है। यह आपस में मिलकर एक खतरनाक समूह (नेक्सस) बनाते है जहाँ आतंकवादी आपराधिक नेटवर्क के माध्यम से संचालन को वित्तपोषित करते हैं। यह मिश्रित खतरा पहचान, कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के प्रयासों को जटिल बना देता है।

मुख्य भाग:

संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच निर्मित समूह (नेक्सस) की प्रकृति:

- **साझा वित्तीय हित:** संगठित अपराध आतंकवाद को धन मुहैया कराता है, जैसे कि **ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली और मानव तस्करी** जैसी अवैध गतिविधियों के माध्यम से।
  - **उदाहरण के लिये, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उल्फा (ULFA)** जैसे उग्रवादी समूह अपनी गतिविधियों को चलाने के लिये जबरन वसूली और सीमा पार तस्करी का सहारा लेते हैं।
    - **वैश्विक स्तर पर, लश्कर-ए-तैयबा (LET)** और **जैश-ए-मोहम्मद (JEM)** जैसे आतंकवादी समूहों को अक्सर **हवाला लेनदेन** और आपराधिक सिंडिकेटों द्वारा सुगमतापूर्वक की जाने वाली मादक पदार्थों की तस्करी से धन प्राप्त होता है ।
- **संचालनात्मक सहजीवन:** अपराध सिंडिकेट और आतंकी संगठन अक्सर एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। अपराध समूह आतंकवादियों को **हथियारों की तस्करी, नकली मुद्रा और विस्फोटकों के परिवहन** जैसी लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करते हैं। बदले में आतंकवादी अवैध वस्तुओं की आवाजाही में सहायता या सुरक्षा प्रदान करते हैं।
  - उदाहरणस्वरूप, **दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व वाला डी-कंपनी,** जिसने कथित रूप से **1993 के बॉम्बे विस्फोटों** जैसे आतंकी कृत्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी।
    - यह आतंकवादी समूह जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी देखा जाता है, जहाँ स्थानीय अपराध नेटवर्क सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देते हैं तथा चरमपंथ के प्रसार में सहायता करते हैं।
- **भर्ती और कट्टरता:** आतंकवादी समूह अक्सर हाशिए पर पड़े समुदायों से भर्ती करते हैं और आपराधिक संगठन आतंकवादी संगठनों के लिये भर्ती का स्रोत हो सकते हैं। यह संबंध **कश्मीर स्थित आतंकवादी** समूहों में देखा जाता है, जहाँ स्थानीय आपराधिक तत्व युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में भूमिका निभाते हैं।

आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिये निहितार्थ:

- **खुफिया जानकारी जुटाने में जटिलता:** गुप्त संबंध और उन्नत प्रौद्योगिकी **(धन शोधन के लिये क्रिप्टोकरेंसी)** का उपयोग अधिकारियों के लिये आपराधिक समूहों और आतंकवादी नेटवर्क के बीच अंतर करना मुश्किल बना देता है।
- **कानूनी और न्यायिक चुनौतियाँ:** मौजूदा कानूनी ढाँचे अक्सर **इन अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय और संकर प्रकृति** को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल रहते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भारत में संगठित अपराध से निपटने के लिये **एक समर्पित राष्ट्रीय कानून का** अभाव है, **NSA (1980) और NDPS अधिनियम (1985)** जैसे मौजूदा कानून संगठित आपराधिक नेटवर्क को लक्षित करने के बजाय व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **NIA, IB** और **सीमा सुरक्षा बलों** के बीच **अंतर-एजेंसी समन्वय** महत्त्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन अक्सर क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- **हिंसा और अस्थिरता:** जैसे-जैसे जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में संगठित अपराध और आतंकवाद का प्रभाव बढ़ता है, ये **राज्य की संस्थाओं को भ्रष्टाचार और दबाव के माध्यम से कमज़ोर** कर देते हैं। इससे कानून प्रवर्तन और आतंकवाद विरोधी प्रयासों की प्रभावशीलता घटती है।
  - उदाहरण के लिये, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों की दोहरी चुनौती भारत की आंतरिक सुरक्षा बलों पर अत्यधिक दबाव डालती है।
- **संसाधनों का विचलन: संगठित अपराध से निपटने के अतिरिक्त बोझ के कारण** सरकार के आतंकवाद-रोधी संसाधन अक्सर कम पड़ जाते हैं। संसाधनों का यह विचलन आतंकवाद-रोधी अभियानों की दक्षता और प्रभावशीलता को प्रभावित करता है।

आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिये सुझाए गए उपाय:

- **इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर:** संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच के संबंधों से निपटने के लिये विशेष इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिये, जो संचालन को सुव्यवस्थित और खुफिया जानकारी साझा कर सके।
- **कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना:** भारत को संगठित अपराध-आतंकवाद संबंधों की जटिलताओं को दूर करने के लिये अपने **कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना चाहिये, जिसमें तेजी से कानूनी कार्यवाही और इंटरपोल** जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय शामिल है।
- **वित्तीय जांच इकाइयाँ:** गैर-कानूनी वित्तपोषण को ट्रैक करने के लिये फोरेंसिक अकाउंटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क को लक्षित करने के लिये इन इकाइयों को सशक्त बनाया जाना चाहिये।
- **सामरिक सीमा प्रबंधन:** भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जो **गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राएंगल** जैसे मादक पदार्थों के उत्पादन क्षेत्रों के निकट है, उन्नत निगरानी तकनीकों और नियमित गश्त के माध्यम से सीमा सुरक्षा को मज़बूत करना अवैध वस्तुओं की आवाजाही को रोकने के लिये आवश्यक है।

निष्कर्ष:

एक समग्र दृष्टिकोण, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करने को मज़बूत करना, विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग को बेहतर बनाना, विधायी ढाँचे को सशक्त करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है, इस खतरनाक समूह को तोड़ने के लिये अत्यंत आवश्यक है। केवल समन्वित और बहुआयामी रणनीतियों के माध्यम से ही भारत इन खतरों से प्रभावी ढंग से निपट सकता है और दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

आपदा प्रबंधन

प्रश्न : भारतीय शहरों द्वारा अपनाई गई वर्तमान बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। शहरी बाढ़ को कम करने में ये रणनीतियाँ कितनी प्रभावी हैं तथा बाढ़ जोखिम प्रबंधन एवं आपदा शमन में क्या सुधार किये जा सकते हैं? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- शहरी बाढ़ प्रबंधन की वर्तमान प्रवृत्तियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा शहरी बाढ़ पर प्रस्तुत आँकड़ों का संक्षिप्त विवरण दीजिये।
- भारतीय नगरों में वर्तमान बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- इन रणनीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित कीजिये।
- प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन हेतु संभावित सुधारों का सुझाव दीजिये।
- समापन में शहरी बाढ़ प्रबंधन पर केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रस्तुत दिशा-निर्देशों का उल्लेख कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

मुंबई जैसे शहरों में भंडारण जलाशयों जैसी परियोजनाओं के बावजूद भारत **शहरी बाढ़ की दृष्टि से अत्यधिक सुभेद्य** बना हुआ है। देश के कुल 329 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बाढ़-प्रवण (NDMA के अनुसार) है। यह स्थिति **लक्षित, प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन और सतत् शहरी नियोजन की आवश्यकता** को रेखांकित करती है।

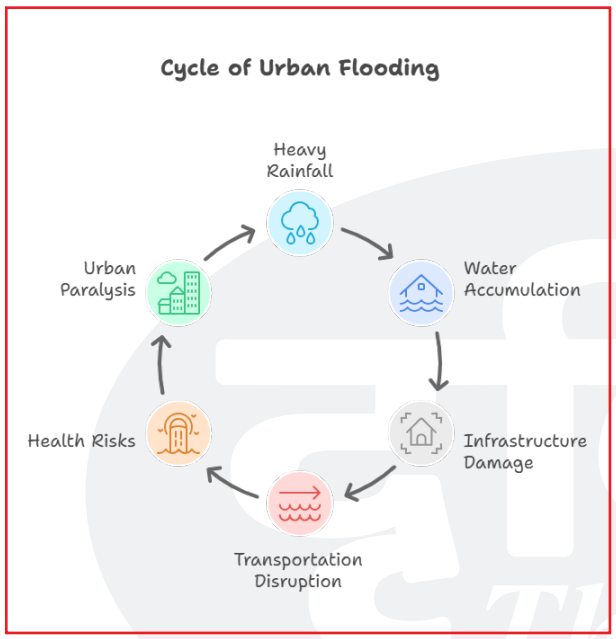

मुख्य भाग:

भारतीय नगरों में वर्तमान बाढ़ प्रबंधन रणनीतियाँ:

- **वर्षा जल निकासी प्रणालियों का विस्तार:** कई नगरों में भारी वर्षा के समय जलभराव की समस्या से निपटने के लिये वर्षाजल निकासी प्रणाली के विस्तार और सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है।
  - **मुंबई और बेंगलुरु** जैसे नगरों में **बढ़ती वर्षाजल की मात्रा को सँभालने के लिये जलनिकासी क्षमता** को सुदृढ़ किया जा रहा है।
  - **दिल्ली और कोलकाता** जैसे नगरों में मौजूदा जलनिकासी प्रणालियों की नियमित रूप से सिल्ट निकासी की जा रही है ताकि उनकी वहन क्षमता में वृद्धि हो।
- **बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ:** शहर वास्तविक काल वर्षण डेटा, नदी के जल स्तर और तूफानी जल की स्थिति एकत्र करने के लिये उन्नत बाढ़ पूर्वानुमान उपकरण एवं सेंसर अपना रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, **चेन्नई ने जल निकायों में सेंसर नेटवर्क स्थापित** किये हैं जो बेहतर बाढ़ पूर्वानुमान के लिये लाइव डेटा प्रदान करते हैं।
- **नदी और झील पुनरुद्धार परियोजनाएँ:** बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में **अतिप्रवाह और बाढ़ को रोकने के लिये नदी पुनरुद्धार परियोजनाएँ** शुरू की जा रही हैं।
  - इन पहलों का उद्देश्य नदियों और झीलों के **जलमार्गों को पुन: व्यवस्थित करके जल प्रवाह का प्रबंधन करना तथा शहरी बाढ़ को कम करना** है।
- **बाढ़ क्षेत्र निर्धारण (फ्लडप्लेन ज़ोनिंग) और भूमि उपयोग नियोजन:** मुंबई, अहमदाबाद और पुणे जैसे शहरों में फ्लडप्लेन ज़ोनिंग का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में कोई नया निर्माण न किया जाए।
- **तटीय बाढ़ अवरोधक:** चेन्नई और मुंबई जैसे तटीय नगरों में समुद्री तूफानों एवं उच्च ज्वार से बचाव हेतु समुद्री दीवारों व ज्वारीय द्वारों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि मानसून के समय बाढ़ की स्थिति और अधिक विकराल न हो।

इन रणनीतियों की प्रभावशीलता:

बाढ़ की रोकथाम/न्यूनीकरण के लिये अनेक रणनीतियों तथा बुनियादी अवसंरचना के आधुनिकीकरण के प्रयासों के बावजूद, **मौजूदा प्रणालियाँ प्राय: वर्षा की बढ़ती तीव्रता को प्रबंधित करने में विफल** हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप **भारी वर्षा के दौरान बड़े पैमाने पर जलभराव और शहरी क्षेत्र में गतिरोध** उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि:

- **अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और बोझ से दबी प्रणालियाँ:** मौजूदा अवसंरचना वर्तमान वर्षा-प्रवृत्तियों की तीव्रता को सँभालने में अक्षम है। इसका परिणाम व्यापक शहरी बाढ़, आर्थिक क्षति और जनजीवन के बाधित होने के रूप में सामने आता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उदाहरण:** दिल्ली की जलनिकासी प्रणाली, जिसे 1970 के दशक में डिज़ाइन किया गया था, शहर की बढ़ती जनसंख्या और परिवर्तित वर्षा-प्रवृत्तियों के अनुकूल नहीं है। इसी कारण वर्ष 2023 में भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई।

- **प्राकृतिक जल निकायों की हानि:** शहरी क्षेत्रों में वेटलैंड्स, झीलों और बाढ़ मैदानों पर अनियंत्रित अतिक्रमण ने वर्षा जल को सोखने तथा बाढ़ को नियंत्रित करने की शहरों की क्षमता को कम कर दिया है।
  - **उदाहरण:** बेंगलुरु ने अपनी 79% झीलें खो दी हैं, जिससे उसकी बाढ़-रोधी क्षमता में भारी गिरावट आई है, जबकि पूर्व में ये झीलें प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक के रूप में कार्य करती थीं।
- **अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन:** नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट का पर्याप्त रूप से प्रबंधन न किये जाने के कारण नालियाँ जाम हो जाती हैं और जल प्रवाह क्षमता कम हो जाती है।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2020 की मुंबई बाढ़ के दौरान, जल निकासी प्रणाली में अपशिष्ट संचय ने गंभीर जलभराव में योगदान दिया।
- **समग्र एवं पूर्व-निवारक उपायों का अभाव:** वर्तमान रणनीतियाँ प्राय: **पूर्व-निवारक उपायों के बजाय बाढ़ के बाद राहत पर केंद्रित** होती हैं।
  - बाढ़ की समस्या का प्राय: तभी हल किया जाता है जब वह घटित होती है, जबकि दीर्घकालिक योजना या नगरीय डिज़ाइन में संरचनात्मक दृढ़ता का अभाव रहता है।
  - **उदाहरण:** चेन्नई (वर्ष 2015) में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद, पुनर्निर्माण के प्रयास मुख्य रूप से बाढ़-प्रतिरोधी बुनियादी अवसंरचना के पुनर्निर्माण के बजाय अल्पकालिक राहत पर केंद्रित थे।

प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिये सुधार:

- **'स्पॉन्ज सिटी' अवधारणा को लागू करना:** स्पॉन्ज सिटी दृष्टिकोण का उद्देश्य ऐसे सतहों का निर्माण करना है जो जल को सोख सकें, शहरी आर्द्रभूमियों का पुनर्भरण करना तथा हरित क्षेत्रों का निर्माण करना है, जो वर्षा जल को अवशोषित और संग्रहित कर सकें। यह सतही बहाव और जलभराव की समस्या को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकता है।
  - **बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों ने इस मॉडल को अपनाकर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किये** हैं। विशेष रूप से मुंबई जैसे भारतीय शहरों को अपनी शहरी योजनाओं में इस प्रकार की विधियों को सम्मिलित करना चाहिये।
- **स्मार्ट स्टॉर्मवॉटर प्रबंधन प्रणाली अपनाना:** इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित सेंसरों और रीयल-टाइम डेटा विश्लेषण का प्रयोग करके बाढ़ के जोखिमों की बेहतर पूर्वानुमान और प्रबंधन किया जा सकता है।
  - **सिंगापुर की स्मार्ट वॉटर असेसमेंट नेटवर्क (SWAN) प्रणाली** वास्तविक समय में डेटा प्रदान कर बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ बनाती है।
    - दिल्ली जैसे भारतीय शहर ऐसी तकनीकें अपनाकर अपनी प्रतिक्रिया की गति तथा बाढ़-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
- **शहरी आर्द्रभूमि और झीलों का पुनरुद्धार:** शहरी आर्द्रभूमियों और झीलों की रक्षा तथा पुनर्भरण बाढ़ से निपटने की क्षमता को बढ़ाने के लिये आवश्यक है।
  - उदाहरणस्वरूप, कोलकाता की 'ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स' बाढ़ नियंत्रण तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अन्य शहरों को भी अपनी आर्द्रभूमियों और झीलों की पूर्व क्षमता को पुन: स्थापित करने के प्रयास करने चाहिये।
- **ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्टिकल गार्डन:** शहरी विकास में हरित आधारभूत संरचना को सम्मिलित किया जाना चाहिये। वर्टिकल गार्डन, ग्रीन रूफ्स और पारगम्य पक्की सतहों से वर्षा जल को अवशोषित कर जलनिकासी प्रणाली पर बोझ को कम किया जा सकता है।
  - **मिलान का 'बॉस्को वर्टीकाले' (वर्टिकल फॉरेस्ट) एक अभिनव उदाहरण** है जहाँ भवनों के माध्यम से जल बहाव को नियंत्रित किया जाता है और वायु गुणवत्ता को भी सुधारा जाता है। इस प्रकार की योजनाएँ बाढ़-प्रवण भारतीय शहरों के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **क्षेत्र निर्धारण कानूनों को मज़बूत करना तथा पारिस्थितिक संरक्षण:** बाढ़ संभावित क्षेत्रों और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिये क्षेत्र निर्धारण कानूनों का सख़्ती से अनुपालन आवश्यक है।
  - साथ ही, प्रतिपूरक वनीकरण और पारिस्थितिक संरक्षण को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि शहरी बाढ़ की समस्याओं को कम किया जा सके।
- **समुदाय-आधारित बाढ़ प्रबंधन:** स्थानीय समुदायों को बाढ़ प्रबंधन की प्रक्रिया में सम्मिलित कर एक अधिक सशक्त और टिकाऊ शहरी वातावरण निर्मित किया जा सकता है।
  - महाराष्ट्र का 'नगदरवाड़ी' गाँव, जहाँ समुदाय-आधारित वर्षा जल संचयन की पहलों से जलाभाव की समस्या का समाधान हुआ, एक प्रेरणास्पद उदाहरण है। इस प्रकार की जमीनी पहल को अन्य भारतीय शहरों में भी अपनाया जा सकता है।
- **जन जागरूकता और आपदा तैयारी में सुधार:** बाढ़ से सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण विषयों पर जन-जागरूकता अभियान चलाकर शहरी बुनियादी ढाँचे पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है।
  - रॉटरडैम के 'वॉटर स्क्वेयर' न केवल अत्यधिक वर्षा के समय जल संचयन करते हैं, बल्कि बाढ़ प्रबंधन के लिये शैक्षिक केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं। भारत में भी इस प्रकार की योजनाओं से जन-जागरूकता बढ़ाई जा सकती है तथा स्थानीय स्तर पर बाढ़ से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में **शहरी बाढ़ की समस्या तात्कालिक तथा निरंतर प्रयासों की माँग करती है**, क्योंकि वर्तमान उपाय आवश्यक होते हुए भी इस समस्या की व्यापकता से निपटने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। शहरी बाढ़ प्रबंधन पर केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश नगरों को शहरी नियोजन में बाढ़ जोखिम प्रबंधन को समाहित करने का एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसमें सतत् जल निकासी प्रणाली, बाढ़ क्षेत्र निर्धारण और जलवायु-सहनशीलता पर विशेष बल दिया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) में एक 'वायु योग्यतता अधिकारी' के रूप में आपकी नियुक्ति एक दुखद विमान दुर्घटना के उपरांत सुरक्षा ऑडिट करने हेतु की गई है। यह दुर्घटना एक प्रमुख विमानन कंपनी द्वारा संचालित एक वाणिज्यिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से हुई, जिसमें लोगों की मृत्यु हुई, नागरिक संपत्ति को क्षति पहुँची तथा हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर जनसामान्य में गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है।

अपने ऑडिट के दौरान, आप एयरलाइन के संचालन में चिंताजनक मुद्दों को उजागर करते हैं। इनमें बेड़े में बार-बार होने वाली तकनीकी खराबी, जैसे: उड़ान नियंत्रण में अनियमितताएँ, साथ ही अधूरे और असंगत रख-रखाव लॉग शामिल हैं। पिछले कई वर्षों में चालक दल के सदस्यों की कई शिकायतों के बावजूद, इन चिंताओं को न तो ठीक से निवारण किया गया और न ही एयरलाइन के प्रबंधन द्वारा आगे बढ़ाया गया।

इसके अतिरिक्त, आप पाते हैं कि एयरलाइन ने चालक दल के प्रशिक्षण रिकॉर्ड को अपर्याप्त रूप से बनाए रखा है, जिससे एयरलाइन के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर संदेह होता है। चालक दल के एक सदस्य ने आगे आरोप लगाया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में ज्ञात यांत्रिक समस्याएँ थीं और कर्मचारियों की शिकायतों को लंबे समय तक अनदेखा किया गया था।

एयरलाइन एक सशक्त सार्वजनिक छवि के सुदृढ़ संपर्कों और प्रभाव वाले व्यावसायिक समूह का हिस्सा है। एयरलाइन के एक वरिष्ठ कार्यकारी इन समस्याओं की गंभीरता को कम आँकते हैं और इस पर बल देते हैं कि ये मामूली हैं, जो शीघ्र ही सुलझा ली जायेंगी। इसके अतिरिक्त, आपके वरिष्ठ अधिकारी ने अनौपचारिक रूप से आपको सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की सलाह दी है, यह संकेत देते हुए कि इन समस्याओं को उजागर करना राष्ट्रीय मनोबल को क्षति पहुँचा सकता है और एक राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।

अब निर्णय को लेकर आपके समक्ष एक कठिन चुनौती है: क्या आपको अपने निष्कर्षों की एक विस्तृत और समग्र रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिये, जो एयरलाइन के संचालन में संभावित रूप से तत्काल सुधार ला सकती है, लेकिन इससे राजनीतिक और व्यक्तिगत जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं? वैकल्पिक रूप से, क्या आपको सार्वजनिक सुरक्षा के लिये संभावित जोखिमों के बावजूद एयरलाइन की प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय भावना को नुकसान से बचने के लिये कुछ निष्कर्षों को रोक लेना चाहिये?

(a) इस मामले में मुख्य नैतिक मुद्दे क्या हैं? अपने निर्णय को प्रभावित करने वाले परस्पर विरोधी कर्त्तव्यों और हितों पर प्रकाश डालिये।

(b) आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक के गुण और दोष पर चर्चा कीजिये।

(c) आप कौन-सा विकल्प चुनेंगे और क्यों? संकट के दौरान नियामक प्राधिकरण के दायित्वों और प्रासंगिक नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करके अपने निर्णय की पुष्टि कीजिये।

परिचय

यह मामला नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) **के एक 'वायु योग्यतता अधिकारी' से जुड़ा** है, जिसे एक घातक विमान दुर्घटना के पश्चात सुरक्षा ऑडिट करने का दायित्व सौंपा गया है। जाँच के दौरान अधिकारी यह पाते हैं कि संबंधित एयरलाइन के विमानों में तकनीकी दोष लगातार उभरते रहे हैं और चालक दल के प्रशिक्षण मानकों का पालन भी वर्षों से नहीं किया गया है, हालाँकि इस विषय में आंतरिक शिकायतें पहले से दर्ज थीं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

किंतु एक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी के दबाव और अधिकारी के उच्चाधिकारी की 'अनौपचारिक सलाह' के माध्यम से यह संकेत मिलता है कि सार्वजनिक दहशत और राजनीतिक परिणामों से बचने के लिये इन निष्कर्षों को दबा दिया गया था।

हितधारक	भूमिका/रुचि
वायु योग्यता अधिकारी	विमानन सुरक्षा, कानूनी जवाबदेही को बनाए रखना होगा।
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)	सुरक्षा मानदंडों को लागू करने और हवाई यात्रा में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिये जिम्मेदार।
एयरलाइन और प्रबंधन	इससे विमान की सुरक्षा और चालक दल की तत्परता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें लाभ को प्राथमिकता दी गई है।
यात्री	एयरलाइन सेवाओं के उपयोगकर्त्ता/सेवार्थी जो सुरक्षित यात्रा और विमानन मानकों को सुनिश्चित करने के लिये DGCA पर भरोसा करते हैं।
सरकार और राजनेता	सार्वजनिक छवि, आर्थिक प्रभाव और राष्ट्रीय मनोबल को लेकर चिंतित।
चालक दल के सदस्य और मुखबिर	गलतियों की रिपोर्ट करने के लिये व्यक्तिगत सुरक्षा और कॅरियर को जोखिम में डालना।

मुख्य भाग:

(a) इस मामले में मुख्य नैतिक मुद्दे क्या हैं? अपने निर्णय को प्रभावित करने वाले परस्पर विरोधी कर्त्तव्यों और हितों पर प्रकाश डालिये।

मामले में व्याप्त नैतिक मुद्दे:

- **पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा का अभाव: निष्कर्षों को छिपाने या कम करके आँकने** का सुझाव सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता के **नैतिक सिद्धांत का सीधा उल्लंघन** है। लोक सेवकों का नैतिक कर्त्तव्य है कि वे पूरी और ईमानदार जानकारी प्रदान करें, विशेषकर जब यह नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित हो।
- **विनियामक अधिग्रहण:** एयरलाइन पर एक शक्तिशाली कॉर्पोरेट समूह द्वारा डाला गया प्रभाव विनियामक निकायों के **स्वतंत्र कामकाज़ में अनुचित हस्तक्षेप के जोखिम** को उजागर करता है। इस तरह के प्रभाव से महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं का दमन हो सकता है, जिससे सार्वजनिक हित से समझौता हो सकता है।
- **कर्त्तव्य एवं व्यावसायिक दायित्व की उपेक्षा: चेतावनी संकेतों की अनदेखी करने और ज्ञात सुरक्षा उल्लंघनों पर कार्रवाई करने में विफलता** अधिकारी की पेशेवर शपथ और ICAO मानदंडों का उल्लंघन है। यह उपेक्षा नियामक अधिकारियों की भूमिका से समझौता करती है और सुरक्षा मानकों को लागू करने की उनकी क्षमता में जनता के विश्वास को कमज़ोर करती है।
- **मुखबिरों का दमन: चालक दल की शिकायतों** की प्रणालीगत अनदेखी, महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं को दूर करने से रोककर असुरक्षित वातावरण को उजागर करती है और **संगठन के भीतर दायित्व को कमज़ोर** करती है।

निर्णय को प्रभावित करने वाले परस्पर विरोधी कर्त्तव्य और हित:

- **व्यावसायिक ईमानदारी बनाम कॅरियर और व्यक्तिगत हितों के प्रति कर्त्तव्य:** एक अधिकारी के रूप में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के साथ ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना नैतिक कर्त्तव्य है, जो जवाबदेही तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों (जैसे ICAO मानदंडों) के अनुपालन से जुड़ा है।
  - हालाँकि, यदि अधिकारी शक्तिशाली एयरलाइन समूह के विरुद्ध सत्य उजागर करता है, तो उसे प्रतिशोध या पदोन्नति में बाधा जैसी **कॅरियर संबंधी हानियाँ** झेलनी पड़ सकती हैं। इस प्रकार, नैतिक रूप से सही कार्य करने और व्यक्तिगत हितों की रक्षा करने के बीच एक गहन टकराव उत्पन्न होता है।
- **नियमित निरीक्षण की रिपोर्टिंग का कर्त्तव्य बनाम राजनीतिक संवेदनशीलता:** अधिकारी का दायित्व है कि वह सभी उल्लंघनों को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करे, ताकि सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान हो और भविष्य में संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- किंतु, यदि एयरलाइन का देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है, तो सरकार और राजनीतिक तंत्र उसकी साख बनाए रखने में रुचि रख सकता है।
- ऐसी स्थिति में **गंभीर निष्कर्षों को दबाना राजनीतिक नुकसान से बचने का साधन** माना जा सकता है, जिससे सार्वजनिक पारदर्शिता और राजनीतिक व्यवहारिकता के मध्य संघर्ष उत्पन्न होता है।

- **कानूनी मानकों का कर्त्तव्य बनाम संगठन के प्रति निष्ठा:** अधिकारी को **कानूनी रूप से यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एयरलाइन का संचालन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा** नियमों और राष्ट्रीय विमानन कानूनों का अनुपालन करता है, भले ही ऐसा करने से गंभीर उल्लंघन सामने आएं।
  - एयरलाइन के **व्यावसायिक हित और राजनीतिक संबंध अधिकारी को एयरलाइन के इस कथन से सहमत होने के लिये प्रभावित** कर सकते हैं कि ये मुद्दे मामूली हैं, जो अधिकारी के सच को रिपोर्ट करने के कानूनी एवं पेशेवर दायित्वों के साथ टकराव उत्पन्न करता है।

(b) आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं ? प्रत्येक के गुण और दोष पर चर्चा कीजिये।

विकल्प 1: एक पूर्ण, पारदर्शी एवं साक्ष्य-आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- **सकारात्मक पक्ष:** यदि अधिकारी सभी निष्कर्षों का पूर्ण रूप से खुलासा करते हैं, तो यह यह सुनिश्चित करता है कि जन-सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। इससे DGCA की विमानन क्षेत्र के नियमन में पारदर्शिता व विश्वसनीयता सुदृढ़ होती है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है।
  - इस प्रकार की पारदर्शिता से तात्कालिक सुधार की संभावना बनती है जिससे कठोर नियमन, उन्नत सुरक्षा मानक तथा प्रभावी निरीक्षण तंत्र विकसित हो सकते हैं, जो दीर्घकालिक रूप से विमानन उद्योग के लिये हितकारी होंगे।
- **नकारात्मक पक्ष:** उच्च-स्तरीय उल्लंघनों को उजागर करने से **राजनैतिक प्रतिकूलताएँ** उत्पन्न हो सकती हैं, विशेषकर जब संबंधित विमान कंपनी किसी प्रभावशाली समूह से जुड़ी हो। अधिकारी को सरकार या वरिष्ठ **अधिकारियों की ओर से प्रतिशोध का सामना** करना पड़ सकता है, जिससे उनकी **स्थिति और कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव** पड़ सकता है।
  - पूर्ण रूप से खुलासा करने से संबंधित **विमान कंपनी की साख पर प्रतिकूल असर** पड़ सकता है जिससे वित्तीय घाटा उत्पन्न हो सकता है।
  - साथ ही, यदि इन निष्कर्षों के कारण व्यापक प्रभाव उत्पन्न होते हैं तो अधिकारी को स्थानांतरण, निलंबन या हाशिये पर डाले जाने जैसी **पेशेवर दुष्परिणामों का सामना** करना पड़ सकता है।

विकल्प 2: एक चयनित रूप से संपादित अथवा परिष्कृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- **सकारात्मक पक्ष:** यदि अधिकारी रिपोर्ट को संपादित करते हैं या निष्कर्षों को सरल करते हैं, तो वे वरिष्ठ अधिकारियों तथा राजनैतिक तंत्र से होने वाले टकराव को टाल सकते हैं, जिससे संस्थागत समरसता बनी रहती है तथा संभावित **कॅरियर संबंधी जोखिमों से बचाव** होता है।
  - ऐसी परिष्कृत रिपोर्ट हवाई यात्रा की सुरक्षा के सार्वजनिक धारणा को बनाए रख सकती है तथा आम जनता में घबराहट या असंतोष की स्थिति से बचा जा सकता है।
  - सबसे गंभीर तथ्यों को दबाकर विमान कंपनी की प्रतिष्ठा की रक्षा की जा सकती है तथा यात्रियों के बीच व्यापक भय या असहजता को टाला जा सकता है।
- **नकारात्मक पक्ष:** महत्त्वपूर्ण जानकारियों को दबाना या न्यूनतम रूप में प्रस्तुत करना नियामक प्रक्रिया में सार्वजनिक विश्वास को कमज़ोर करता है तथा अधिकारी की नैतिक प्रतिबद्धता को भी प्रश्नांकित करता है, क्योंकि इससे **गंभीर सुरक्षा उल्लंघनों का निराकरण नहीं** हो पाता।
  - यह कार्य नैतिक पारदर्शिता के सिद्धांतों के विरुद्ध है तथा ICAO (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) के सुरक्षा मानकों का भी उल्लंघन करता है।
  - इस तरह की जानकारी को यदि बाद में सार्वजनिक किया जाता है तो इससे जनता का विश्वास गंभीर रूप से क्षीण हो सकता है तथा संस्था की विश्वसनीयता पर स्थायी आघात लग सकता है। साथ ही, यदि समस्याएँ बनी रहती हैं तो भविष्य में दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

विकल्प 3: समस्या को आंतरिक रूप से उच्च स्तर पर प्रेषित करना और सार्वजनिक रूप से उजागर करने से बचना

- **सकारात्मक पक्ष:** आधिकारिक कार्यप्रणाली का पालन करने पर अधिकारी व्यक्तिगत जोखिम से बच सकता है, जैसे कि वरिष्ठ अधिकारियों या बाह्य हितधारकों से सीधे टकराव की स्थिति। इस पद्धति में जिम्मेदारी को उच्च स्तर के अधिकारियों पर छोड़ने से अधिकारी स्वयं को व्यक्तिगत स्तर पर संकट से बचा सकता है।
  - आंतरिक रूप से **विषय पर कार्रवाई करने से मीडिया की निगरानी या जनसामान्य में घबराहट उत्पन्न किये बिना व्यवस्था में सुधार** की संभावना बनी रहती है।
- **नकारात्मक पक्ष:** यदि अधिकारी अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं करता है, तो इससे सुरक्षा संबंधी समस्याएँ यथावत बनी रह सकती हैं तथा उनका समाधान टल सकता है।
  - मामले को केवल आंतरिक प्रक्रिया के तहत निपटाने पर इस बात का जोखिम रहता है कि शक्तिशाली हितधारकों के दबाव में निष्कर्षों को दबा दिया जाये या उनकी तीव्रता को कम करके प्रस्तुत किया जाये। इससे **आवश्यक कार्रवाई में विलंब** हो सकता है या मामला पूरी तरह दबा भी दिया जा सकता है।
  - यदि निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया गया, तो **यात्री और क्रू जैसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग** उन **महत्त्वपूर्ण सुरक्षा खतरों से अनभिज्ञ** रह सकते हैं जो उनकी जान-माल को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

(c) आप कौन-सा विकल्प चुनेंगे और क्यों? संकट के दौरान नियामक प्राधिकरण के दायित्वों और प्रासंगिक नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करके अपने निर्णय की पुष्टि कीजिये।

इस स्थिति में **सबसे विवेकपूर्ण उपाय विकल्प 1 और विकल्प 3 का संयोजन** है।

- **प्रारंभिक कदम:** अधिकारी को चाहिये कि वह सक्षम प्राधिकरण के समक्ष एक पूर्ण और निष्पक्ष ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें सभी **निष्कर्षों को बिना किसी संपादन या महत्त्वपूर्ण जानकारी** को छुपाये स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया हो।
  - पूर्ण पारदर्शिता न **केवल नियामक प्रणाली की निष्पक्षता** को बनाए रखने हेतु आवश्यक है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - एक पारदर्शी रिपोर्ट न केवल तात्कालिक परिवर्तन और बेहतर विनियमन की दिशा में प्रेरणा प्रदान करेगी, बल्कि ICAO द्वारा निर्धारित **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति DGCA की प्रतिबद्धता** को भी प्रदर्शित करेगी, जिससे उसकी घरेलू और वैश्विक साख सुदृढ़ होगी।
  - **समवर्ती कदम:** रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ-साथ, यदि एक उचित समयावधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अधिकारी को यह मुद्दा DGCA के भीतर या संबंधित मंत्रालय के उच्च स्तर पर आगे बढ़ाना चाहिये।
    - यह सुनिश्चित करेगा कि शासन के उच्च स्तरों पर इस विषय पर ध्यान दिया जाये और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों को समय रहते टाला जा सके।
- इस मार्ग का अनुसरण करके अधिकारी एक ओर कमांड शृंखला का सम्मान करता है और साथ ही व्यक्तिगत जोखिम से बचता है।
- दूसरी ओर, यह संस्थागत निष्पक्षता को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करता है कि रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्ष उच्च अधिकारियों तक अवश्य पहुँचें और उन्हें नज़रअंदाज़ न किया जाये।

नैतिक औचित्य:

- **कर्त्तव्य-आधारित नैतिकता:** एक नियामक अधिकारी के रूप में यह कर्त्तव्य बनता है कि वह जनसुरक्षा सुनिश्चित करे, भले ही इसके लिये उसे राजनैतिक या व्यक्तिगत क्षति क्यों न उठानी पड़े। पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा इस **नैतिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये अनिवार्य** हैं।
- **उपयोगितावादी नैतिकता (परिणाम-आधारित):** यदि अधिकारी सभी उल्लंघनों की पूरी सूचना देता है तो वह भविष्य में होने वाली संभावित त्रासदियों को रोकने में सहायक होगा, जिससे दीर्घकालिक स्तर पर विमानन सुरक्षा मज़बूत होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उल्लंघनों की पूरी रिपोर्ट करके, यह न केवल अधिकतम जनहित सुनिश्चित करता है, बल्कि जनता का भरोसा भी नियामक संस्थाओं में बनाये रखता है।

- **कानूनी उत्तरदायित्व:** एक लोक सेवक के रूप में अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के मानकों तथा राष्ट्रीय विमानन कानूनों का अनुपालन करने के लिये बाध्य है। यदि वह किसी महत्त्वपूर्ण उल्लंघन को छिपाता है, तो यह न केवल कर्त्तव्य की उपेक्षा मानी जायेगी बल्कि कानूनी उल्लंघन भी होगा।

निष्कर्ष

एक नियामक अधिकारी के रूप में सर्वोच्च उत्तरदायित्व **जनसुरक्षा तथा ईमानदारी** को सुनिश्चित करना है। **सुविधा या लाभ की अपेक्षा सत्य का चयन करना** न केवल भारतीय संविधान और विधि के प्रति निष्ठा को प्रकट करता है, बल्कि **लोक संस्थाओं में विश्वास** को पुनर्स्थापित करता है। संकट की घड़ी में लिया गया नैतिक साहस न केवल जीवन की रक्षा करता है बल्कि **शासन-प्रणाली को सशक्त** करता है तथा **लोक सेवा को परिभाषित करने वाले मूल्यों को पुनर्स्थापित करता है।**

प्रश्न : आप बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में वरिष्ठ सर्जन हैं, जो अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं और उच्च-प्रोफ़ाइल रोगी आधार के लिए जाना जाता है। अस्पताल की खरीद और बिलिंग प्रथाओं के नियमित ऑडिट के दौरान, आप एक परेशान करने वाले परिदृश्य का पता लगाते हैं- अस्पताल का प्रशासन एक ऐसी प्रथा में शामिल है जहाँ कुछ उच्च-लागत वाली चिकित्सा आपूर्ति और उपचारों को अत्यधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है, जबकि वैकल्पिक, अधिक किफायती विकल्प उपलब्ध हैं।

अस्पताल ने कई आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी की है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन उच्च लागत वाली आपूर्तियों को विशेष रूप से खरीदा जाए, भले ही अन्य विकल्पों की तुलना में उनकी कीमत अधिक हो और प्रभावशीलता सीमित हो। एथिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में, आप रोगी देखभाल और वित्तीय स्थिरता पर इन प्रथाओं के प्रभावों के बारे में गहराई से चिंतित हैं।

हालाँकि, आपके अस्पताल के कुछ वरिष्ठ डॉक्टर, जो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली रिश्वत से लाभान्वित हो रहे हैं, आपसे अस्पताल के संचालन को बाधित करने से बचने और अपने निजी लाभ को बनाए रखने के लिए इस मुद्दे पर चुप रहने का आग्रह करते हैं। उनका तर्क है कि बढ़ी हुई कीमतें अस्पताल के उच्च लाभ मार्जिन को बनाए रखने में मदद कर रही हैं, जो इसके अस्तित्व और निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

(a) मुख्य हितधारकों और इसमें शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान करें।

(b) अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली दोनों के लिए अनैतिक प्रथाओं को उजागर करने के संभावित परिणामों का विश्लेषण करें।

(c) इस स्थिति में आप क्या कार्रवाई करेंगे, और कौन से नैतिक सिद्धांत आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगे?

परिचय:

आप एक प्रतिष्ठित बेंगलुरु अस्पताल में वरिष्ठ सर्जन हैं और एथिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। एक नियमित ऑडिट के दौरान, आप पाते हैं कि अधिक प्रभावी और किफायती विकल्पों के बावजूद **लगातार अधिक कीमत पर चिकित्सा आपूर्ति खरीदी जा रही** है। इस व्यवस्था **से आपूर्तिकर्ताओं से रिश्वत के माध्यम से कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों को लाभ होता** है। वे अस्पताल के मुनाफे का हवाला देते हुए आप पर चुप रहने का दबाव डालते हैं। यह मुद्दा न केवल वित्तीय अखंडता को प्रभावित करता है बल्कि रोगी की देखभाल और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में विश्वास को भी प्रभावित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

(a) मुख्य हितधारकों और इसमें शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान करें।

हितधारक	भूमिका और रुचि
मरीजों	प्राथमिक प्राप्तकर्ता किफायती, प्रभावी और नैतिक उपचार की अपेक्षा रखते हैं।
वरिष्ठ सर्जन (आप)	नैतिक चिकित्सा पेशेवर जो चिकित्सा अखंडता और रोगी कल्याण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
अस्पताल प्रशासन	लाभ मार्जिन पर ध्यान केन्द्रित, लेकिन रोगी-केंद्रित देखभाल के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार।
वरिष्ठ डॉक्टर	रिश्वत के लाभार्थी, व्यक्तिगत लाभ के लिए नैतिकता से समझौता करना।
एथिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन	चिकित्सा पेशे में नैतिक प्रथाओं और पारदर्शिता की वकालत करना।

इसमें निम्नलिखित नैतिक मुद्दे शामिल हैं:

- **चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन (हिप्पोक्रेटिक शपथ):** बेहतर विकल्पों की उपलब्धता के बावजूद **उच्च लागत वाले और कम प्रभावी उपचारों को** निर्धारित करने की प्रथा , ***गैर-हानिकारकता* के नैतिक सिद्धांत , *"किसी को नुकसान न पहुंचाने"*** के दायित्व का उल्लंघन करती है।
  - यह संस्थागत और व्यक्तिगत हितों को रोगी कल्याण से ऊपर रखकर हिप्पोक्रेटिक शपथ को कमजोर करता है।
- **पारदर्शिता की कमी और विश्वास का उल्लंघन: अस्पताल और चुनिंदा आपूर्तिकर्ताओं के बीच** अघोषित **और अनन्य खरीद समझौते** पारदर्शिता की प्रणालीगत कमी को दर्शाते हैं। इससे संस्थान में जनता का विश्वास कम होता है और **जवाबदेही के नैतिक सिद्धांत को कमज़ोर करता है।**
- **व्यावसायिक चिकित्सा देखभाल बनाम नैतिक कर्तव्य:** रोगी-केंद्रित देखभाल की कीमत पर उच्च लाभ मार्जिन की खोज, **संस्थागत लाभप्रदता** और **स्वास्थ्य पेशेवरों के नैतिक दायित्व के बीच नैतिक दुविधा को दर्शाती है** , जिसमें मानव सम्मान और समान उपचार तक पहुंच को प्राथमिकता देना शामिल है।
- **व्यावसायिक अखंडता का क्षरण:** एक वरिष्ठ सर्जन और एक नैतिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में, चुप रहना **नैतिक मिलीभगत के समान होगा।**

(ख) अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली दोनों के लिए अनैतिक प्रथाओं को उजागर करने के संभावित परिणामों का विश्लेषण करें।

अस्पताल के लिए

- **कानूनी और नियामक कार्रवाई** : प्राधिकारी जांच शुरू कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं या लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, जिससे परिचालन निरंतरता प्रभावित हो सकती है।
- **प्रतिष्ठा को नुकसान** : सार्वजनिक प्रकटीकरण से अस्पताल की छवि खराब हो सकती है, जिससे मरीजों का विश्वास खत्म हो सकता है और आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आ सकती है।
- **अल्पकालिक वित्तीय घाटा:** अनैतिक आपूर्तिकर्ता अनुबंधों के रद्द होने और बढ़ी हुई जांच के कारण लाभ मार्जिन में गिरावट आ सकती है।

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए

- **प्रणालीगत सुधार** : इस खुलासे से निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में खरीद और बिलिंग प्रथाओं में नीतिगत परिवर्तन हो सकते हैं।
- **नैतिक मानकों की बहाली** : यह चिकित्सा बिरादरी के भीतर पेशेवर नैतिकता, रोगी अधिकारों और जवाबदेही मानदंडों को सुदृढ़ कर सकता है।
- **रोगियों का विश्वास बढ़ेगा** : यदि सुधारात्मक कार्रवाई की जाए और पारदर्शिता बरती जाए तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ सकता है।
- **निवारक प्रभाव** : अन्य संस्थाएं उजागर होने और परिणामों के भय से अनैतिक कार्यों से बच सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

(ग) इस स्थिति में आप क्या कार्रवाई करेंगे, और कौन से नैतिक सिद्धांत आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगे ?

आप क्या कदम उठाएंगे:

- **आंतरिक वृद्धि :** सबसे पहले, अस्पताल की आचार समिति और प्रबंधन के समक्ष दस्तावेज़ी तरीके से इस मुद्दे को उठाएं। बढ़ी हुई कीमतों, आपूर्तिकर्ता अनुबंधों और उपलब्ध विकल्पों का उचित दस्तावेज़ीकरण बनाए रखें।
- **मुखबिर की सुरक्षा को प्रोत्साहित करें :** कदाचार को उजागर करने में सहयोग करने वाले कर्मचारियों की गुमनामी और सुरक्षा सुनिश्चित करें।
- **बाह्य रिपोर्टिंग (यदि आंतरिक तंत्र विफल हो जाए) :** चिकित्सा नियामक प्राधिकरणों या भारतीय चिकित्सा परिषद तक मामला पहुंचाना।
- **रोगी वकालत :** सुनिश्चित करें कि रोगियों को सूचित किया जाए और जहां संभव हो, नैतिक और कानूनी सीमाओं के भीतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएं।

कार्रवाई का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक सिद्धांत:

- **परोपकार: प्रभावी, साक्ष्य-आधारित और किफायती देखभाल की वकालत करके रोगियों के सर्वोत्तम हित** में कार्य करने के कर्तव्य को कायम रखना, जिससे स्वास्थ्य परिणाम और रोगी की गरिमा में वृद्धि हो।
- **गैर-हानिकारकता:** ऐसे निर्णयों या प्रथाओं में मिलीभगत से बचना जो **रोगियों को शारीरिक, भावनात्मक या वित्तीय नुकसान पहुंचा सकती हैं।** अत्यधिक कीमत वाले और घटिया उपचारों को अस्वीकार करना इस मूलभूत चिकित्सा नैतिकता के अनुरूप है।
- **समानता और निष्पक्षता:** नैतिक कार्रवाई का लक्ष्य उन अन्यायपूर्ण प्रणालियों को नष्ट करना होना चाहिए जो रोगी के अधिकारों और सामाजिक समानता की अपेक्षा लाभ को प्राथमिकता देते हैं।
- **नैतिक और नैतिक नेतृत्व:** संस्थागत प्रतिरोध या व्यक्तिगत जोखिम के सामने सही तरीके से कार्य करने की शक्ति का प्रदर्शन करना। नैतिक नेतृत्व में **दूसरों के लिए मिसाल कायम करना,** ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है जहाँ सत्य और **न्याय पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।**
- **व्यावसायिक शपथ और सामाजिक अनुबंध के प्रति निष्ठा:** हिप्पोक्रेटिक शपथ और चिकित्सा पेशेवरों और समाज के बीच अंतर्निहित सामाजिक अनुबंध के प्रति निष्ठावान बने रहना - अर्थात मानव जीवन, विश्वास और कल्याण को अन्य सभी बातों से ऊपर प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष

एक वरिष्ठ चिकित्सा पेशेवर और नैतिक नेता के रूप में, आप पारदर्शिता, न्याय और रोगी कल्याण के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। जबकि कदाचार को उजागर करने से अल्पकालिक व्यवधान हो सकता है, यह अंततः संस्थागत विश्वसनीयता को मजबूत करता है, रोगी-केंद्रित देखभाल सुनिश्चित करता है, और अधिक नैतिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ावा देता है। **सच्चा नेतृत्व मूल्यों की रक्षा करने में निहित है, भले ही यह असुविधाजनक या व्यक्तिगत रूप से महंगा हो।**

प्रश्न : मीरा भारत की एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी में वरिष्ठ कार्यपालक हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में विशेषज्ञता रखती है। यह कंपनी एक दूरदराज़ क्षेत्र में एक बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण हेतु एक सरकारी अनुबंध के लिये बोली लगाने की प्रक्रिया में है। यह अनुबंध अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक है, जिसमें कई शीर्ष स्तर की कंपनियाँ भाग ले रही हैं और इस अनुबंध को जीतने से मीरा की कंपनी को उल्लेखनीय आर्थिक लाभ एवं व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है।

कुछ महीने पहले मीरा के देवर राजीव को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में एक वरिष्ठ पद पर नियुक्त किया गया था, जो मंत्रालय उस अनुबंध की निगरानी और स्वीकृति के लिये उत्तरदायी है। मीरा और राजीव के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और हालाँकि मीरा जानती है कि राजीव की पेशेवर प्रतिष्ठा मज़बूत है, वह यह भी समझती है कि उन पर सरकार की सौर ऊर्जा पहल को सफल बनाने का काफी दबाव है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मीरा की कंपनी इस निविदा के प्रमुख दावेदारों में से एक है, लेकिन उसे पता चलता है कि राजीव निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं और यह संभावना है कि वह अपने निजी संबंध के कारण मीरा की कंपनी को परोक्ष रूप से सहायता पहुँचा सकते हैं। मीरा एक अंतर्द्वंद्व में फँसी हुई है: वह जानती है कि उसकी कंपनी इस अनुबंध को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन साथ ही यह भी समझती है कि राजीव से पारिवारिक संबंध हितों के टकराव की धारणा को जन्म दे सकते हैं और पक्षपात के आरोप लग सकते हैं।

मीरा की दुविधा इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि कंपनी के शेयरधारक आक्रामक विस्तार के लिये दबाव डाल रहे हैं तथा यह अनुबंध जीतने से कंपनी का बाज़ार मूल्य काफी बढ़ सकता है। हालाँकि, मीरा नैतिक मानकों, जनधारणाओं तथा अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिष्ठा दोनों की की शुचिता को लेकर भी गहराई से चिंतित है।

(a) इस स्थिति में प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?

(b) चूँकि मीरा की राजीव से पारिवारिक संबंध है, ऐसे में बोली प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को नैतिक और पारदर्शी बनाये रखने के लिये उसे कौन-कौन से कदम उठाने चाहिये ?

(c) विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के अनुबंधों में, कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी निर्णयों को व्यक्तिगत संबंधों से प्रभावित होने देने के क्या संभावित जोखिम हो सकते हैं और ये जोखिम कंपनी की दीर्घकालिक सफलता को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं ?

परिचय:

मीरा, जो एक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी हैं, एक अत्यंत प्रतिस्पर्द्धी सरकारी अनुबंध के लिये बोली लगा रही हैं, जिसमें एक सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शामिल है। उनके देवर– राजीव, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो इस अनुबंध की देखरेख करते हैं। यह संभावना है कि राजीव, उनके पारिवारिक संबंधों को देखते हुए, बोली प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। मीरा को अपने व्यावसायिक दायित्वों और पारिवारिक संबंधों के बीच एक द्वंद्व का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य भाग:

(a) इस स्थिति में प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?

- **निजी बनाम व्यावसायिक सत्यनिष्ठा:** मीरा इस दुविधा में है कि वह अपने पारिवारिक संबंध राजीव के साथ प्रयोग कर इस अनुबंध को प्राप्त करने का प्रयास करे या अपनी व्यावसायिक निष्ठा बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करे कि उसकी कंपनी की बोली केवल उसकी गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकित की जाये।
  - पारिवारिक संबंधों का उपयोग अनुचित लाभ प्रदान कर सकता है जिससे वंशवाद या पक्षपात के आरोप लग सकते हैं, जो मीरा की और उसकी कंपनी की विश्वसनीयता को कमज़ोर कर सकते हैं।
- **कॉरपोरेट सफलता बनाम नैतिक मानदंड:** मीरा पर शेयरधारकों का यह दबाव है कि वह यह सरकारी अनुबंध प्राप्त करे, क्योंकि इसे जीतना कंपनी की आर्थिक स्थिति और बाज़ार मूल्य के लिये अत्यन्त लाभकारी होगा।
  - हालाँकि, उसे इस बात की चिंता है कि यदि इस अनुबंध में पारिवारिक संबंध की कोई भूमिका रही, तो कंपनी की सफलता को किस दृष्टि से देखा जायेगा।
  - वित्तीय लाभ की अंधी दौड़ में नैतिक मूल्यों और जनविश्वास की अवहेलना कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है।
- **पारदर्शिता बनाम गोपनीयता:** मीरा जानती है कि यदि राजीव का उसकी कंपनी की बोली में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी संलिप्तता रही, तो इससे पक्षपात या अनुचित प्रभाव का आभास उत्पन्न हो सकता है।
  - यदि वह अपने पारिवारिक संबंध को उजागर नहीं करती, तो इससे उस पर और कंपनी पर अनैतिक आचरण के आरोप लग सकते हैं जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लग सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **योग्यता बनाम पक्षपात:** मीरा की कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के क्षेत्र में अपने अनुभव और क्षमताओं के कारण अनुबंध की एक मज़बूत दावेदार है।
  - किंतु राजीव के प्रभाव की संभावना यह संकेत दे सकती है कि कंपनी की योग्यता की अपेक्षा पारिवारिक संबंधों ने अधिक भूमिका निभाई, जिससे योग्यता गौण प्रतीत हो सकती है।

(b) चूँकि मीरा की राजीव से पारिवारिक संबंध है, ऐसे में बोली प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को नैतिक और पारदर्शी बनाये रखने के लिये उसे कौन-कौन से कदम उठाने चाहिये?

- **निर्णय लेने की प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखना:** मीरा को किसी भी संभावित हितों के टकराव से बचने के लिये **बोली प्रक्रिया में किसी भी प्रत्यक्ष भागीदारी से पीछे हट जाना चाहिये।**
  - इसका अर्थ है बोली से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करने या उनमें भाग लेने से बचना।
  - राजीव के साथ उसके पारिवारिक संबंध को देखते हुए, उसकी **भागीदारी को पक्षपातपूर्ण माना जा सकता है, भले ही उसके कार्य पूरी तरह से नैतिक हों।** एक अस्वीकृति पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और पक्षपात के संदर्भ में किसी भी संदेह को दूर करती है।
- **संभावित हितों के टकराव की घोषणा करना:** मीरा को राजीव से अपने पारिवारिक संबंध के बारे में **अपनी कंपनी और संबंधित हितधारकों** (जैसे निदेशक मंडल और अन्य अधिकारियों) **के समक्ष औपचारिक रूप से खुलासा करना चाहिये।**
  - पूर्ण प्रकटीकरण पारदर्शिता और नैतिक मानकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा।
  - इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि **रिश्ते को लेकर कोई अस्पष्टता न हो और कंपनी** संघर्ष की धारणा को कम करने के लिये उचित कदम उठाए।
- **स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र लागू करना:** मीरा की कंपनी को बोली प्रक्रिया को संभालने के लिये एक स्वतंत्र समिति स्थापित करनी चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णय किसी बाह्य प्रभाव के बजाय योग्यता एवं कंपनी की क्षमताओं के आधार पर लिए जाएं।
  - आदर्श रूप से यह समिति उन वरिष्ठ अधिकारियों से गठित होनी चाहिये जिनका न तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से और न ही राजीव से कोई व्यक्तिगत संबंध हो। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
- **बोली के संबंध में राजीव के साथ संपर्क सीमित करना:** मीरा को राजीव के साथ बोली या चल रही अनुबंध प्रक्रिया पर चर्चा करने से बचना चाहिये, **भले ही वे चर्चाएँ सामान्य या निरापद प्रतीत हों।**
  - किसी भी प्रकार का संप्रेषण, भले ही अनौपचारिक हो, यह धारणा उत्पन्न कर सकता है कि राजीव निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वास्तव में ऐसा न भी हो।
  - व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामलों के बीच स्पष्ट सीमा बनाये रखने से किसी भी अनुचित प्रभाव की शंका समाप्त होगी।
- **बोली प्रक्रिया में सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** मीरा की कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि **बोली प्रक्रिया स्वयं अत्यंत पारदर्शिता के साथ संचालित की जाए।**
  - इसमें मूल्यांकन के लिये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानदंड, निष्पक्ष और खुली प्रतिस्पर्द्धा तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया का स्पष्ट दस्तावेज़ीकरण शामिल है।
  - यदि प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो ऐसी पारदर्शिता सार्वजनिक और संबद्ध पक्षों को यह आश्वासन दे सकती है कि किसी को अनुचित लाभ नहीं दिया गया है।

(c) विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के अनुबंधों में, कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी निर्णयों को व्यक्तिगत संबंधों से प्रभावित होने देने के क्या संभावित जोखिम हो सकते हैं और ये जोखिम कंपनी की दीर्घकालिक सफलता को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं?

- **न्याय और पारदर्शिता से समझौता:** मीरा का राजीव से व्यक्तिगत संबंध जैसे पारिवारिक संबंध, व्यावसायिक निर्णयों को निष्पक्षता के बजाय आत्मीयता से प्रभावित कर सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इससे पक्षपात या वंशवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहाँ अनुबंध या अवसर योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर प्रदान किये जाते हैं।
- दीर्घकाल में यह आंतरिक रूप से कंपनी के भीतर, हितधारकों के बीच और सार्वजनिक स्तर पर विश्वास को क्षीण कर देता है।

- **प्रतिष्ठा को क्षति:** यदि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुबंध में पक्षपात या अनैतिक व्यवहार की आंशका भी हो, विशेषकर तब जब उसमें कोई व्यक्तिगत संबंध शामिल हो, तो इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुँच सकती है।
  - इससे कंपनी के प्रति सार्वजनिक विश्वास डगमगा सकता है, जो निवेशकों के विश्वास, उपभोक्ताओं की निष्ठा तथा विनियामक प्राधिकरणों से संबंधों को प्रभावित कर सकता है।
  - समय के साथ यह प्रतिष्ठात्मक हानि कंपनी की नयी ग्राहकों, साझेदारों या निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता को सीमित कर सकती है और बाज़ार मूल्यांकन या प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त को कम कर सकती है।
- **कानूनी और अनुपालन संबंधी जोखिम:** जब निर्णयों में व्यक्तिगत संबंध प्रभाव डालते हैं, तो कंपनी अनजाने में हितों के टकराव, भ्रष्टाचार या अनुचित प्रतिस्पर्धा से संबंधित कानूनों का उल्लंघन कर सकती है।
  - उदाहरण के लिये, यदि मीरा की कंपनी को राजीव के प्रभाव के कारण कोई अनुबंध प्राप्त होता है, तो यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा और सार्वजनिक खरीद नियमों का उल्लंघन हो सकता है।
  - कानूनी चुनौतियाँ या जाँच-पड़ताल महँगी साबित हो सकती हैं और कंपनी के संसाधनों को संचालन से हटा सकती हैं।
  - दीर्घकालिक कानूनी विवादों से जुर्माना, अनुबंधों की हानि या भविष्य के कार्यों से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ मामलों में आपराधिक आरोपों तक की संभावना हो सकती है, जिससे वित्तीय हानि और बाज़ार स्थिति को लंबे समय तक नुकसान हो सकता है।
- **कॉर्पोरेट सुशासन का क्षरण:** जब व्यक्तिगत संबंध कंपनी के शासकीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं, तो इससे निदेशक मंडल, कार्यकारी प्रबंधन और अन्य शासकीय संरचनाओं की प्रभावशीलता कमज़ोर होती है।
  - यह उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता की कमी को जन्म देता है, जो अच्छे कॉर्पोरेट सुशासन का मूलभूत आधार है।
  - कमज़ोर शासकीय ढाँचे में प्राय: अनुचित निर्णय लिये जाते हैं, जिससे संसाधनों का अकुशल एवं अनुचित वितरण, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **कर्मचारी विश्वास और कार्य-संस्कृति का क्षरण:** यदि कर्मचारियों को ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णयों में प्रदर्शन या योग्यता के स्थान पर व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है, तो इससे नेतृत्व और कंपनी के मूल्यों में उनका विश्वास घट सकता है।
  - कंपनी में कर्मचारियों के छोड़ने की दर बढ़ सकती है, मनोबल कमज़ोर हो सकता है और उत्पादकता घट सकती है।
  - योग्य कर्मचारी उन संस्थाओं में चले जाते हैं जहाँ नैतिक मानक बेहतर होते हैं, जिससे कंपनी की वृद्धि और नवाचार की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इन जोखिमों का निराकरण:

इन जोखिमों का निराकरण करने के लिये कंपनियों को मज़बूत शासन नीतियाँ अपनानी चाहिये, जिनमें निम्नलिखित शामिल हों:

- **संघर्ष-हित के स्पष्ट दिशानिर्देश:** कर्मचारियों, विशेषकर उच्च पदस्थ अधिकारियों को अपने संभावित हित-संघर्षों का खुलासा करना चाहिये और जहाँ ऐसा टकराव हो, वहाँ निर्णय प्रक्रिया से स्वयं को अलग कर लेना चाहिये।
- **स्वतंत्र निर्णय-निर्माण कार्यढाँचे:** महत्त्वपूर्ण निर्णयों, विशेषकर प्रतिस्पर्द्धी निविदा प्रक्रियाओं या सार्वजनिक अनुबंधों में, स्वतंत्र समीक्षा या निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिये।
- **क्रय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सार्वजनिक क्षेत्र के अनुबंधों की निविदा प्रक्रिया खुली, पारदर्शी तथा योग्यता आधारित हो, ताकि किसी प्रकार के अनुचित प्रभाव से बचा जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सूचनादाता नीति:** ऐसी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये जिससे कर्मचारी किसी भी अनैतिक व्यवहार की गुमनाम रूप से तथा प्रतिशोध के भय के बिना सूचना दे सकें।

निष्कर्ष:

इस प्रसंग में **मीरा को व्यक्तिगत संबंधों की तुलना में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिये।** निविदा प्रक्रिया से स्वयं को अलग करके तथा स्वतंत्रता सुनिश्चित करके वह कर्त्तव्य-आधारित नैतिकता (कांट के नैतिकता सिद्धांत) का पालन करती हैं, जिससे निष्पक्षता और उत्तरदायित्व बना रहता है। इससे न केवल उसकी कंपनी की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है, बल्कि जनविश्वास भी बना रहता है, जो दीर्घकालिक सफलता के लिये अनिवार्य है।

प्रश्न : विक्रम एक तेजी से बढ़ते महानगरीय शहर में शहरी योजनाकार हैं। उनके विभाग को एक पुराने औद्योगिक क्षेत्र को आधुनिक आवासीय पड़ोस में पुनर्विकास करने की देखरेख का काम सौंपा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के जीर्ण-शीर्ण हिस्से को पुनर्जीवित करना और सैकड़ों परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना है। हालाँकि, जिस क्षेत्र में यह पुनर्विकास होना है, वहाँ एक जीवंत लेकिन निम्न-आय वाली समुदाय वर्षों से निवास कर रहा है। जबकि स्थानीय सरकार ने वादा किया है कि यह परियोजना आर्थिक अवसर और बेहतर जीवन स्तर लाएगी, विक्रम ने कुछ चिंताजनक तथ्य उजागर करने शुरू कर दिये हैं। वहाँ रहने वाले कई लोग दशकों से उस क्षेत्र में बसे हुए हैं और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान उस जगह से जुड़ी हुई है। वे छोटे व्यवसाय भी चलाते हैं जो उनकी जीविका के लिये आवश्यक हैं।

पुनर्विकास योजना में उनके घरों और व्यवसायों को तोड़ने, उन्हें उस क्षेत्र से हटाकर शहर के एक अलग हिस्से में पुनर्वासित करने का प्रस्ताव है, जो उनके वर्तमान समुदाय और समर्थन प्रणाली से काफी दूर है। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार किस प्रकार विस्थापित परिवारों के लिये किफायती आवास सुनिश्चित करेगी या उन्हें उचित मुआवज़ा दिया जाएगा या नहीं। विक्रम यह भी जानते हैं कि इस परियोजना के पीछे बड़े आर्थिक हित छिपे हैं। कई प्रभावशाली रियल एस्टेट डेवलपर्स को इस पुनर्विकास से भारी लाभ होने की संभावना है, और उनके दबाव ने योजना प्रक्रिया को काफी प्रभावित किया है। विक्रम, जो शुरू में इस परियोजना की संभावनाओं को लेकर उत्साहित थे, अब गहरी उलझन में हैं।

एक ओर, यह परियोजना आर्थिक विकास ला सकती है, लेकिन दूसरी ओर, यह एक हाशिये पर खड़े समुदाय को भारी सामाजिक नुकसान पहुँचा सकती है। जैसे-जैसे परियोजना आगे बढ़ती है, विक्रम पर उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बिना और जाँच-पड़ताल के इसे मंज़ूरी देने का दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि किसी भी देरी से फंडिंग खतरे में पड़ सकती है तथा शहर की समग्र विकास योजना प्रभावित हो सकती है।

विक्रम जानते हैं कि यदि वे आपत्ति उठाते हैं या योजना की समीक्षा की माँग करते हैं तो उनके करियर को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। लेकिन साथ ही वे यह भी महसूस करते हैं कि सिर्फ आर्थिक विकास और रियल एस्टेट के लाभ के लिये एक संवेदनशील समुदाय को विस्थापित करना नैतिक रूप से गलत है। यह स्थिति विक्रम को एक गहरे नैतिक द्वंद्व में डाल देती है, जहाँ एक ओर एक शहरी योजनाकार के रूप में उनकी व्यावसायिक ज़िम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर एक नागरिक के रूप में उनकी सामाजिक और नैतिक ज़िम्मेदारी।

(a) इस स्थिति में प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

(b) विक्रम को इस स्थिति में हितों के टकराव को कैसे संभालना चाहिये, जिसमें शक्तिशाली डेवलपर्स परियोजना के लिये दबाव डाल रहे हैं तथा हाशिए पर पड़े समुदाय को विस्थापित कर रहे हैं?

(c) क्या आर्थिक विकास किसी समुदाय के विस्थापन को उचित ठहरा सकता है? ऐसी विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय नीति निर्माताओं को किन नैतिक सिद्धांतों का मार्गदर्शन करना चाहिये?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

यह प्रकरण विक्रम नामक एक शहरी योजनाकार से संबद्ध है, जिसे एक पुनर्विकास परियोजना की देखरेख करते समय एक नैतिक द्वंद्व का सामना करना पड़ रहा है। यह परियोजना आर्थिक विकास का वादा तो करती है, परंतु इसके चलते एक लंबे समय से बसे, वंचित समुदाय के विस्थापन का जोखिम उत्पन्न होता है। स्वार्थपूर्ण हितों वाले पक्ष विक्रम पर यह दबाव बना रहे हैं कि वह इस परियोजना को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के ही स्वीकृति दे दें। ऐसे में विक्रम के समक्ष चुनौती है कि क्या वह व्यावसायिक अनुरूपता का पालन करे या नैतिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दे।

- यह द्वंद्व **जॉन रॉल्स के 'न्याय के सिद्धांत'** से गहन रूप से संगत है, जिसके अनुसार वास्तविक विकास वही होता है जो समाज के सबसे वंचित वर्गों को भी न्यायसंगत लाभ पहुँचाये।

(a) इस स्थिति में प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

- **व्यावसायिक कर्त्तव्य बनाम नैतिक सत्यनिष्ठा:** विक्रम से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करे और परियोजना को शीघ्रता से स्वीकृत करें। हालाँकि, वह नैतिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिये बाध्य है कि परियोजना सभी हितधारकों के लिये निष्पक्ष और न्यायसंगत हो।
- **शहरी विकास बनाम सामाजिक न्याय:** पुनर्विकास से बुनियादी अवसंरचना में वृद्धि और आर्थिक लाभ का वादा किया गया है। लेकिन इससे क्षेत्र में गहन सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें रखने वाले कमज़ोर समुदाय के विस्थापित होने का जोखिम है।
- **व्यक्तिगत कॅरियर सुरक्षा बनाम नैतिक साहस:** आपत्ति जताने से विक्रम के कॅरियर और भविष्य के अवसरों को नुकसान पहुँच सकता है। फिर भी चुप रहना उसके मूल्यों और प्रभावित नागरिकों के अधिकारों से समझौता है।
- **दक्षता और समयसीमा बनाम व्यापक जाँच:** योजना को बिना विलंब स्वीकृति देना नगर के विकास कार्यक्रम की प्रगति को बनाए रखेगा। हालाँकि, यदि मुआवज़ा और पुनर्वास जैसी महत्त्वपूर्ण कमियों को नज़रअंदाज़ किया गया तो दीर्घकालिक हानि हो सकती है।
- **रियल एस्टेट हित बनाम जन कल्याण:** शक्तिशाली डेवलपर्स को इस परियोजना से काफी लाभ होगा। विक्रम को इन हितों और वहाँ पहले से रह रहे लोगों के अधिकारों व कल्याण के बीच संतुलन सुनिश्चित करना होगा।
- **सरकारी वादे बनाम वास्तविक स्थिति:** सरकारी दावे **सस्ती आवासीय सुविधा और सामाजिक उन्नयन** की बात करते हैं, परंतु विक्रम के निष्कर्षों से पता चलता है कि विस्थापित समुदाय के लिये इन वादों के पीछे कोई स्पष्ट या बाध्यकारी गारंटी नहीं है।

(b) विक्रम को इस स्थिति में हितों के टकराव को कैसे संभालना चाहिये, जिसमें शक्तिशाली डेवलपर्स परियोजना के लिये दबाव डाल रहे हैं तथा हाशिए पर पड़े समुदाय को विस्थापित कर रहे हैं?

- **विस्तृत दस्तावेज़ीकरण और पारदर्शिता की मांग करना:** विक्रम को पुनर्वास, मुआवज़े और किफायती आवास प्रावधानों पर औपचारिक रूप से लिखित विवरण का अनुरोध करना चाहिये।
  - इससे बिना किसी टकराव के साक्ष्य-आधारित मामला बनता है।
- **हितधारक परामर्श प्रक्रिया आरंभ करना:** वह स्थानीय समुदाय, गैर सरकारी संगठनों और योजना प्राधिकरणों के साथ सार्वजनिक परामर्श या हितधारक सुनवाई का प्रस्ताव कर सकते हैं।
  - इससे योजना को लोकतांत्रिक वैधता मिलेगी और अनदेखी सामाजिक चिंताओं पर प्रकाश डाला जा सकेगा।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन की संस्तुति:** त्वरित आकलन का सुझाव देने से आजीविका और संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन में सहायता मिल सकती है। यह पेशेवर कदम व्यावहारिक है और उठाई गई किसी भी चिंता को बल देता है।
- **संशोधित, समावेशी विकास योजना का प्रस्ताव:** विक्रम वैकल्पिक उपाय सुझा सकते हैं, जैसे कि यथास्थान पुनर्विकास, चरणबद्ध स्थानांतरण या EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) आवास को शामिल करना, जो विकास और न्याय के बीच संतुलन स्थापित कर सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **आंतरिक रिपोर्टिंग तंत्र का उपयोग करना:** यदि विक्रम पर अनुचित ढंग से दबाव डाला जाता है, तो उन्हें विभागीय औपचारिक संप्रेषण माध्यमों के माध्यम से अपनी शंकाओं को दर्ज कराना चाहिये। इससे एक ओर तो वह प्रतिशोध से सुरक्षित रहेंगे, वहीं दूसरी ओर नैतिक सावधानी का दस्तावेज़ी प्रमाण भी रहेगा।
- **नागरिक समाज और विधिक उपायों से सावधानीपूर्वक संपर्क (यदि आवश्यक हो):** यदि पुनर्वास-नियत सुरक्षा उपायों के बिना विस्थापन आगे बढ़ता है, तो विक्रम निगरानी संस्थाओं, नागरिक संगठनों या विधिक सहायता समूहों को गोपनीय रूप से सूचित कर सकते हैं ताकि संभावित अधिकार हनन के मामलों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके।
- **अपनी स्थिति का दस्तावेज़ीकरण करना:** अपनी पेशेवर सत्यनिष्ठा की रक्षा के लिये विक्रम को चाहिये कि वह अपने सुझावों और आपत्तियों से संबंधित आंतरिक ज्ञापन या बैठक विवरण को सुरक्षित रखें। इससे भविष्य में उत्तरदायित्व तय करने में सहायता मिलेगी।

विक्रम को विरोधी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार योजनाकार के रूप में काम करना चाहिये जो विकास को नैतिक शासन के साथ एकीकृत करता है। प्रणाली के भीतर रहकर, विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए और निष्पक्षता के लिये सामूहिक दबाव बनाते हुए वह जनहित एवं व्यक्तिगत नैतिकता, दोनों की रक्षा कर सकते हैं।

(c) क्या आर्थिक विकास किसी समुदाय के विस्थापन को उचित ठहरा सकता है? ऐसी विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय नीति निर्माताओं को किन नैतिक सिद्धांतों का मार्गदर्शन करना चाहिये?

हालाँकि राष्ट्रीय प्रगति के लिये आर्थिक विकास अनिवार्य है, किंतु यह समुदायों के विस्थापन को बिना शर्त उचित नहीं ठहरा सकता, विशेषत: जब प्रभावित जनसंख्या संवेदनशील, ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित अथवा सार्थक विकल्पों से वंचित हो। विकास की प्रक्रिया समावेशी, न्यायसंगत और नैतिक रूप से आधारित होनी चाहिये।

विकास के नाम पर विस्थापन को अंधाधुंध उचित क्यों नहीं ठहराया जा सकता:

- **मानवाधिकार और गरिमा:** हर व्यक्ति को आश्रय, आजीविका और सामाजिक पहचान का अधिकार है। इन अधिकारों की कीमत पर आर्थिक विकास नैतिक रूप से समस्याग्रस्त हो जाता है।
- **सामाजिक विघटन और सांस्कृतिक क्षति:** समुदाय केवल भौतिक बस्तियाँ नहीं हैं; वे सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक विरासत और अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं का प्रतीक हैं, जो प्राय: अपूरणीय होती हैं।
- **विषमता और अन्याय:** विकास का लाभ प्राय: बड़े उद्योगों और संपन्न वर्गों को मिलता है, जबकि विस्थापितों को दीर्घकालिक कष्ट एवं असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति विकासात्मक अन्याय को जन्म देती है।
- **ऐतिहासिक उदाहरण:** पिछले अनेक अनुभव (जैसे: नर्मदा जैसी बड़ी बाँध परियोजनाएँ) दर्शाते हैं कि यदि विस्थापन का प्रबंध सही ढंग से न हो तो वह निर्धनता, सामाजिक अपवर्जन और अशांति को बढ़ावा देता है।

नीतिनिर्माताओं को जिन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिये:

- **सुरक्षा सहित उपयोगितावाद:** समग्र रूप से अधिकतम कल्याण का प्रयास हो, पर यह भी सुनिश्चित हो कि किसी एक वर्ग पर अत्यधिक बोझ न पड़े।
- **न्याय और समता (रॉल्स का नैतिक दृष्टिकोण):** विस्थापित समुदायों को ऐसा मुआवज़ा मिलना चाहिये जिससे उनकी स्थिति सुधरे, न कि और खराब हो। विकास का लाभ सबसे पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिये।
- **सूचित सहमति का सिद्धांत:** प्रभावित समुदायों से खुले संवाद के माध्यम से उनकी **'स्वतंत्र, पूर्व-प्राप्त और सूचित सहमति' प्राप्त करना अनिवार्य** है।
- **पुनर्वास एक अधिकार है, दान नहीं:** पुनर्वास केवल औपचारिकता न होकर एक अधिकार होना चाहिये, जो प्रभावितों को समान या बेहतर जीवन-स्तर उपलब्ध कराये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **संधारणीयता और समावेशिता:** विकास को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाना होगा तथा इसे 'कोई वंचित न रह जाए' के **सतत् विकास लक्ष्य के सिद्धांतों के साथ संरेखित** करना होगा।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** नीतिगत निर्णयों में पारदर्शिता हो, स्वतंत्र मूल्यांकन हों और शिकायत निवारण की स्पष्ट व्यवस्था हो ताकि विस्थापितों के अधिकार सुरक्षित रहें।

निष्कर्ष:

"विकास का मतलब कारखानों, बाँधों और सड़कों से नहीं है। विकास का मतलब लोगों से है। इसका लक्ष्य लोगों की भलाई में सुधार करना है।"

विक्रम को विकास और सामाजिक न्याय के बीच इस नाजुक संतुलन को बनाये रखने की आवश्यकता है, जिसमें पारदर्शिता, समावेशी योजना एवं विस्थापित समुदायों की गरिमा व अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास आवश्यक है, पर यह नैतिक उत्तरदायित्व और मानवीय पीड़ा की अनदेखी करते हुए संभव नहीं हो सकता।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : सत्यनिष्ठा किसी व्यक्ति के जीवन में शक्ति और सशक्तीकरण के स्रोत के रूप में किस प्रकार कार्य करती है? उदाहरणों के साथ समझाइये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- किसी व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ है, समझाइए।
- चर्चा कीजिये कि सत्यनिष्ठा किस तरह से किसी व्यक्ति में विश्वास, आत्म-सम्मान और आंतरिक संरेखण को बढ़ावा देकर उसे मजबूत और सशक्त बनाती है। वास्तविक विश्व का उपयोग करके यह स्पष्ट कीजिये कि सत्यनिष्ठा किस तरह से सशक्तीकरण की ओर ले जाती है।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सत्यनिष्ठा से तात्पर्य **ईमानदार होने** तथा **मज़बूत नैतिक सिद्धांतों** को रखने से है, जिन्हें आप किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागते हैं। इसका अर्थ है – **पारदर्शिता, उत्तरदायित्व** और **अपने मूल्यों के प्रति अडिग रहकर** कार्य करना। सत्यनिष्ठा केवल नियमों का पालन करने से कहीं अधिक है, यह आपके **कार्यों में वास्तविक और सुसंगत होने** के बारे में है, जो चरित्र का निर्माण करता है और **दीर्घकालिक व्यक्तिगत शक्ति और विश्वसनीयता** को बढ़ावा देता है।

मुख्य भाग:

सत्यनिष्ठा शक्ति और सशक्तीकरण का संवर्द्धन करती है;

- **विश्वास और सम्मान का निर्माण:** सत्यनिष्ठा व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों प्रकार के **संबंधों में विश्वास की आधारशिला** होती है। जब व्यक्ति अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप निरंतर आचरण करते हैं, तो उन्हें **दूसरों का सम्मान और विश्वास** प्राप्त होता है। यही विश्वास आगे चलकर विकास और प्रगति के अवसरों के द्वार खोलता है।
  - **उदाहरणस्वरूप, महात्मा गांधी** की **अहिंसा और सत्य** के प्रति अडिग प्रतिबद्धता ने, कठिन परिस्थितियों में भी, उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया और राष्ट्र को स्वतंत्रता की ओर ले जाने में उन्हें सशक्त बनाया।
- **आंतरिक शांति को सुदृढ़ करना:** अपने मूल्यों पर अडिग रहकर, सत्यनिष्ठा **आंतरिक शांति और आत्म-सम्मान** को बनाए रखने में सहायक होती है। यह उन **आंतरिक संघर्षों को रोकती** है जो अपने सिद्धांतों से समझौता करने पर उत्पन्न होते हैं।
  - सत्यनिष्ठ व्यक्ति **पूर्णता की भावना का अनुभव** करते हैं, क्योंकि उनके कार्य उनके मूल मूल्यों के अनुरूप होते हैं।
    - **उदाहरण के लिये,** जो व्यक्ति **कार्यस्थल पर अनैतिक कार्यों में संलग्न नहीं होता,** भले ही अन्य लोग ऐसा कर रहे हों, वह व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनता है।
- **निर्णय लेने में सशक्त बनाना:** सत्यनिष्ठा **निर्णय-निर्माण में मार्गदर्शक** की भूमिका निभाती है, जिससे व्यक्ति ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो उनके नैतिक मानदंडों के अनुरूप हों। यह **भ्रम और आत्म-संदेह को कम** करती है क्योंकि व्यक्ति अपने मूल्यों को लेकर स्पष्ट होते हैं।
  - **उदाहरण के लिये, सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को स्वतंत्र भारत में एकीकृत करने** में केंद्रीय भूमिका निभाकर **अद्वितीय सत्यनिष्ठा और निर्णय क्षमता** का परिचय दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाना:** सत्यनिष्ठा व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करने और कठिन निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। इससे उन्हें अपनी नैतिक मान्यताओं के प्रति सच्चे रहते हुए चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है, जो उन्हें दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करती है।
  - उदाहरण के लिये, **सामाजिक न्याय के प्रति डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अटूट प्रतिबद्धता** ने उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया।
- **नेतृत्व के स्तंभ के रूप में सत्यनिष्ठा: प्रभावी नेतृत्व के लिये सत्यनिष्ठा अनिवार्य है,** क्योंकि यह कार्यों को मूल्यों के अनुरूप निरंतर बनाए रखकर विश्वास अर्जित करती है। यह सहयोग, निष्ठा और दीर्घकालिक सफलता को प्रोत्साहित करती है।
  - **टी. एन. शेषन** ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया जब उन्होंने **आदर्श आचार संहिता (MCC)** को कठोरता से लागू करते हुए **चुनावी कदाचार** पर अंकुश लगाया और नैतिक शासन के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा दिया।

निष्कर्ष:

जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, "हर कोई गलती करता है, लेकिन सत्यनिष्ठा का अर्थ है उन्हें स्वीकार करना।" यह व्यक्ति को प्रामाणिक जीवन जीने, विश्वास बनाने और अपने मूल्यों के प्रति सत्यनिष्ठ बने रहने का बल प्रदान करती है। आत्म-सम्मान और स्पष्टता को बढ़ावा देकर, सत्यनिष्ठा मानसिक दृढ़ता को सुदृढ़ करती है और व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास को प्रेरित करती है।

प्रश्न : वर्तमान संदर्भ में आपके लिये ऑस्कर वाइल्ड के इस उद्धरण — *"सच्चाई शायद ही कभी निष्कलुष होती है और कभी सरल नहीं होती !"* **का क्या आशय है? (150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- उद्धरण का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
- आधुनिक समाज और व्यक्तिगत जीवन में सच्चाई की जटिलता कैसे प्रकट होती है, इस पर चर्चा कीजिये और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ऑस्कर वाइल्ड का कथन, ***सच्चाई शायद ही कभी निष्कलुष होती है और कभी सरल नहीं होती,*** से यह संकेत मिलता है कि **सच्चाई** शायद ही कभी **पूर्णत: निरपेक्ष या शुद्ध** होती है (दुर्लभ ही शुद्ध) और लगभग **हमेशा जटिलताओं से परिपूर्ण** होती है (कभी सरल नहीं)। एक ऐसी विश्व में जहाँ हम **निरंतर स्पष्टता और निश्चितता की खोज** करते हैं, यह कथन हमें सच्चाई में **निहित अस्पष्टता और विरोधाभासों को स्वीकार करने** की चुनौती देता है, और यह समझने के लिये प्रेरित करता है कि **जिसे हम सत्य मानते हैं, वह प्राय: दृष्टिकोणों, पक्षपात, परिस्थितियों और अधूरी जानकारी से प्रभावित** होता है।

मुख्य भाग:

- **सच्चाई की जटिलता:** सच्चाई अपने सबसे शुद्ध रूप में सरल प्रतीत हो सकती है, लेकिन **वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ प्राय: इसे विभिन्न स्तरों में प्रस्तुत** करती हैं। यह जटिलता **विभिन्न व्याख्याओं, तथ्यों के परस्पर क्रिया और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों** से उत्पन्न होती है।
  - **उदाहरण के लिये,** राजनीतिक क्षेत्र में **आरक्षण जैसी नीति निर्णय के पीछे** की **सच्चाई सतह पर सहज** प्रतीत हो सकती है, लेकिन गहराई से देखने पर इसमें ऐतिहासिक संदर्भ और रणनीतिक हित जैसे अनेक कारक सामने आते हैं जो सच्चाई को दुर्बोध बना देते हैं।
- **सत्य की व्यक्तिपरकता:** जो **सत्य एक व्यक्ति के लिये होता है, वह किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से भिन्न** हो सकता है, क्योंकि यह **व्यक्तिगत अनुभवों, संस्कृति और मूल्यों** से प्रभावित होता है। सत्य की यह व्यक्तिपरकता इसे सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करना प्राय: कठिन बना देती है।
  - **उदाहरण के लिये,** सोशल मीडिया चर्चाओं में लोग प्राय: **इस बात पर विभिन्न मत रखते हैं कि सच्चाई क्या है,** क्योंकि प्रत्येक दृष्टिकोण व्यक्तिगत विश्वासों और जानकारी के चयनित स्रोतों से प्रभावित होता है।
- **संदर्भ की भूमिका:** जिस **संदर्भ में सच्चाई की जाँच की जाती है,** वह इसके समझने के तरीके को निर्धारित करता है। जो एक संदर्भ में सत्य माना जाता है, वह दूसरी परिस्थितियों में बदल भी सकता है। बहुत कम मामलों में चीजें पूरी तरह से **ब्लैक या व्हाइट** होती हैं; अधिकांश मामलों में **सच्चाई के अनेक पहलू** और कथाएँ एक साथ मौजूद रहती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उदाहरण के लिये,** कानूनी परिवेश में सच्चाई केवल तथ्यात्मक सटीकता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह **व्याख्या** पर भी निर्भर करती है। जैसे न्यायालयों में देखा जाता है, जहाँ **विधिक तर्क और कानून की व्याख्याएँ** इस बात में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि किसे *सत्य* माना जाए।

- **व्यक्तिगत जीवन में सच्चाई:** व्यक्तिगत संबंधों में, सच्चाई प्राय: सूक्ष्मता के साथ आती है, जो भावनाओं, इरादों और गलतफहमियों से प्रभावित होती है। शुद्ध सत्य कभी-कभी दुष्प्रभावी हो सकता है, तथा तथ्यों को समझने में भावनाएँ प्रभावित हो सकती हैं।
  - **उदाहरण के लिये,** भावनाएँ और पूर्व अनुभव इस बात को प्रभावित करते हैं कि घटनाओं को कैसे याद किया जाता है और उनकी व्याख्या कैसे की जाती है।

निष्कर्ष:

वाइल्ड का यह उद्धरण हमें **जटिलता को समझने, सरलीकृत निर्णयों से बचने और अपने निर्णयों में न्यायप्रियता तथा सहानुभूति बनाए रखने** के लिये प्रोत्साहित करता है। सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत आचरण में यह स्वीकार करना कि सच्चाई न तो पूर्णत: शुद्ध है और न ही सरल, ईमानदारी, सहिष्णुता और विश्व की गहरी समझ को बढ़ावा देता है।

प्रश्न : लोक सेवकों की प्रभावशीलता में दृष्टिकोण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण कुशल लोक सेवा में किस प्रकार योगदान देता है तथा कौन-से व्यक्तिगत एवं बाह्य कारक इस दृष्टिकोण के विकास को प्रभावित करते हैं? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- एक लोक सेवक के जीवन और कर्त्तव्यों के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण की अवधारणा को परिभाषित करें।
- चर्चा कीजिये कि किस प्रकार सकारात्मक दृष्टिकोण लोक प्रशासन में दक्षता को बढ़ाता है, निर्णय लेने और जनता के विश्वास को प्रभावित करता है। साथ ही, लोक सेवाओं के उदाहरणों के साथ, व्यक्तिगत और बाह्य कारकों का परीक्षण कीजिये जो इसे विकसित करने में मदद करते हैं।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

एक **सकारात्मक दृष्टिकोण एक आशावादी और समाधानोन्मुख मानसिकता** होती है, जो व्यक्ति को दृढ़ता एवं खुली सोच के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। लोक सेवा के संदर्भ में इसका अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन को बेहतर बनाता है बल्कि लोक प्रशासन की समग्र प्रभावशीलता को भी सुदृढ़ करता है। यह बेहतर निर्णय-निर्माण को प्रोत्साहित करता है तथा अधिक दक्ष और उत्तरदायी सेवा-प्रदाय में सहायक होता है।

मुख्य भाग:

कुशल लोक सेवा में सकारात्मक दृष्टिकोण का योगदान

- **समस्या समाधान और नवाचार:** सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोक सेवक **समस्याओं का समाधान रचनात्मक ढंग से करने में अधिक सक्षम** होते हैं, जो कुशल शासन के लिये अत्यावश्यक है। सकारात्मक मानसिकता **'रूढ़ सोच' से परे जाकर विचार करने को प्रेरित करती है,** जिससे जटिल **प्रशासनिक चुनौतियों को सुलझाने में सहायता** मिलती है।
  - उदाहरणस्वरूप, **मणिपुर के एक IAS अधिकारी आर्मस्ट्रॉन्ग पेम** ने अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से **समुदायिक संसाधनों को संगठित कर जनसहभागिता से एक दूरस्थ क्षेत्र में 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया।**
- **विश्वास और सम्मान:** लोक सेवा में **विश्वास की भावना अत्यंत महत्त्वपूर्ण** होती है, और इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से ही पोषित किया जा सकता है। नागरिक उन अधिकारियों पर अधिक विश्वास करते हैं जो **आशावाद, पेशेवर नैतिकता और जनसेवा के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन** करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, तिरुनेलवेली की कलेक्टर शिल्पा प्रभाकर सतीश ने, अपनी पुत्री को एक सरकारी आँगनवाड़ी केंद्र में दाखिल करवा कर **सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में जनविश्वास को सशक्त किया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **मनोबल और उत्पादकता में वृद्धि:** सकारात्मक दृष्टिकोण कार्यस्थल के मनोबल को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिससे लोक सेवक कठिन परिस्थितियों में भी प्रेरित तथा उत्पादक बने रहते हैं। यह जनसेवा से जुड़ी भूमिका में आने वाले तनाव एवं दबाव का सामना करने में सहायक होता है।
  - उदाहरण के लिये, कोविड-19 महामारी के दौरान, ज़िलाधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों जैसे लोक सेवकों ने सकारात्मक एवं सेवा-प्रधान दृष्टिकोण अपनाते हुए लॉकडाउन प्रबंधन, संगरोध केंद्रों तथा टीकाकरण अभियानों का प्रभावी संचालन किया।

सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत और बाह्य तत्त्व

- **व्यक्तिगत तत्त्व:**
  - **भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्म-जागरूकता:** जिन लोक सेवकों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधिक होती है वे अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं जिससे वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाये रखते हैं।
  - **कार्य निष्ठा और आत्म-प्रेरणा:** दृढ़ नैतिक मूल्य, अनुशासन तथा लोकसेवा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्ति को अपने कर्त्तव्यों पर केंद्रित रहने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाये रखने में सहायता करती है।
- **बाह्य तत्त्व:**
  - **संगठनात्मक सहयोग:** ऐसा कार्य वातावरण जो लोक सेवकों के प्रयासों को मान्यता दे तथा सहयोगात्मक हो, उनके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित प्रतिपुष्टि, प्रशंसा तथा कॅरियर विकास के अवसर मनोबल को बढ़ाते हैं।
    - **जनता की निगरानी और अपेक्षाएँ:** लोक सेवकों पर सार्वजनिक निगरानी और उच्च अपेक्षाएँ सकारात्मक या नकारात्मक, दोनों प्रभाव डाल सकती हैं।
  - **नेतृत्व का प्रभाव:** लोक सेवक प्राय: अपने नेताओं के मूल्यों और दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं। जब नेतृत्व पारदर्शिता, नैतिक आचरण और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करता है तो वह प्रशासनिक संस्कृति को सकारात्मक एवं प्रतिबद्ध बनाता है।
    - उदाहरणस्वरूप, सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्रता के पश्चात 560 से अधिक देशी रियासतों के एकीकरण में दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व का परिचय दिया।
    - उनके निर्णायक स्वभाव, स्पष्ट लक्ष्य और नैतिक दृष्टिकोण ने नवगठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) को गहन रूप से प्रभावित किया तथा लोक सेवकों में कर्त्तव्य-बोध, अनुशासन एवं राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न की।

निष्कर्ष:

जैसा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ***"दृष्टिकोण एक छोटी सी चीज़ है जो बड़ा अंतर लाती है।"*** सकारात्मक दृष्टिकोण लोक सेवकों की कार्यक्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है क्योंकि यह मनोबल, विश्वास और समस्या-समाधान की क्षमता को सशक्त करता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं तथा संस्थागत सहयोग, दोनों से उत्पन्न होता है। शासन-प्रणाली को यदि वास्तविक रूप में उत्तरदायी बनाना है तो ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना अनिवार्य है।

प्रश्न : जॉन सी. मैक्सवेल का यह कथन, "नेता वही होता है जो मार्ग को जानता है, उस पर चलता है और दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित करता है।" वर्तमान संदर्भ में लोक सेवकों पर किस प्रकार लागू होता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नेतृत्व के संदर्भ में उद्धरण का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि नेतृत्व के पदों पर आसीन लोक सेवकों के लिये मार्ग को समझना, उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना और दूसरों का मार्गदर्शन करना क्यों आवश्यक है। उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

जॉन सी. मैक्सवेल का उद्धरण प्रभावी नेतृत्व के मूल तत्त्वों— **ज्ञान, कर्म और मार्गदर्शन** पर ज़ोर देता है। लोक सेवकों के लिये यह दृष्टिकोण शासन, नीति-निर्माण और जनसेवा जैसे जटिल क्षेत्र में मार्गनिर्देशन हेतु अनिवार्य है। लोक सेवकों को न केवल आवश्यक ज्ञान से युक्त होना चाहिये, बल्कि उन्हें आचरण से नेतृत्व करना और दूसरों को सही दिशा में मार्ग दिखाना भी आना चाहिये।

मुख्य भाग:

- **मार्ग ज्ञात होना अर्थात् ज्ञान और दूरदर्शिता:** लोक सेवकों के पास उन तंत्रों, नीतियों और समस्याओं का गहन ज्ञान होना चाहिये जिनसे वे संबद्ध हैं। साथ ही, उनमें भविष्य की चुनौतियों को भाँपने और उसके अनुसार योजनाएँ बनाने की दूरदृष्टि भी होनी चाहिये।
  - उदाहरणस्वरूप, **भारत में आरक्षण नीति के निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में लोक सेवकों की भूमिका** के लिये यह आवश्यक था कि वे संवैधानिक प्रावधानों, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों एवं सामाजिक-आर्थिक विषमताओं की गहरी समझ रखें, साथ ही इस नीति के समाज पर प्रभाव का पूर्वानुमान भी लगा सकें।
  - **भविष्य के लिये दूरदर्शिता:** जिन लोक सेवकों के पास स्पष्ट दृष्टिकोण होता है, वे दीर्घकालिक रणनीतियों के निर्माण में अपनी टीमों का प्रभावी नेतृत्व कर पाते हैं।
    - उदाहरणस्वरूप, **भारत के 'स्मार्ट सिटीज़' परियोजना की योजना-निर्माण प्रक्रिया में लोक सेवकों को शहरी कायाकल्प की एक दूरदर्शी कल्पना** के साथ-साथ ज़मीनी वास्तविकताओं की भी समुचित समझ रखनी होती है।
- **मार्ग प्रशस्त करना– उदाहरण द्वारा नेतृत्व:** प्रभावशाली नेतृत्व **केवल निर्देश देने तक सीमित नहीं** होता, बल्कि वह **कर्म के माध्यम से मार्गदर्शन करने में निहित** होता है। लोक सेवकों को चाहिये कि वे जिन आदर्शों की शिक्षा देते हैं, उनका स्वयं पालन करें ताकि **दूसरों के लिये एक अनुकरणीय उदाहरण** प्रस्तुत हो सके।
  - उदाहरणस्वरूप, महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रिम पंक्ति में रहकर नेतृत्व किया, चाहे वह जनांदोलनों का आयोजन हो, दांडी नमक यात्रा करना हो या बिना किसी शिकायत के कारावास झेलना हो।
  - **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व:** वे लोक सेवक जो अपने आचरण में सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करते हैं, वे दूसरों को भी ऐसा करने के लिये प्रेरित करते हैं, जिससे नैतिक नेतृत्व एवं जन-विश्वास की एक संस्कृति विकसित होती है।
- **रास्ता दिखाना - मार्गदर्शन और परामर्श:** लोक सेवकों को अपनी **टीम का मार्गदर्शन करना और उसका अभिभावक बनना** चाहिये, ताकि वे **लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर** हो सकें। इसमें **स्पष्टता प्रदान करना, सहयोग देना तथा यह सुनिश्चित करना शामिल है कि टीम दृष्टिकोण एवं उद्देश्यों को भली-भाँति समझे।**
  - उदाहरणस्वरूप, स्वच्छ भारत अभियान के दौरान लोक सेवकों ने केवल दिशा-निर्देश ही नहीं दिये, बल्कि स्थानीय अधिकारियों और समुदाय स्तर के कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन भी किया।
- आज के जटिल प्रशासनिक परिदृश्य में लोक सेवकों को मैक्सवेल के नेतृत्व दर्शन को आत्मसात करते हुए विशेषज्ञता, व्यावहारिक क्रियान्वयन और अभिभावकत्व के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिये।
  - चाहे वह कोविड-19 जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का प्रबंधन हो या किसी व्यापक विकास परियोजना का क्रियान्वयन— लोक सेवकों को नेतृत्वकर्त्ता के रूप में स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये।

निष्कर्ष:

मैक्सवेल का यह उद्धरण उन आवश्यक गुणों को उजागर करता है जिन्हें लोक सेवकों को नेतृत्व में अपनाना चाहिये। **विशेषज्ञता के माध्यम से मार्ग ज्ञात कर, व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के माध्यम से** उस मार्ग पर चलकर के और **मार्गदर्शन के माध्यम से** मार्ग दिखाकर, लोक सेवक प्रभावी शासन प्रदान कर सकते हैं। इन तीनों पहलुओं के माध्यम से लोक सेवक सुशासन सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार का नेतृत्व नीतियों के सफल क्रियान्वयन तथा जनकल्याण के लिये अत्यंत आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : वस्तुनिष्ठता तटस्थता और निष्पक्षता से किस प्रकार भिन्न है? अपने उत्तर को लोक सेवा के उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोक सेवा में वस्तुनिष्ठता, तटस्थता और निष्पक्षता की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए एक प्रासंगिक उद्धरण के साथ उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- उपयुक्त उदाहरणों के साथ वस्तुनिष्ठता, तटस्थता और निष्पक्षता का संक्षिप्त विवरण दीजिये और उनके अंतरों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- किसी प्रासंगिक नैतिक सिद्धांत के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

"न्याय केवल एक पक्ष के लिये नहीं हो सकता, बल्कि दोनों के लिये होना चाहिये।"

एलेनॉर रूज़वेल्ट का यह कथन लोक सेवा में वस्तुनिष्ठता, तटस्थता और निष्पक्षता के मूल भाव को अभिव्यक्त करता है।

हालाँकि ये सिद्धांत प्राय: समानार्थी रूप में प्रयुक्त होते हैं, फिर भी इनमें अंतर है। ये सभी मिलकर निर्णय प्रक्रिया में न्याय और ईमानदारी सुनिश्चित करते हैं, इस ओर संकेत करते हुए कि **लोक सेवकों को अपने कार्यों में संतुलन, निष्पक्षता और तर्कसंगत विवेक के आधार पर निर्णय लेना चाहिये।**

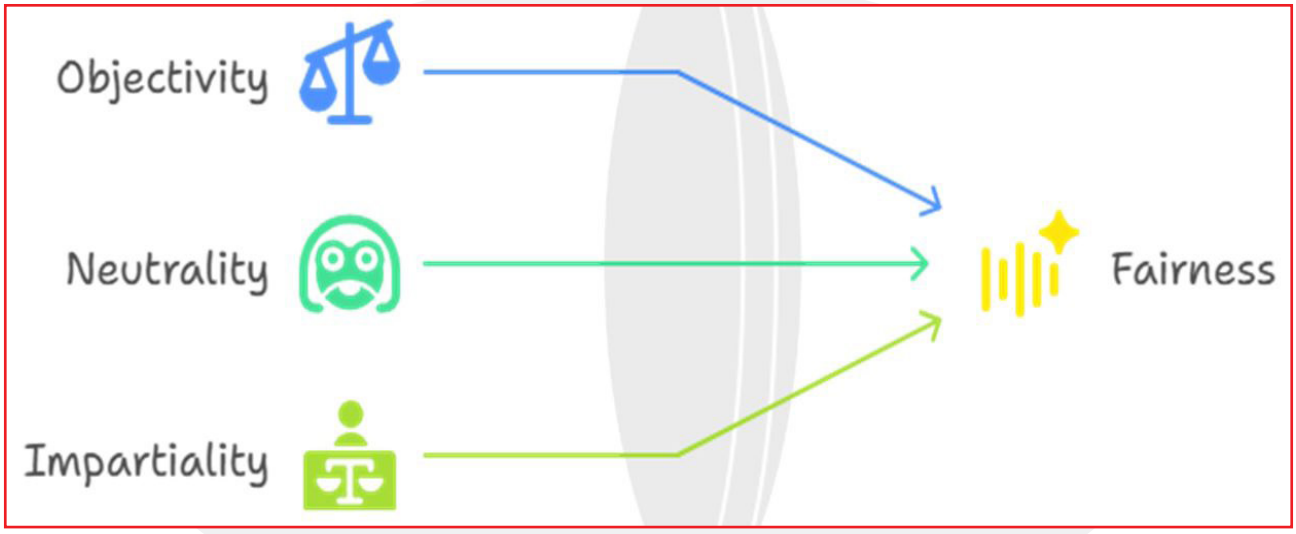

मुख्य भाग:

वस्तुनिष्ठता

परिभाषा: वस्तुनिष्ठता वह क्षमता है जिसके माध्यम से किसी स्थिति, निर्णय या समस्या का मूल्यांकन केवल तथ्यों, साक्ष्यों और तर्कपूर्ण विश्लेषण के आधार पर किया जाता है, न कि व्यक्तिगत पक्षपात या भावनाओं के प्रभाव में आकर।

उदाहरण:

- **आयुष्मान भारत योजना:** स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और गरीबी से संबंधित आँकड़ों के आधार पर वस्तुनिष्ठ नीतिगत निर्माण।
- **निर्भया प्रकरण:** न्यायालय द्वारा राजनीतिक दबावों के बजाय तथ्यात्मक साक्ष्यों और विधिक सिद्धांतों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय।
- **आर्थिक सर्वेक्षण:** आर्थिक वृद्धि हेतु नीतिगत सिफारिशों और पूर्वानुमानों में आँकड़ों का वस्तुनिष्ठ प्रयोग।
- **सरकारी योजनाओं की न्यायिक समीक्षा:** न्यायालयों द्वारा केवल विधिक उपबंधों के आधार पर सरकार के निर्णयों की समीक्षा, बाह्य प्रभावों से अप्रभावित (जैसे: इलेक्टोरल बॉण्ड्स पर निर्णय तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की उपश्रेणीकरण संबंधी देवेंद्र सिंह निर्णय)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

तटस्थता

- **परिभाषा:** तटस्थता का तात्पर्य किसी विवाद या संघर्ष में भाग न लेने की स्थिति को बनाए रखना है। इसका अर्थ है राजनीतिक पक्षधरता, व्यक्तिगत दृष्टिकोण या विचारों के प्रति उदासीन बने रहना।
- तटस्थता सभी पक्षों का विश्वास बनाये रखने के लिये अत्यंत आवश्यक होती है।

उदाहरण:

- **भारत का निर्वाचन आयोग:** चुनावों के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करके निरपेक्षता बनाए रखता है।
- **अंतर-राष्ट्रीय शांति वार्ताएँ:** इज़राइल-ईरान संघर्ष में भारत ने एक निरपेक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य किया, जिससे शांति वार्ताओं पर बाह्य राजनीतिक दबावों का प्रभाव नहीं पड़ा।
- **संघर्ष-क्षेत्रों में मीडिया:** समाचार चैनल कश्मीर जैसे विवादास्पद मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते समय किसी एक पक्ष का समर्थन न करके तटस्थता बनाए रखते हैं।

निष्पक्षता

- **परिभाषा:** निष्पक्षता का तात्पर्य है सभी पक्षों या व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना तथा निर्णयों और कार्यों में निष्पक्षता बनाये रखना, जहाँ किसी एक पक्ष को प्राथमिकता न दी जाये।
- **अर्थ:** किसी भी पक्ष के प्रति झुकाव न होना।
- **उदाहरण:**
  - **दंगों में पुलिस की भूमिका:** मुज़फ्फरनगर दंगों के दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही कर शांति स्थापित की, जिससे उनकी निष्पक्षता स्पष्ट हुई।
  - **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** यह प्रणाली जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किये बिना सब्सिडी वाला अन्न समान रूप से वितरित करती है।
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना:** यह योजना सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किये बिना सभी पात्र परिवारों को समान रूप से आवास लाभ प्रदान करती है।
  - **न्यायिक निष्पक्षता:** अयोध्या प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को समान अवसर देकर निष्पक्षता से निर्णय सुनाया।

मुख्य अंतर:

मानदंड	वस्तुनिष्ठता	तटस्थता	निष्पक्षता
प्रकृति	साक्ष्य-आधारित, तर्कसंगत निर्णय	संघर्षों में गैर-भागीदारी	सभी संबंधित पक्षों के साथ समान व्यवहार
भागीदारी	विश्लेषणात्मक सोच की आवश्यकता	निष्क्रिय, हस्तक्षेप न करने वाला	निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय प्रयास
लक्ष्य	सटीकता और सत्य	पक्ष न चुनकर पक्षपात से बचना	निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करना
दायरा	निर्णय, विश्लेषण या निर्णय पर लागू	संघर्षों और विवादों में लागू	नीतियों, कानूनों और निर्णयों में लागू
नतीजा	स्पष्ट एवं तर्कसंगत निर्णय लेना	संघर्ष और पूर्वाग्रह से बचना	समान व्यवहार और अधिकारों का संरक्षण

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

कांट के 'नैतिक अनिवार्यता सिद्धांत' के अनुसार व्यक्ति को ऐसे सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना चाहिये जिन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे लोक सेवकों को निष्पक्ष, तटस्थ एवं वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने चाहिये। इसी प्रकार, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत निर्णय-प्रक्रिया में निष्पक्षता की माँग करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार हो और किसी के साथ पक्षपात न किया जाये।

प्रश्न : क्या मानवीय कृत्य नैतिक माने जा सकते हैं यदि वे सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करते हों, किंतु किसी उच्चतर नैतिक उद्देश्य की पूर्ति करते हों? उदाहरण सहित चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- किसी उदाहरण के साथ उत्तर की शुरुआत कीजिये जिसमें मानवीय कृत्य सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन करते हुए भी नैतिक माने जा सकते हों।
- नैतिक सिद्धांतों के आधार पर उच्चतर नैतिक उद्देश्य के लिये सामाजिक मान्यताओं के उल्लंघन का औचित्य प्रस्तुत कीजिये।
- नैतिक व्यवहारवाद (Ethical Pragmatism) की दृष्टि से हानि को संतुलित करने की आवश्यकता का संकेत कीजिये।
- किसी सुसंगत उद्धरण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

महाभारत में भगवान कृष्ण के ज्ञान यह दर्शाते हैं कि सामाजिक मानदंडों को तोड़ना तभी उचित हो सकता है जब इससे कोई बड़ा नैतिक उद्देश्य पूरा हो। अहिंसा के प्रचलित मानदंड के बावजूद, अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने की उनकी सलाह धर्म को बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने की अनिवार्यता पर आधारित थी।

- इससे यह स्पष्ट होता है कि कभी-कभी उच्च नैतिक सिद्धांतों का पालन करने के लिये स्थापित सामाजिक अपेक्षाओं की अवहेलना करना भी आवश्यक हो सकता है।

मुख्य भाग:

उच्चतर नैतिक उद्देश्यों के लिये सामाजिक मानदंडों के उल्लंघन का औचित्यकरण:

- **न्याय हेतु मानदंडों का उल्लंघन (उपयोगितावाद):** उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार, कोई भी कर्म तब नैतिक माना जाता है जब वह अधिकतम जनकल्याण को बढ़ावा देता है। यदि कोई सामाजिक मानदंड अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखता है तो उसका उल्लंघन व्यापक कल्याण के लिये उचित हो सकता है।

  उदाहरण: गांधीजी का सविनय अवज्ञा आंदोलन — गांधीजी ने औपनिवेशिक कानूनों की अवज्ञा करते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिये संघर्ष किया, जो लाखों लोगों के सामूहिक हित में था, यद्यपि वह तत्कालीन सामाजिक व कानूनी मानदंडों के विरुद्ध था।

- **नैतिक कर्त्तव्य का निर्वाह (कर्त्तव्यवादी नैतिकता):** कर्त्तव्यवादी नैतिक दृष्टिकोण में नैतिक कर्त्तव्य को सामाजिक मानदंडों से ऊपर माना गया है। यदि किसी सामाजिक मानदंड का उल्लंघन मानवीय गरिमा की रक्षा जैसे उच्चतर नैतिक कर्त्तव्य के अनुरूप है तो वह नैतिक रूप से उचित होता है।

  उदाहरण: रानी लक्ष्मीबाई द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 'लैप्स नीति' के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध— यह साहसी कदम उपनिवेशवादी नीतियों की अवहेलना करते हुए भारत की संप्रभुता की रक्षा का प्रतीक बना।

- **सद्गुणों की अभिव्यक्ति (सद्गुण नैतिकता):** सद्गुण नैतिकता चरित्र और नैतिक सत्यनिष्ठा पर बल देती है। यदि किसी सामाजिक मानदंड का उल्लंघन न्याय, साहस या ईमानदारी जैसे सद्गुणों के कारण किया जाये तो वह आचरण नैतिक समझा जाता है।

  उदाहरण: सत्येंद्र दुबे जैसे व्हिसलब्लोअर — उन्होंने कानूनी सीमाओं से परे जाकर सार्वजनिक हित में भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जो नैतिक साहस और सत्यनिष्ठा का परिचायक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **दमनकारी व्यवस्थाओं को चुनौती देना (आलोचनात्मक सिद्धांत):** समालोचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, उन व्यवस्थाओं को चुनौती देना आवश्यक है जो असमानता और दमन को बनाए रखती हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन नैतिक उत्तरदायित्व बन जाता है।

  उदाहरण: जलियाँवाला बाग नरसंहार के पश्चात सिख नेता सरदार उधम सिंह द्वारा न्याय की माँग— यह कदम औपनिवेशिक कानूनों की अवज्ञा के माध्यम से अन्यायपूर्ण सत्ता को चुनौती देने का नैतिक प्रयास था।

- **नैतिक व्यवहारिकता के आधार पर 'मूल्यवान हानि' का औचित्य:** हालाँकि किसी भी सामाजिक मानदंड के उल्लंघन से होने वाली क्षति को नैतिक रूप से तभी उचित ठहराया जा सकता है जब वह व्यापक नैतिक कल्याण के सिद्धांत पर आधारित हो।

  उदाहरण: नर्मदा बचाओ आंदोलन— मेधा पाटकर द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शनों ने विस्थापित समुदायों की रक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण नैतिक उद्देश्यों के लिये स्थापित सामाजिक व आर्थिक मानदंडों का उल्लंघन किया, जो नैतिक दृष्टि से न्यायसंगत माना जा सकता है।

निष्कर्ष:

जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है, **"व्यक्ति की यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वह अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करे।"**

जब कानून या सामाजिक मानदंड अन्याय, असमानता या दमन को बनाए रखते हैं, तब उनका उल्लंघन नैतिक कर्त्तव्य बन जाता है। ऐसे मामलों में अवज्ञा, न्याय, मानव गरिमा एवं समानता जैसे उच्च आदर्शों की सेवा करती है और सामाजिक परिवर्तन तथा व्यापक हित के लिये अनिवार्य कदम बन जाती है।

प्रश्न : क्या नैतिक सापेक्षवाद जैसे विचार को भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में शासन का एक वैध दृष्टिकोण माना जा सकता है? नीति-निर्माण पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक सापेक्षवाद के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- भारत में नैतिक सापेक्षवाद की वैधता के पक्ष में तर्क दीजिये।
- भारत के संदर्भ में नैतिक सापेक्षवाद की सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- एक उद्धरण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में, **नैतिक सापेक्षवाद, जहाँ नैतिक मानकों को सांस्कृतिक संदर्भों द्वारा आकार** दिया जाता है, शासन के लिये अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रदान करता है।

- यद्यपि यह विविध सांस्कृतिक प्रथाओं को समायोजित करने में सहायक है, लेकिन यह सार्वभौमिक नीतियों के निर्माण को जटिल भी बना सकता है।
- उदाहरण के लिये **समान नागरिक संहिता (UCC) पर बहस** सांस्कृतिक विविधता के सम्मान और एकीकृत विधिक संरचना की आवश्यकता के बीच तनाव को दर्शाती है।

मुख्य भाग:

भारत में नैतिक सापेक्षवाद की वैधता के पक्ष में तर्क:

- **सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान:** नैतिक सापेक्षवाद यह सुनिश्चित करता है कि शासन विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के प्रति संवेदनशील हो।
  - यह मान्यता कि नैतिकता समाज के अनुसार भिन्न होती है, नीति-निर्माण को इस दिशा में सक्षम बनाती है कि वह विविध परंपराओं का सम्मान कर सके।
  - भारत सरकार की धार्मिक परिधानों के प्रति सहिष्णु नीति इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार नैतिक सापेक्षवाद सांस्कृतिक विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक होता है।
- **सामाजिक सौहार्द्र को बढ़ावा:** जब समुदायों को अपनी विशिष्ट नैतिक व्यवस्थाओं को बनाये रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे सामाजिक सौहार्द्र की रक्षा होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह एकल मूल्य प्रणाली को लागू होने से रोकता है जिसे कुछ समूहों द्वारा दमनकारी माना जा सकता है।
- **भारत में आरक्षण व्यवस्था** इसका एक उदाहरण है, जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों जैसी सामाजिक-ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को मान्यता देते हुए उन्हें समान अवसर देने के लिये सकारात्मक कार्रवाई की व्यवस्था करती है।

- **नीति निर्माण में लचीलापन:** नैतिक सापेक्षवाद अधिक लचीली नीतियों की अनुमति देता है, जो विविध समुदायों की आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुकूल हो सकती हैं तथा **सभी के लिये एक ही दृष्टिकोण अपनाने से बचती हैं।**
  - **PESA अधिनियम (पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार)** स्थानीय जनजातीय लोगों को स्वशासन की अनुमति देता है, जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक लोकाचार का सम्मान करता है तथा उन्हें अपने मामलों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है।
- **समुदायों की स्वायत्तता और संप्रभुता की मान्यता:** नैतिक सापेक्षवाद इस विचार का समर्थन करता है कि प्रत्येक समुदाय को अपने नैतिक मानकों को निर्धारित करने और बाह्य हस्तक्षेप के बिना उनके अनुसार जीवन जीने का अधिकार है।
  - **उदाहरण:** भारत में धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में निहित है (अनुच्छेद 25-28), जो व्यक्तियों और समुदायों को सरकारी हस्तक्षेप के बिना अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है।
- **सहिष्णुता और सह-अस्तित्व को प्रोत्साहन:** नैतिक सापेक्षवाद, जब लागू किया जाता है, तो यह विभिन्न समूहों के बीच सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह मान्यता है कि कोई भी संस्कृति या विश्वास प्रणाली स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ नहीं है।
  - **उदाहरण:** भारत में **सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयास**, जैसे कि **अंतर-धार्मिक संवाद** एवं **गांधीजी का अहिंसा का दर्शन**, विभिन्न नैतिक और धार्मिक विश्वासों वाले समुदायों के बीच समझ व सहिष्णुता पर केंद्रित हैं।

भारत के संदर्भ में नैतिक सापेक्षवाद की सीमाएँ:

- **सर्वत्र मानवाधिकारों का क्षरण:** नैतिक सापेक्षवाद तब टकराव उत्पन्न कर सकता है जब सांस्कृतिक प्रथाएँ बुनियादी स्वतंत्रताओं या समानता का उल्लंघन करें।
  - कुछ प्रथाओं जैसे 'महिला जननांग विकृति' (FGM) या बाल विवाह के मामलों में, यदि नीतियाँ सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर आधारित हों, तो ये हानिकारक परंपराएँ बने रहने का मार्ग पा सकती हैं, हालाँकि वे मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
- **राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता में बाधाएँ:** नैतिक सापेक्षवाद विभिन्न समूहों की अलग-अलग आवश्यकताओं के आधार पर नीतियाँ बनाकर पहचान-आधारित राजनीति को बढ़ावा दे सकता है, जिससे सामाजिक विभाजन और तनाव बढ़ते हैं।
  - उदाहरण के लिये, हरियाणा में जाट समुदाय जैसे अनेक समुदायों द्वारा आरक्षण की बढ़ती माँगों ने विरोध और अशांति को जन्म दिया है।
- **समानता और न्याय का ह्रास:** नैतिक सापेक्षवाद, 'सांस्कृतिक सम्मान' के नाम पर, उन हानिकारक प्रथाओं को बनाये रख सकता है जो असमानता को बढ़ावा देती हैं।
  - यदि कोई सांस्कृतिक परंपरा महिलाओं, बच्चों या वंचित समूहों के साथ भेदभाव करती है, तो सापेक्षवादी दृष्टिकोण के कारण न्याय एवं समानता की दिशा में सार्थक सुधार बाधित हो सकते हैं।
  - कुछ समुदायों में अब भी प्रचलित पितृसत्तात्मक प्रथाएँ जैसे महिलाओं की शिक्षा या कार्य में भागीदारी पर प्रतिबंध सांस्कृतिक परंपराओं के नाम पर नैतिक सापेक्षवाद द्वारा अनजाने में संरक्षण पा सकती हैं।

निष्कर्ष

जैसा कि गांधीजी ने ठीक ही कहा है, ***"एक राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के हृदयों और आत्मा में निवास करती है।"***

यह कथन सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान और सार्वभौमिक मानवाधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को उजागर करता है। शासन-प्रणाली में संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जिससे नीतियाँ सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए मूलभूत स्वतंत्रताओं की भी रक्षा करें। **तीन P:**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

संरक्षण (**Protection**), सामनुपातिकता (**Proportionality**) और सहभागिता (**Participation**) — इन नैतिक सिद्धांतों का पालन करके भारत न केवल 'विविधता में एकता' को सुदृढ़ कर सकता है, बल्कि न्याय एवं समानता को भी बढ़ावा दे सकता है।

प्रश्न : "युद्ध शांत भविष्य के निर्माण के लिये अच्छे औज़ार नहीं हैं।" – मार्टिन लूथर किंग जूनियर।

उपर्युक्त कथन के संदर्भ में चर्चा कीजिये कि क्या स्थायी शांति हिंसात्मक तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, या अहिंसा ही एकमात्र नैतिक मार्ग है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिये उद्धरण का औचित्य बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- शांति के साधन के रूप में हिंसा और युद्ध के पक्ष में तर्क दीजिये।
- शांति प्राप्त करने में अहिंसा के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यह कथन हिंसा के माध्यम से शांति प्राप्त करने की नैतिक जटिलता को उजागर करता है। कई मामलों में, **हिंसक संघर्षों के परिणामस्वरूप अधिक विनाश** होता है, जो समाज पर लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव छोड़ जाता है।

- लेकिन, **भगवद् गीता** में भगवान कृष्ण प्रारंभ में **संवाद के माध्यम से शांति चाहते हैं**, लेकिन जब वह विफल हो जाता है, तो **कर्त्तव्य और न्याय** पर ज़ोर देते हुए, अर्जुन को युद्ध करने की सलाह देते हैं।
- यह **अहिंसा और युद्ध की आवश्यकता के बीच की दुविधा** को दर्शाता है, **जब शांति का कोई विकल्प नहीं** रह जाता।

मुख्य भाग:

शांति के साधन के रूप में हिंसा और युद्ध:

- **युद्ध का नैतिक औचित्य:** युद्ध को तब उचित ठहराया जा सकता है, जब वह न्याय को कायम रखने, संप्रभुता की रक्षा करने या मानव अधिकारों की रक्षा के लिये हो।
  - अरस्तू के अनुसार 'न्याय सर्वोच्च सद्गुण' है, अत: यदि न्याय की रक्षा हेतु युद्ध किया जाये तो वह उचित है। जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद (Utilitarianism) भी हिंसा को इस शर्त पर स्वीकार करता है कि उससे बहुसंख्यक लोगों का हित हो।
  - **उदाहरण:** कोसोवो में नाटो के हस्तक्षेप (वर्ष 1999) को मानवीय आधार पर उचित ठहराया गया, जिसका उद्देश्य सर्बियाई शासन द्वारा किये जा रहे जातीय संहार और अत्याचारों को रोकना था।
- **संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा:** जब किसी राष्ट्र की संप्रभुता या बाह्य आक्रमण से सुरक्षा खतरे में हो, तब आत्मरक्षा के रूप में युद्ध नैतिक रूप से उचित होता है। इसे नागरिकों की सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के रूप में देखा जाता है।
  - जॉन लॉक के 'सामाजिक अनुबंध सिद्धांत' के अनुसार सरकारें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिये बनती हैं तथा जब ये तत्त्व संकट में हों, तब उनकी रक्षा के लिये युद्ध एक नैतिक उपाय हो सकता है।
  - **उदाहरण:** भारत-चीन युद्ध (वर्ष 1962) तथा भारत-पाकिस्तान युद्ध (वर्ष 1965), इन दोनों प्रसंगों में भारत ने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हेतु युद्ध किया।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और कानून की रक्षा करना:** युद्ध को तब उचित ठहराया जा सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों की रक्षा करना आवश्यक हो, जैसे आतंकवाद के प्रसार को रोकना या वैश्विक शांति समझौतों को लागू करना।
  - **वर्ष 1990-1991 का 'गल्फ युद्ध'** प्राय: इस तर्क के आधार पर उचित ठहराया गया कि वह कुवैत पर इराक के आक्रमण को पीछे हटाकर क्षेत्रीय अखंडता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास था।

हालाँकि, यदि युद्ध शांति प्राप्त करने के इरादे से भी किया जाता है, तो इसके अनपेक्षित परिणाम प्राय: इस लक्ष्य को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे और अधिक पीड़ा होती है।

- **'वियतनाम युद्ध' को साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिये आरंभ** किया गया था, परंतु इसके फलस्वरूप **लाखों लोगों की मृत्यु हुई, पर्यावरण को भीषण क्षति** पहुँची और **समाज में गहरे विभाजन** उत्पन्न हो गये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

शांति प्राप्ति में अहिंसा का पक्ष:

- **नैतिक उच्चता के रूप में अहिंसा:** अहिंसा संघर्षों के समाधान का नैतिक रूप से श्रेष्ठ मार्ग है, जो नैतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है और दीर्घकालिक शांति को बढ़ावा देता है।
  - **महात्मा गाँधी का 'नमक सत्याग्रह'** (वर्ष 1930) और **मार्टिन लूथर किंग जूनियर का 'नागरिक अधिकार आंदोलन'** जैसे ऐतिहासिक उदाहरण दिखाते हैं कि अहिंसात्मक असहयोग के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन सफलतापूर्वक लाया जा सकता है।
- **अहिंसा के माध्यम से न्याय और निष्पक्षता:** अहिंसा बिना किसी क्षति के न्याय सुनिश्चित करती है और अधिक सतत् व निष्पक्ष शांति की स्थापना में सहायक होती है।
  - नेल्सन मंडेला ने आरंभ में रंगभेद के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थन किया था, परंतु बाद में उन्होंने शांतिपूर्ण संवाद और क्षमाशीलता पर ज़ोर देते हुए राष्ट्रीय पुनर्मिलन के लिये अहिंसक तरीकों को अपनाया।
- **नैतिक साहस तथा नैतिक नेतृत्व का संवर्द्धन:** जो नेता अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं, वे अधिक नैतिक साहस और नैतिक नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं। वे बल प्रयोग जैसे तात्कालिक उपायों की बजाय उच्च आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं।
  - **तिब्बत पर चीनी अधिग्रहण के बावजूद दलाई लामा का शांति और अहिंसा** के पक्ष में आग्रह यह दर्शाता है कि **शांतिपूर्ण प्रतिरोध एवं नैतिक नेतृत्व** किस प्रकार **वैश्विक सहानुभूति व समर्थन प्राप्त कर सकते हैं।**

निष्कर्ष:

मानवाधिकारों की रक्षा या आक्रामकता के प्रत्युत्तर में रक्षात्मक हिंसा नैतिक रूप से उचित मानी जाती है। जॉन रॉल्स का 'न्याय का सिद्धांत' तब रक्षात्मक बल का समर्थन करता है जब न्याय संकट में हो। हालाँकि, **हिंसा को अंतिम उपाय के रूप में** ही अपनाना चाहिये, जैसा कि **वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के हस्तक्षेप** से स्पष्ट होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निबंध

प्रश्न : विवेक के मामलों में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- "इस विश्व में मैं जिस एकमात्र तानाशाह को स्वीकार करता हूं, वह है मेरे भीतर की शांत छोटी सी आवाज़ है।" महात्मा गांधी
- "विवेक ही सभी सच्चे साहस का आधार है।" मार्टिन लूथर किंग जूनियर।

दार्शनिक और सैद्धांतिक आयाम

- **नैतिक स्वायत्तता बनाम बहुसंख्यकवाद:** विवेक से तात्पर्य **आंतरिक नैतिक दिशासूचक** से है जो व्यक्तियों को सही और गलत में अंतर करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **प्राकृतिक विधि का सिद्धांत: सिसरो** और **एक्विनास** जैसे शास्त्रीय दार्शनिकों का तर्क है कि सच्चा कानून सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों से प्राप्त होता है- **विवेक इसकी अभिव्यक्ति** है। यदि बहुमत कानून प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता है, तो विवेक की ही जीत होनी चाहिये।
  - **रूसो के अनुसार**, समाज की सामान्य इच्छा को प्राकृतिक कानून या तर्क पर आधारित व्यक्तिगत अधिकारों पर हावी नहीं होना चाहिये।
  - **इमैनुअल कांट** ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ***विवेक व्यक्ति के कर्त्तव्य का मार्गदर्शन करने वाली तर्क की आवाज़ है***। **नैतिक स्वायत्तता** केंद्रीय है, व्यक्तियों को नैतिक कानून के आधार पर कार्य करना चाहिए, न कि सामाजिक स्वीकृति के आधार पर।
- **भारतीय परिप्रेक्ष्य:** गांधीजी का जीवन नैतिक प्रतिरोध का प्रमाण है। उनके **सविनय अवज्ञा** का विचार इस बात पर आधारित था कि **अन्यायपूर्ण कानूनों** का, भले ही उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, सत्याग्रह के माध्यम से विरोध किया जाना चाहिये, जो सत्य पर आधारित विवेक का कार्य है।
  - **भारतीय धर्मग्रंथों में,** धर्म संख्यात्मक शक्ति से परे है। महाभारत में, भगवान कृष्ण अर्जुन से अपनी स्वधर्म के अनुसार कार्य करने का आग्रह करते हैं, न कि लोकप्रिय सहमति के अनुसार, यह दर्शाता है कि विवेक को कर्त्तव्य का मार्गदर्शन करना चाहिये।
- **बौद्ध नैतिकता:** विवेक **अष्टांगिक मार्ग** से सही इरादे और सही कार्य के साथ संरेखित है- नैतिक आचरण भीतर से आना चाहिये।

विवेक बनाम लोकतांत्रिक नैतिकता

- **अंतरात्मा की स्वतंत्रता (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25):** कानून **अंतरात्मा और विश्वास को आवश्यक मानव अधिकारों के रूप** में संरक्षित करता है, जिसका अर्थ है कि उनकी प्रधानता बहुमत की इच्छा से परे है।
- **असहमति का अधिकार:** लोकतंत्र में नैतिक असहमति के लिये जगह होनी चाहिये। संविधान का मसौदा तैयार करते समय **डॉ. अंबेडकर ने बहुमत के प्रभुत्व को रोकने के लिये संवैधानिक** नैतिकता पर ज़ोर दिया।

ऐतिहासिक एवं समकालीन उदाहरण:

- **राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा** का विरोध किया, भले ही उस समय इसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त थी। उन्होंने प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुरूप होने के बजाय अपनी नैतिक मान्यताओं का पालन किया।
- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** द्वारा जातिगत उत्पीड़न की अस्वीकृति, भले ही इसे बहुसंख्यक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त थी।
- **आपातकाल के दौरान न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना की असहमति (ए.डी.एम. जबलपुर प्रकरण, 1976), एकमात्र असहमतिपूर्ण आवाज** के रूप में, न्यायमूर्ति खन्ना ने आपातकाल के दौरान कार्यकारी शक्ति पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवेक की प्रधानता को बरकरार रखा।
- **सत्येन्द्र दुबे** (2003) ने NHAI की **स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में** भ्रष्टाचार को उजागर किया। व्यक्तिगत सुरक्षा पर विवेक को प्राथमिकता दी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **नवतेज सिंह जौहर मामले (2018)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया, तथा कहा कि व्यक्तिगत पहचान और विवेक का सम्मान किया जाना चाहिये, भले ही बहुमत द्वारा इसे स्वीकार न किया जाए।

वैश्विक उदाहरण:

- **नेल्सन मंडेला** द्वारा श्वेत-बहुमत वाले शासन द्वारा लागू किये गए रंगभेद कानूनों का विरोध, समानता के नैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित कानून।

विवेक के लिये चुनौतियाँ

- **चरमपंथ के लिये विवेक का दुरुपयोग:** विवेक के झूठे दावे (जैसे, अभद्र भाषा या धार्मिक कट्टरवाद) सामाजिक सद्भाव को खतरे में डाल सकते हैं।
- **नैतिक शिक्षा की आवश्यकता:** सच्ची अंतरात्मा सहानुभूति, तर्कसंगतता और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से प्रेरित होनी चाहिये, न कि पूर्वाग्रह से।

निष्कर्ष

एक न्यायसंगत समाज का सार अपने **अंत:करण की आवाज़** की रक्षा करने में निहित है, भले ही वह जनमत के खिलाफ अकेला खड़ा हो। भारत जैसे लोकतंत्रों में, वास्तविक नैतिक प्रगति तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति, अपने अंत:करण के निर्देश पर, बहुसंख्यकों की अन्यायपूर्ण इच्छा का विरोध करता है। जब अंत:करण नैतिक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो यह सुधार, न्याय और मानवीय गरिमा की आधारशिला बन जाता है।

प्रश्न : साध्य (अंत) के लिये साधनों का औचित्य नहीं होता।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलाहेतुर्भूर् मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।" भागवद गीता
- आप सही काम को गलत तरीके से नहीं कर सकते।" मार्टिन लूथर किंग जूनियर।

दार्शनिक और नैतिक आधार

- सदियों पुरानी नैतिक उक्ति, "*साध्य (अंत) के लिये साधनों का औचित्य नहीं होता*", एक महत्त्वपूर्ण नैतिक दृष्टिकोण को व्यक्त करती है, जो परिणाम के साथ-साथ **परिणाम प्राप्त करने** की प्रक्रिया को भी उतना ही महत्त्व देती है।
  - यह दार्शनिक दृष्टिकोण यह मानता है कि चाहे इच्छित लक्ष्य कितना भी महान क्यों न हो, उसे प्राप्त करने के लिये अनैतिक या अनैतिक तरीकों के प्रयोग को वैध नहीं ठहराया जा सकता।
- **परिणामवाद बनाम कर्त्तव्य की नैतिकता: इमैनुअल कांट** की स्पष्ट अनिवार्यता इस बात पर ज़ोर देती है कि किसी कार्य की नैतिकता इस बात से निर्धारित होती है कि वह **कर्त्तव्य के सार्वभौमिक सिद्धांतों** का पालन करता है या नहीं, न कि उसके परिणामों से।
  - इसके विपरीत, उपयोगितावाद का समर्थन करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने **तर्क दिया कि किसी कार्य** के परिणाम उसके नैतिक मूल्य का प्राथमिक निर्धारक होना चाहिये। उपयोगितावादी विचार के अनुसार, यदि कोई हानिकारक साधन अधिक अच्छे परिणाम की ओर ले जाता है, तो उसे उचित ठहराया जा सकता है।
- **भगवद गीता:** भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म के अनुसार कार्य करने की सलाह देते हैं, न कि केवल परिणाम के आधार पर। किसी का कर्त्तव्य (कर्म) इरादे और कार्य दोनों में धर्मी होना चाहिये।
- **बौद्ध दर्शन:** अष्टांगिक मार्ग के एक भाग के रूप में सही कर्म ***(सम्यक कर्म)*** *पर ज़ोर देता है। यहाँ तक कि* ***मुक्ति (निर्वाण)*** जैसे महान लक्ष्यों को भी नैतिक रूप से सही आचरण के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिये।
- **अहिंसा का गांधीवादी आचार:** महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत हैं जो इस **बात पर ज़ोर देते हैं कि अंत के लिये कभी भी अनैतिक** साधनों को उचित नहीं ठहराया जाना चाहिये।
  - भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गांधीजी की अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता इस बात का उदाहरण है कि **नैतिक स्थिरता सर्वोपरि** है, यहाँ तक कि दमनकारी शक्तियों का सामना करते समय भी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

ऐतिहासिक एवं राजनीतिक उदाहरण:

- **भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन (गांधी बनाम क्रांतिकारी):** विश्व के अन्य हिस्सों में स्वतंत्रता के लिये हिंसक संघर्षों के विपरीत, ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधीजी का अहिंसक प्रतिरोध यह दर्शाता है कि **नैतिक लक्ष्य और साधन** एक साथ रह सकते हैं।
  - इस दृष्टिकोण ने यह प्रदर्शित किया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये किसी के नैतिक सिद्धांतों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। **गांधी के तरीकों ने न्याय के लिये वैश्विक आंदोलनों** को प्रेरित किया, साथ ही प्रदर्शित किया कि अपने मूल्यों से समझौता किये बिना महान लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव है।
- **एनकाउंटर किलिंग (मुठभेड़ में मौत):** एनकाउंटर किलिंग न्याय के शॉर्टकट के रूप में उपयोग की जाती हैं, पर यह विधिक प्रक्रिया (Due Process) के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो कानूनी संस्थाओं में विश्वास को कमज़ोर करता है।
- **नरसंहार और अधिनायकवाद:** द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा किये गए अत्याचार इस बात का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि **किस प्रकार एक कथित महान लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भीषण साधनों** का औचित्य अकल्पनीय विनाश का कारण बन सकता है।
  - एडोल्फ हिटलर और उसके शासन ने यहूदियों सहित लाखों लोगों के नरसंहार को उचित ठहराया और दावा किया कि यह राष्ट्र के **"व्यापक हित"** के लिये था।
  - होलोकॉस्ट, राष्ट्रीय श्रेष्ठता की विविकृत राष्ट्रीय श्रेष्ठता की धारणा के पीछे नैतिक सीमाओं को त्यागने के विनाशकारी परिणामों का प्रमाण है।
- **अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन: मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन** के अन्य नेताओं ने क्रूर उत्पीड़न के बावजूद हिंसा को अस्वीकार किया।
- **इराक युद्ध और पूर्वग्रह का सिद्धांत: वर्ष 2003 का इराक युद्ध** इसका एक हालिया उदाहरण है, जहाँ अमेरिकी सरकार ने **सामूहिक विनाश** के हथियारों को **नष्ट करने के लक्ष्य** के आधार पर **सैन्य हस्तक्षेप** को उचित ठहराया।
  - वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के अंतिम लक्ष्य के बावजूद, एकतरफा आक्रमण और कब्जे के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि, दीर्घकालिक अस्थिरता और क्षेत्रीय विनाश हुआ।
- **सिविल सेवा में सत्यनिष्ठा:** शासन में, सिविल सेवकों को नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ उनके व्यक्तिगत या राजनीतिक हित सार्वजनिक कर्त्तव्य के साथ टकराव में आते हैं।
  - टी.एन. शेषन, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), ने अपने पद का उपयोग चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिये किया, चाहे राजनीतिक विरोध कितना भी तीखा क्यों न रहा हो। उनका कार्यकाल (1990-1996) भारतीय लोकतंत्र में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून:** आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून इस सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है कि किसी भी लक्ष्य के लिये साधनों से समझौता नहीं किया जा सकता।
  - **संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR)** स्पष्ट करती है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है। यह घोषणा यातना, गुलामी और अमानवीय व्यवहार को किसी भी हालत में अस्वीकार करती है, चाहे कोई भी राजनीतिक, सामाजिक या सुरक्षा का बहाना क्यों न बनाया जाए।
- **AI और गोपनीयता:** सार्वजनिक सुरक्षा के लिये AI का उपयोग गोपनीयता की रक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिये, सुरक्षा के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर निगरानी को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
- **जलवायु परिवर्तन:** आर्थिक विकास के नाम पर पर्यावरणीय नैतिकता की बलि देने के बारे में बहस, भविष्य की पीढ़ियों के लिये स्थिरता और न्याय को कमज़ोर करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष

एक न्यायपूर्ण समाज केवल लक्ष्यों पर नहीं बल्कि **उन लक्ष्यों को प्राप्त** करने के तरीके पर आधारित होता है। जैसा कि गांधी ने कहा था, साधन बीज हैं और अंत वृक्ष है, केवल नैतिक बीज ही न्यायपूर्ण परिणाम दे सकते हैं। जबकि इतिहास परिणामों को याद रख सकता है, **विवेक, कानून और मानवीय गरिमा** केवल तभी संरक्षित होती है जब उन परिणामों का मार्ग नैतिक रूप से सही हो।

प्रश्न : किसी व्यक्ति की क्षमता का मापदंड यह है कि वह अपनी शक्ति का किस प्रकार उपयोग करता है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- "मैं इस संसार में केवल एक ही तानाशाह को स्वीकार करता हूँ, और वह है मेरे भीतर की मूक अंत:वाणी।" — *महात्मा गाँधी*
- "लगभग सभी व्यक्ति विपत्ति को सह सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसे शक्ति दीजिये।" — *अब्राहम लिंकन*
- "महान शक्ति के साथ बड़ा दायित्व भी आता है।" — *एक प्रसिद्ध कहावत*
- "शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है।" — *लॉर्ड एक्टन*

दार्शनिक और सैद्धांतिक आयाम:

- **शक्ति की नैतिकता:** शक्ति अपने आप में केवल एक साधन है, उसकी वास्तविक महत्ता इस बात में निहित है कि उसका प्रयोग किस उद्देश्य और किस प्रकार किया जाता है। किसी नेता के द्वारा अधिकार के प्रयोग का तरीका न केवल उसकी विरासत को बल्कि उस समाज को भी आकार देता है जिसका वह नेतृत्व करता है।
  - प्लेटो और अरस्तू जैसे दार्शनिकों ने सत्ता की प्रकृति पर लंबे समय से विचार किया है। प्लेटो का मत था कि जिनके पास सत्ता हो, उन्हें विवेक, सद्गुण और न्याय की भावना से संचालित होना चाहिये।
  - अरस्तू के अनुसार, सत्ता का उद्देश्य सार्वजनिक हित की सिद्धि होना चाहिये— वह मानते थे कि वास्तविक सत्ता वही है जो दूसरों के उत्थान के लिये प्रयुक्त हो।

गाँधीजी का उपर्युक्त कथन यही स्पष्ट करता है कि **सच्चा नेतृत्व आत्मचिंतन और नैतिक मार्गदर्शन से उत्पन्न होता है**, न कि दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से। गाँधीजी के नेतृत्व का आधार अहिंसा और सत्य था, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सत्ता का सबसे श्रेष्ठ रूप नैतिकता में निहित होता है।

- **इमैनुअल कांट का शक्ति सिद्धांत:** कांट ने तर्क दिया कि **सत्ता का प्रयोग सार्वभौमिक नैतिक नियमों के अनुरूप** होना चाहिये। उनके अनुसार किसी **कार्य की नैतिकता** उसके परिणाम पर नहीं, बल्कि **इस बात पर निर्भर करती है कि वह कर्त्तव्य की पूर्ति** करता है या नहीं तथा क्या वह **प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा का सम्मान करता है।**
  - कांट का दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि **सत्ता का उपयोग** किसी को शोषित या अधीन करने के लिये नहीं, बल्कि **व्यापक हित में सेवा के लिये** होना चाहिये।
- **हिंदू दर्शन और भगवद्गीता:** भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि **शक्ति का प्रयोग धर्म** अर्थात् **ब्रह्मांडीय नियम और नैतिक व्यवस्था के अनुसार** होना चाहिये।
  - कृष्ण बताते हैं कि **वास्तविक शक्ति बाह्य वर्चस्व में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण रखने में है।** शक्ति वहीं सार्थक है जहाँ वह व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त होकर लोककल्याण की दिशा में नियोजित हो।

ऐतिहासिक एवं समकालीन उदाहरण:

- **अशोक द ग्रेट:** एक शक्तिशाली सम्राट जिन्होंने प्रारंभ में सैन्य विजय के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन कलिंग युद्ध की भीषणता को देखने के बाद उनका अंत:करण परिवर्तन हुआ। इसके पश्चात् उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग जनकल्याण हेतु किया। अशोक इस बात का प्रतीक बन गये कि किस प्रकार विध्वंसक शक्ति को जनहित में रूपांतरित किया जा सकता है।
  - **महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन:** महात्मा गांधी का नेतृत्व राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की चाह पर नहीं बल्कि सत्ता के नैतिक उपयोग पर आधारित था।
    - अहिंसा (हिंसा का पूर्ण निषेध) और सत्याग्रह (सत्य की शक्ति) के सिद्धांतों ने राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति की परिभाषा को ही परिवर्तित कर दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी न्याय और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, इस बात को रेखांकित करती है कि किसी व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन इस बात से होता है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग किस प्रकार करता है।

- **नेल्सन मंडेला:** कारावास से रिहाई के पश्चात मंडेला द्वारा **सत्ता का प्रयोग नैतिक नेतृत्व का आदर्श** प्रस्तुत करता है। उनका राष्ट्रपतित्व प्रतिशोध या दंड पर नहीं बल्कि पुन: मेल-मिलाप और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित था। उन्होंने **सत्ता** को व्यक्तिगत बदले के लिये नहीं बल्कि **सामाजिक समरसता के लिये साधन** बनाया।
- **एडॉल्फ हिटलर (विलोम उदाहरण):** इसके विपरीत, **हिटलर ने सत्ता का उपयोग दमन और विनाश के लिये किया।** उनकी सत्ता लोलुपता ने **मनुष्यता को नरसंहार, युद्ध और अपार पीड़ा की विरासत** दी। यह उदाहरण दर्शाता है कि **जब सत्ता का प्रयोग वैयक्तिक लाभ या विचारधारात्मक वर्चस्व के लिये किया जाता है, तब वह विनाशकारी बन जाती है।**

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से, ये उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि शक्ति अपने आप में न तो नैतिक होती है न ही अनैतिक, बल्कि उसका उपयोग ही उसकी प्रकृति निर्धारित करता है। एक लोकसेवक के रूप में यह समझना आवश्यक है कि शक्ति का प्रयोग सेवा, न्याय तथा समावेशन के लिये होना चाहिये, न कि स्वार्थ, दमन या विभाजन के लिये।

समाज पर सत्ता का प्रभाव:

- **सकारात्मक प्रभाव:** जब सत्ता का प्रयोग नैतिकता के साथ किया जाता है, तो यह न्याय, समानता और प्रगति का माध्यम बन सकती है। ऐसे नेता जो सामूहिक कल्याण के लिये कार्य करते हैं (जैसे: महात्मा गांधी), वे सामाजिक एकता को सुदृढ़ करते हैं और उनका नेतृत्व समाज में दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन लाता है।
- **नकारात्मक प्रभाव:** जब सत्ता का दुरुपयोग स्वार्थ के लिये किया जाता है, तो यह भ्रष्टाचार, विषमता और हिंसा को जन्म देता है। जो नेता केवल निजी लाभ की इच्छा से सत्ता का प्रयोग करते हैं (जैसे तानाशाही या निरंकुश शासन) वे समाज को आर्थिक और सामाजिक क्षति की ओर धकेलते हैं तथा सामाजिक विघटन और उत्पीड़न को बढ़ावा देते हैं।

निष्कर्ष:

जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, *"स्वयं को खोज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है—अपने को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देना।"* **वास्तविक नेतृत्व** वह होता है जिसमें **सत्ता का उपयोग दूसरों को सशक्त करने, न्याय को बढ़ावा देने और सामूहिक कल्याण के लिये** किया जाता है। एक न्यायपूर्ण समाज उन नेताओं पर निर्भर करता है जो अपनी सत्ता का प्रयोग बुद्धिमत्ता, करुणा और नैतिकता के साथ करते हैं। **सच्ची सत्ता का मापदंड नियंत्रण करने या अधीन रखने की क्षमता नहीं, बल्कि उस नैतिक दृष्टिकोण में निहित होता है** जो सत्ता के प्रयोग को दिशा देता है।

प्रश्न : गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- *"गरीबी केवल धन की कमी नहीं है; यह उस क्षमता की अनुपस्थिति है जो एक मानव के रूप में अपनी पूर्ण संभावनाओं की प्राप्ति में सहायक हो।"* — अमर्त्य सेन
- *"गरीबी ही क्रांति और अपराध की जननी है।"* — अरस्तू

दार्शनिक एवं नैतिक आधारभूमि:

- गरीबी केवल भौतिक अभाव नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के 'मानवीकरण' की प्रक्रिया को ही बाधित करती है। यह एक प्रकार की संरचनात्मक हिंसा है, जो **असमानता, पीड़ा तथा सामाजिक अस्थिरता को जन्म** देती है। इस निबंध में यह विश्लेषण किया जाता है कि गरीबी किस प्रकार एक हिंसात्मक प्रक्रिया में बदल जाती है, जो व्यक्ति को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि **मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तरों पर भी क्षति** पहुँचाती है।
- **अमर्त्य सेन का दृष्टिकोण:** अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी केवल आय की कमी नहीं है, बल्कि यह 'क्षमताओं की कमी' है, अर्थात्— समाज में सक्रिय और गरिमामय जीवन जीने की योग्यता का अभाव। इस दृष्टिकोण में गरीबी स्वतंत्रता की कमी है, जो एक पूर्ण मानव जीवन जीने के लिये आवश्यक है। इसलिये, गरीबी एक प्रकार की हिंसा है जो व्यक्ति की मानवीय संभावनाओं को सीमित कर देती है।
  - यह हिंसा का एक रूप है क्योंकि यह व्यक्तियों को उनकी मानवीय क्षमता का प्रयोग करने से रोकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **गांधीवादी दर्शन:** गांधीजी गरीबी को एक नैतिक मुद्दा मानते थे। उनके अनुसार किसी समाज की नैतिक स्थिति का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिये कि वह अपने सबसे कमज़ोर वर्ग के साथ किस तरह का व्यवहार करता है।
  - गांधीजी के विचार में, गरीबी हिंसा है क्योंकि यह लोगों को उन संसाधनों और अवसरों तक पहुँच से वंचित करती है जिनकी उन्हें सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ जीने के लिये आवश्यकता होती है।
- **बौद्ध नैतिकता:** बौद्ध धर्म में 'सम्यक आजीविका' को मुक्ति (निर्वाण) प्राप्त करने हेतु आवश्यक माना गया है। गरीबी व्यक्ति को इस 'सम्यक मार्ग' से विचलित करती है, जिससे वह करुणा, सहानुभूति और मानव कल्याण जैसे मूल्यों को विकसित नहीं कर पाता।
  - इसलिये, गरीबी बौद्ध नैतिकता की दृष्टि में भी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में बाधा डालती है।

ऐतिहासिक एवं समकालीन उदाहरण:

- **उपनिवेशवाद और गरीबी:** औपनिवेशिक काल के दौरान यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशों के संसाधनों का व्यवस्थित रूप से शोषण किया, जिससे वहाँ की पूरी जनसंख्या निर्धनता की गर्त में चली गयी। उपनिवेशवाद की हिंसा ने गरीबी की ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी अनेक क्षेत्रों में विद्यमान है।
- **आधुनिक समय की गरीबी और संघर्ष:** आज भी **गरीबी सामाजिक हिंसा का एक प्रमुख कारण** है। उप-सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में गरीबी राजनीतिक अस्थिरता, गृहयुद्धों और आतंकवाद को और तीव्र बना देती है।
- गरीबी के कारण प्रवासन, शरणार्थी संकट और मानव तस्करी भी उत्प्रेरित होती है, जिससे वैश्विक विषमता एवं सामाजिक अशांति और भी गंभीर होती चली जाती है।
- **भारत की गरीबी-निवारण हेतु पहल:** भारत सरकार द्वारा गरीबी की हिंसा से निपटने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी योजनाएँ प्रारंभ की गयी हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को आर्थिक सुरक्षा, रोज़गार और आधारभूत संरचना प्रदान करना है।

हिंसा के रूप में गरीबी का प्रभाव:

- **मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक हिंसा:** गरीबी प्रायः तनाव, अवसाद और चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करती है, जो एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक हिंसा है। यह सामाजिक अपवर्जन को भी जन्म देती है जिससे समुदायों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है।
- **आर्थिक और प्रणालीगत हिंसा:** गरीबी शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय तक पहुँच को बाधित करती है, जिससे विषमता एवं सामाजिक गतिशीलता का अभाव बना रहता है। यह एक ऐसी प्रणालीगत हिंसा को जन्म देती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्र को बनाए रखती है।

निष्कर्ष:

गरीबी केवल एक आर्थिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की **हिंसा** है **जो व्यक्ति से उसके अधिकार, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा को छीन लेती है।** यह एक प्रणालीगत समस्या है, जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक हिंसा के विविध रूपों में व्यक्त होती है। जैसा कि गांधीजी ने कहा था, *"गरीबी सबसे बड़ी हिंसा है।"*

अतः इससे निपटना केवल एक नीति निर्णय नहीं, बल्कि एक नैतिक प्रतिबद्धता भी है, ताकि एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। केवल गरीबी को समाप्त कर के ही हम एक ऐसा विश्व बना सकते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण और पूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो।

प्रश्न : हम सूचना के युग में जी रहे हैं, लेकिन ज्ञान एक दुर्लभ संसाधन बन गई है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **अल्बर्ट आइंस्टीन:** "सूचना ज्ञान नहीं है।"
- **सुकरात:** "एकमात्र सच्ची बुद्धिमत्ता यह जानना है कि तुम कुछ नहीं जानते।"
- **डैनियल जे. बूर्स्टिन:** "ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता नहीं, बल्कि ज्ञान का भ्रम है।"

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **सूचना बनाम ज्ञान:** 'सूचना' कच्चे आँकड़ों या तथ्यों को दर्शाती है, जबकि 'ज्ञान' वह क्षमता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का विवेकपूर्ण और नैतिक रूप से प्रयोग किया जाता है।
  - ज्ञान प्राय: अनुभव, नैतिक अंतर्दृष्टि और दीर्घकालिक परिणामों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता करता है, जबकि सूचना सतही या खंडित हो सकती है।
- **प्रबोधन का दर्शन:** प्राचीन भारतीय चिंतन विशेषत: वेदांत परंपरा में 'ज्ञान' (Jnana) को सर्वोच्च ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जो मात्र सूचना से कहीं आगे की वस्तु है।
  - कच्चे तथ्यों के विपरीत, ज्ञान जीवन के गहरे सत्य को समझने की प्रक्रिया है।
- **संसंज्ञानात्मक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** मनोविज्ञान यह सुझाव देता है कि ज्ञान केवल तथ्यों को जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक नियंत्रण, सहानुभूति तथा जीवन की जटिलताओं से निपटने की क्षमता भी सम्मिलित है।
  - सूचना का अत्यधिक भार वास्तव में निर्णय-निर्माण और विवेक को बाधित कर सकता है।

नीतिगत तथा ऐतिहासिक उदाहरण:

- **प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराएँ:** उपनिषदों और 'अर्थशास्त्र' की शिक्षाएँ सूचना की अपेक्षा ज्ञान या बुद्धिमत्ता को अधिक महत्त्व देती हैं।
  - चाणक्य का 'अर्थशास्त्र' केवल आर्थिक नीतियों का ग्रंथ नहीं है बल्कि शासन के लिये रणनीतिक बुद्धिमत्ता का भी दिग्दर्शक है।
- **आध्यात्मिकता की भूमिका:** महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को सूचना के साथ जोड़ा।
  - उनका अहिंसात्मक प्रतिरोध केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जुड़े तथ्यों पर आधारित नहीं था, बल्कि यह मानव स्वभाव, नैतिकता और सामूहिक शक्ति की गहन समझ पर आधारित था।
- **स्वतंत्रोत्तर विकास मॉडल:** हालाँकि भारत ने तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है (जो सूचना-आधारित है), फिर भी नीति-निर्माण में समग्र बुद्धिमत्ता के अभाव के कारण गरीबी, असमानता और निरक्षरता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
  - डिजिटलीकरण की तीव्र गति को सामाजिक-आर्थिक विषमताओं की गहन समझ और जागरूकता के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है।

समकालीन उदाहरण:

- **सोशल मीडिया और सूचना का अतिरेक:** व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे मंचों पर अत्यधिक मात्रा में जानकारी प्रसारित होती है (जैसे: कोविड-19 महामारी के दौरान), किंतु उसमें प्राय: गहराई या संदर्भ की कमी होती है जिससे भ्रामक सूचनाएँ फैलती हैं।
  - वास्तविक प्रज्ञा सत्य को शोर-शराबे से अलग पहचानने और उस जानकारी का रचनात्मक उद्देश्य के लिये उपयोग करने में निहित है।
- **न्यायिक प्रज्ञा:** भारतीय न्यायपालिका ने 'निजता का अधिकार' (वर्ष 2017) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से संविधान की व्याख्या में प्राय: प्रज्ञा का परिचय दिया है, जो व्यक्ति के अधिकारों और समाज की आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करता है, यद्यपि सूचना एवं कानूनी उदाहरणों की मात्रा निरंतर बढ़ रही है।

प्रश्न : सच्ची स्वतंत्रता वही है, जहाँ हम अपनी सीमाएँ स्वयं तय करने के लिये स्वतंत्र हों।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिए उद्धरण:

- **जीन-पॉल सार्त्र:** "स्वतंत्रता वह है जो आप उस चीज़ के साथ करते हैं जो आपके साथ हुई है।"
- **मैथ्यू केली:** "स्वतंत्रता यह नहीं कि आप जो चाहें वह कर सकें, बल्कि यह वह चरित्रबल है जिससे आप जो अच्छा, सत्य, श्रेष्ठ और उचित हो वही करें।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **स्वतंत्रता बनाम जिम्मेदारी:** सच्ची स्वतंत्रता असीमित विकल्पों के बारे में नहीं है; यह उन बाधाओं को चुनने के बारे में है जो व्यक्ति के कार्यों को जिम्मेदारी से निर्देशित करती हैं। सच्ची स्वतंत्रता अनंत विकल्पों की छूट नहीं है, बल्कि वह उन सीमाओं का चयन है जो व्यक्ति के आचरण को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाती हैं।
  - भारतीय दर्शन, विशेषत: भगवद्गीता में, स्वतंत्रता की संकल्पना अपने कर्त्तव्य (धर्म) को नैतिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के भाव से चुनने से जुड़ी है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **आत्म-अनुशासन और स्वतंत्रता:** योग **दर्शन आत्म-नियंत्रण एवं आंतरिक स्वतंत्रता पर ज़ोर** देता है तथा यह सुझाव देता है कि सच्ची स्वतंत्रता अपने आवेगों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने तथा उन बाधाओं को चुनने में निहित है जो आध्यात्मिक विकास एवं सामाजिक सद्भाव की ओर ले जाती हैं।
- **स्व-अनुशासन और स्वतंत्रता:** योग-दर्शन आत्म-नियंत्रण एवं आंतरिक स्वतंत्रता पर बल देता है, यह सुझाव देते हुए कि सच्ची स्वतंत्रता व्यक्ति की इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर उन सीमाओं का चयन करने में है जो आत्मिक विकास एवं सामाजिक समरसता की ओर ले जाती हैं।
- **सामाजिक अनुबंध सिद्धांत: रूसो** जैसे राजनीतिक सिद्धांतकारों ने **तर्क दिया कि स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण स्वायत्तता नहीं** है, बल्कि **सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने वाली बाधाओं का सामूहिक विकल्प** है।
  - आधुनिक भारत में, यह देखा जा सकता है कि संवैधानिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग कानूनों और नियमों के कार्यढाँचे के भीतर किस प्रकार किया जाता है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **भारतीय स्वतंत्रता संग्राम: जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस** जैसे नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये क्रमश: **अहिंसा एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता चुना।**
  - उनके चुनाव अनियंत्रित स्वतंत्रता के बजाय रणनीतिक उद्देश्यों के आधार पर सचेत रूप से किये गए थे।
- **भारत में संवैधानिक बाध्यताएँ:** भारत का संविधान मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इसके साथ ही **सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उचित प्रतिबंध भी लगाए** (जैसे: अनुच्छेद 19) गए हैं।
  - यह इस समझ को प्रतिबिंबित करता है कि बिना किसी बाधा के स्वतंत्रता अराजकता को जन्म देती है।
- **वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार:** भारत का आर्थिक उदारीकरण, एक कठोर नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बाधाओं को कम करने के लिये एक सचेत निर्णय था, लेकिन इसमें **बाज़ार विनियमन, उदारीकरण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नई बाधाओं को चुनना** भी शामिल था।

समकालीन उदाहरण:

- **भारत का डिजिटल रूपांतरण: डिजिटल इंडिया** के लिये सरकार के प्रयासों में प्रौद्योगिकी की स्वतंत्रता को अपनाते हुए **डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और बुनियादी अवसंरचना की सीमाओं पर नियंत्रण रखना** शामिल है।
  - यह संतुलन भारत के भावी विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **पर्यावरण संरक्षण बनाम आर्थिक विकास:** भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण के संदर्भ में, संसाधनों के दोहन की स्वतंत्रता **पर्यावरण कानूनों और स्थिरता सिद्धांतों द्वारा बाधित** है, जो व्यापक लाभ के लिये बाधाओं को चुनने के दीर्घकालिक लाभों पर बल देता है।
- **युवा और करियर विकल्प:** भारत के युवा तेज़ी से एक दुविधा का सामना कर रहे हैं: अपने कॅरियर को चुनने की स्वतंत्रता प्राय: सामाजिक दबाव और पारिवारिक बाधाओं के साथ आती है। इन विकल्पों को चुनना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन को दर्शाता है।
- **एलन मस्क का नवाचार के प्रति दृष्टिकोण:** एलन मस्क की कंपनियाँ— **टेस्ला, SpaceX और न्यूरालिंक** प्राय: कड़े बजट, कट्टरपंथी समय सीमा और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों जैसी तीव्र बाधाओं के तहत काम करती हैं।
  - मस्क इन बाधाओं को नवाचार को बढ़ावा देने और रचनात्मक समस्या-समाधान को प्रोत्साहित करने के तरीके के रूप में अपनाते हैं।
    - उदाहरण के लिये **SpaceX का पुन: प्रयोज्य रॉकेट विकसित करने का निर्णय एक बाधा थी, जिससे लागत में भारी कमी आई** और एयरोस्पेस उद्योग में क्रांति आ गई।

प्रश्न : दूसरों की पहचान करना बुद्धिमत्ता है, स्वयं को पहचानना वास्तविक ज्ञान है।"

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **लाओ त्ज़ू:** *"जो दूसरों को जानता है, वह बुद्धिमान है; परंतु जो स्वयं को जानता है, वह ज्ञान से प्रकाशित है।"*
- **सुकरात:** *"स्वयं को जानना ही ज्ञान का प्रारंभ है।"*
- **कार्ल युंग:** *"जो बाहर देखता है, वह स्वप्न देखता है; जो भीतर झाँकता है, वह जाग जाता है।"*

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा (विवेक) में अंतर:**
  - बुद्धिमत्ता तर्कशक्ति, समस्या-समाधान और बाह्य निरीक्षण से जुड़ी होती है।
  - जबकि प्रज्ञा आत्मचिंतन, आत्मबोध और नैतिक निर्णय से संबंधित होती है।
  - व्यक्ति संसार के तथ्यों का ज्ञाता हो सकता है (बुद्धिमत्ता), परंतु यदि उसे स्वयं का बोध नहीं है, तो वह प्रज्ञा से वंचित रह जाता है।
- **भारतीय दर्शन – आत्मबोध ही मोक्ष का मार्ग:**
  - **वेदांत में 'आत्मज्ञान'** को **सर्वोच्च** ज्ञान माना गया है।
  - भगवद्गीता में कहा गया है कि अपने **'स्वधर्म' को जानना और निभाना, आत्मचेतना की गहराई से ही संभव** है।
- **मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक अंतर्दृष्टि:**
  - **भावनात्मक बुद्धिमत्ता (डैनियल गोलेमैन):** डेनियल गोलमैन के अनुसार, 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' में आत्मबोध सबसे मूलभूत तत्त्व है, जो नेतृत्व और सामाजिक संबंधों की कुंजी है।
  - युंगीय मनोविज्ञान में 'शैडो वर्क' (Shadow Work) अर्थात् अपनी अचेतन प्रवृत्तियों का बोध, आंतरिक संतुलन के लिये आवश्यक है।
- **आधुनिक परिप्रेक्ष्य:**
  - आज के सोशल मीडिया युग में दूसरों को जानना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है, लेकिन स्वयं को जानना उतना ही कठिन और दुर्लभ होता जा रहा है।
  - 'निगरानी पूँजीवाद' के इस दौर में हमारे बारे में बहुत-से आँकड़े मौजूद हो सकते हैं, परंतु यह आँकड़े जीवन के उद्देश्य या आंतरिक तृप्ति की कोई सच्ची समझ नहीं दे सकते।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **गौतम बुद्ध :**
  - उनका आत्मबोध की ओर प्रयाण आत्मपरीक्षण से आरंभ हुआ, न कि किसी विजय-युद्ध या दूसरों के अध्ययन से। दु:ख और इच्छा के विषय में उनके उपदेश गहन आत्म-चिन्तन और आत्मानुभूति का परिणाम थे।
- **महात्मा गांधी:**
  - गांधीजी का सत्याग्रह का सिद्धांत आत्मानुशासन और आत्मज्ञान पर आधारित था।
  - वे सत्य के प्रयोग करते थे और मानते थे कि समाज में वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत व्यक्ति के भीतर के परिवर्तन से होती है।
- **ए.पी.जे. अब्दुल कलाम:**
  - वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता के लिये प्रसिद्ध डॉ. कलाम ने आजीवन इस बात पर बल दिया कि अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिये अपने अंतर्मन की संभावनाओं और मूल्यों को जानना अत्यंत आवश्यक है।

समकालीन उदाहरण:

- **मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता:**
  - आज के समय में आत्मचिंतन, सजगता (माइंडफुलनेस) और मनोचिकित्सा जैसी चीज़ों पर बढ़ता ज़ोर यह दर्शाता है कि केवल बाह्य सफलता की अपेक्षा आत्मज्ञान को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है।
- **नेतृत्व की सफलताएँ और विफलताएँ:**
  - राजनीति और कॉरपोरेट जगत में कई बार असफलताओं का कारण बुद्धिमत्ता की कमी नहीं होता, बल्कि अहंकार, सहानुभूति का अभाव एवं आत्मचेतना की कमी होता है।
  - वहीं, जैसिंडा आर्डर्न जैसी राजनेता यह प्रमाणित करती हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं आत्मचेतना से समावेशी और करुणामूलक शासन संभव है।
- **युवा और कॅरियर विकल्प:**
  - आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी माहौल में सफलता के नाम पर दूसरों की नकल करने से अधिक आवश्यक यह है कि युवा अपने रुचि-क्षेत्र, योग्यताओं और मूल्यों को पहचानें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "तकनीकी प्रगति, नैतिक जिम्मेदारी का विकल्प नहीं, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति का साधन है।"

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **आल्बर्ट आइंस्टीन:** *"यह अत्यंत स्पष्ट होता जा रहा है कि हमारी तकनीक ने हमारी मानवता को पीछे छोड़ दिया है।"*
- **मार्टिन लूथर किंग जूनियर:** *"हमारी वैज्ञानिक शक्ति ने हमारी आध्यात्मिक शक्ति को पीछे छोड़ दिया है। हमारे पास 'मार्गदर्शित मिसाइलें' हैं, परंतु 'भ्रमित मनुष्य' भी।"*

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **नैतिकता बनाम नवाचार:**
  - तकनीकी प्रगति स्वयं में मूल्य-निरपेक्ष होती है; इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसका नैतिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं।
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जैव-प्रौद्योगिकी और निगरानी जैसे उपकरण, नैतिक प्रयोग के अनुसार या तो मुक्त कर सकते हैं या दमनकारी बन सकते हैं।
- **उपयोगितावाद और कर्त्तव्य-निष्ठा (Deontology):**
  - तकनीक का प्रयोग 'सर्वाधिक लोगों के सर्वाधिक हित' (उपयोगितावाद) के लिये होना चाहिये, परंतु साथ ही यह अधिकारों और कर्त्तव्यों (कांट के नैतिकता सिद्धांत) का सम्मान भी करे।
  - यदि नवाचार में जवाबदेही का अभाव हो, तो यह मानव गरिमा और न्याय का उल्लंघन कर सकता है।
- **धर्म की भूमिका (भारतीय नैतिकता):**
  - भारतीय चिन्तन में, कर्मों का मूल्यांकन केवल परिणामों से नहीं, अपितु उनके उद्देश्य (भाव) और कर्त्तव्य-बोध (धर्म) से होता है।
  - इसलिये, तकनीकी शक्ति का उपयोग भी तभी न्यायसंगत माना जायेगा जब वह नैतिक ज़िम्मेदारी के अनुरूप हो।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **परमाणु बम बनाम नाभिकीय ऊर्जा:**
  - एक ही वैज्ञानिक खोज़ ने हिरोशिमा का विनाश भी किया और सतत् ऊर्जा का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसका उपयोग किस दिशा में होगा, यह नैतिक इरादे पर निर्भर करता है।
- **आधार और डिजिटल गवर्नेंस:**
  - सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में आधार एक तकनीकी चमत्कार है, किंतु डेटा गोपनीयता और निगरानी पर उठते प्रश्न यह दर्शाते हैं कि नैतिक नियंत्रण एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **कोविड-19 प्रतिक्रिया:**
  - वैक्सीन विकास एक तकनीकी उपलब्धि थी, परंतु उनका समान वितरण (जैसे: COVAX बनाम वैक्सीन राष्ट्रवाद) वैश्विक शासन में नैतिक कमियों को उजागर करता है।

समकालीन उदाहरण:

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह:**
  - AI स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है, लेकिन यदि नैतिक निगरानी न हो तो यह सामाजिक भेदभाव को बढ़ा सकता है (जैसे: चेहरे की पहचान में पक्षपात)।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म:**
  - फेसबुक और ट्विटर जैसे तकनीकी मंच वैश्विक संवाद को आकार देते हैं, परंतु ये घृणा-प्रचार और गलत सूचना को भी बढ़ावा दे सकते हैं।
  - इनकी दीर्घकालिक वैधता के लिये विषयवस्तु-संपादन और डेटा सुरक्षा में नैतिक उत्तरदायित्व अत्यंत आवश्यक है।
- **हरित प्रौद्योगिकियाँ:**
  - सौर ऊर्जा, विद्युत-वाहन और कार्बन कैप्चर जैसी तकनीकें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती हैं, ये भावी पीढ़ियों के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व को दर्शाती हैं।
- **अंतरिक्ष अन्वेषण:**
  - अमीरों द्वारा संचालित अंतरिक्ष अभियानों ने यह नैतिक प्रश्न खड़ा किया है कि क्या संसाधनों का प्रयोग अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण के लिये हो या पृथ्वी की तत्काल समस्याओं के समाधान के लिये?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME